IN THE COURT OF SESSIONS JUDGE, KOTA

Presiding Officer : SATYANARAYAN VYAS
Date of the Judgement : 19.06.2026
CNR No. - RJKT010038332020
Session Case No. - 198/2020
Details of FIR No. - 238/2020 PS Gumanpura, Kota City

Complainant	State of Rajasthan
PRESENTED BY	श्री मनोज पुरी, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राजस्थान राज्य
APPEALLANT/ACCUSED	1. बबलू पुत्र रामकल्याण निवासी आरामपुरा पटवार घर की गली खेड़ा रसूलपुर कैथून थाना कैथून, कोटा 2. सुनीता पत्नी रामदयाल निवासी आंवा हथाई के सामने थाना कनवास हाल पति सुरेन्द्र निवासी देवली मांझी बस स्टेण्ड के सामने ढीकोली थाना देवली मांझी, जिला कोटा ग्रामीण
REPRESENTED BY	1. श्री रमेश चंद शर्मा विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त बबलू 2. श्री हिमांशु उपाध्याय, श्री कैलाश चन्द्र शर्मा विद्वान अधिवक्ता एवं श्रीमती शकुन्तला कंवर विदुषी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्ता सुनीता

B

Date of Offence	18.05.2020
Date of FIR	21.05.2020
Date of Charge sheet	20.08.2020
Date of Framing of Charges by trial court	16.01.2021
Date of commencement of evidence	24.03.2021
Date on which judgment is reserved	NIL
Date of the Judgment by trial court	
Date of the Sentencing Order, if any	NIL

Authenticated Document

PART-II

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESSES

A. Prosecution

Rank	Name	Nature of Evidence(Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
P.W.1	मोहित	फरियादी
P.W.2	महेन्द्र कुमार	फर्द शिनाख्तगी, पंचायतनामा, सुपुर्दगी लाश, फर्द बरामदगी बनियान व पेन्ट मृतक रामस्वरूप
P.W.3	डॉ. अरुण शर्मा	मेडीकल रिपोर्ट अभियुक्तगण बबलू व सुनीता
P.W.4	अंजली	गुमशुदगी रिपोर्ट कर्ता
P.W.5	आकाश मेहरा	नक्शा मौका घटनास्थल, पंचायतनामा
P.W.6	इरफान खान	फर्द पंचायतनामा
P.W.7	डॉ. अमित जोशी	चिकित्सकीय साक्षी (पोस्टमार्टम कर्ता)
P.W.8	अफजल	फर्द बरामदगी साफी, शर्ट, चप्पल, साड़ी का टुकड़ा, पेड़ की टहनी, फोटोग्राफी घटनास्थल
P.W.9	सीताराम	फर्द शिनाख्तगी, पंचायतनामा, सुपुर्दगी लाश, फर्द बरामदगी बनियान व पेन्ट मृतक
P.W.10	गजेन्द्र परीडवाल	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त बबलू, तस्दीक घटना स्थल, फर्द बरामदगी मोबाइल, मोटरसाइकिल, नक्शा बरामदगीस्थल
P.W.11	राहुल कश्यप	फर्द बरामदगी साफी, शर्ट, चप्पल, साड़ी का टुकड़ा, पेड़ की टहनी, नक्शा मौका घटनास्थल
P.W.12	बृजेन्द्र सिंह	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण बबलू, सुनीता, नक्शा मौका घटनास्थल, फर्द बरामदगी साड़ी, लाख की चूड़ियां, मोबाइल, मोटरसाइकिल, नक्शा बरामदगीस्थल, फर्द फोटोग्राफी लाश
P.W.13	गोविन्द उर्फ बंटी	घटना से तुरन्त पूर्व का साक्षी
P.W.14	विष्णु	पंचायतनामा लाश, नक्शा मौका घटनास्थल
P.W.15	भँवरलाल उर्फ पप्पू	घटना के तुरन्त बाद पहुंचने वाला साक्षी
P.W.16	मनोज कुमार	एफएसएल वाहक
P.W.17	राजकुमार शर्मा	मालखाना इन्चार्ज

Authenticated Document

P.W.18	सुरेश	फर्द फोटोग्राफी लाश मृतक एवं घटनास्थल (फोटोग्राफर), प्रमाण पत्र धारा 65 बी साक्ष्य अधि.
P.W.19	रविन्द्र यादव	फर्द फोटोग्राफी
P.W.20	मीना	घटना से तुरन्त पूर्व की साक्षी
P.W.21	डॉ.लालचंद वर्मा	चिकित्सकीय साक्षी (पोस्टमार्टमकर्ता)
P.W.22	डॉ.सुरेन्द्र कुमार	चिकित्सकीय साक्षी (पोस्टमार्टमकर्ता)
P.W.23	मनोज सिंह	एफआईआर कता कर्ता, अनुसंधान अधिकारी

B. Defence Witnesses, if any:

Rank	Name	Nature of Evidence(Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
निल	निल	निल

C. Court Witnesses, if any:

Rank	Name	Nature of Evidence(Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
निल	निल	निल

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:

S.No.	Exhibit Number	Description
1	प्रदर्श पी-1	तहरीरी रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी-2	फर्द शिनाख्तगी मृतक रामस्वरूप
3	प्रदर्श पी-3	फर्द पंचायतनामा लाश मृतक रामस्वरूप
4	प्रदर्श पी-4	फर्द सुपुर्दगी लाश मृतक रामस्वरूप
5	प्रदर्श पी-5	फर्द बरामदगी साफी,शर्ट,चप्पल,साड़ी का टुकड़ा, पेड़ की टहनी
6	प्रदर्श पी-6	फर्द फोटोग्राफी घटनास्थल गुमशुदा व्यक्ति
7	प्रदर्श पी-7	नक्शा बरामदगीस्थल साफी,शर्ट,चप्पल
8	प्रदर्श पी-8	नक्शा मृतक रामस्वरूप के मकान के सामने की

Authenticated Document

		गली जहां से वह बबलू व सुनीता के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर गया
9	प्रदर्श पी-9	बयान धारा 164 दंप्रसं. गवाह मोहित
10	प्रदर्श पी-10	फर्द बरामदगी एक हॉफ आस्तीन की बनियान व पेन्ट मृतक रामस्वरूप
11	प्रदर्श पी-11	चोट प्रतिवेदन अभियुक्त बबलू
12	प्रदर्शी पी-11 पुनः	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभि. बबलू
13	प्रदर्श पी-12	चोट प्रतिवेदन अभियुक्ता सुनीता
14	प्रदर्श पी-12 पुनः	फर्द बरामदगी एक मोटरसाइकिल, मोबाइल, धुले हुए खून आलूदा कपड़े टी-शर्ट, लोअर बकब्जे अभियुक्त बबलू
15	प्रदर्श पी-13	मृतक रामस्वरूप की गुमशुदगी की रिपोर्ट
16	प्रदर्श पी-13 पुनः	फर्द बरामदगी मोबाइल
17	प्रदर्श पी-14	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक रामस्वरूप
18	प्रदर्श पी-14 पुनः	नक्शा मौका बरामदगीस्थल मोटरसाइकिल
19	प्रदर्श पी-15 व पी-19	नक्शा मौका घटनास्थल
20	प्रदर्श पी-16	फर्द बरामदगी एक साड़ी, दो लाख की चूड़ियां बकब्जे अभियुक्ता सुनीता
21	प्रदर्श पी-17	फर्द फोटोग्राफी लाश मृतक रामस्वरूप
22	प्रदर्श पी-18	नक्शा मौका बरामदगीस्थल साड़ी व दो लाख की चूड़ियां
23	प्रदर्श पी-20	बयान धारा 161 दंप्रसं.गवाह गोविंद उर्फ बंटी
24	प्रदर्श पी-21	अग्रेषण पत्र थानाधिकारी
25	प्रदर्श पी-23 व 24	अग्रेषण पत्र पुलिस अधीक्षक कोटा शहर
26	प्रदर्श पी-24 पुनः, एवं प्रदर्श पी-25	एफएसएल रसीदें
27	प्रदर्श पी-26 ए से 28 ए	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रतियां
28	प्रदर्श पी-29	धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
29	प्रदर्श पी-30 से 42,43	फोटोग्राफ्स एवं सीडी
30	प्रदर्श पी-44	चॉक एफआईआर

Authenticated Document

31	प्रदर्श पी-45	मृतक रामस्वरूप की गुमशुदगी की रोजनामचा की रपट
32	प्रदर्श पी-46 से 49	मृतक रामस्वरूप के फोटोज
33	प्रदर्श पी-50	धारा 164 दंप्रसं. के बयान हेतु जारी सम्मन
34	प्रदर्श पी-51	बयान धारा 164 दंप्रसं. गवाह अंजली
35	प्रदर्श पी-52	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्ता सुनीता
36	प्रदर्श पी-53 से 55 व पी-60	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचनाएं अभियुक्ता सुनीता
37	प्रदर्श पी-56 से 59	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचनाएं अभियुक्त बबलू
38	प्रदर्श पी-61 से 63	एफएसएल की रिपोर्टस
39	प्रदर्श पी-64	अग्रेषण पत्र थानाधिकारी
40	प्रदर्श पी-65	अभियुक्त बबलू का वोटर आईडी

B. Defence:

S.No.	Exhibit Number	Description
1	प्रदर्श डी-1	बयान धारा 161 दंप्रसं. गवाह विष्णु मेहर
2	प्रदर्श डी-2	मृतक रामस्वरूप की लावारिश पड़ी लाश की सूचना
3	प्रदर्श डी-3	पुलिस थाना कैथून द्वारा धारा 174 दंप्रसं. के अन्तर्गत की गई कार्यवाही

C. Court Exhibits:

S.No.	Exhibit Number	Description
निल	निल	निल

D. Material Objects:

S.No.	Exhibit Number	Description
1	आर्टिकल-1/1 व 1/2	एक चोड़ी चप्पल
2	आर्टिकल-2	शर्ट फुल आस्तीन सफेद लाइनदार
3	आर्टिकल-3	हॉफ आस्तीन की बनियान
4	आर्टिकल-4	मेंहदी रंग का पेंट
5	आर्टिकल-5	फुल आस्तीन की टी-शर्ट सफेद रंग की

Authenticated Document

6	आर्टिकल-6	अभियुक्त बबलू का वक्त घटना पहना हुआ लोअर
7	आर्टिकल-7	खून आलूदा साफी
8	आर्टिकल-8	पत्थर
9	आर्टिकल-9	दो लाख के चूड़े अभियुक्ता सुनीता
10	आर्टिकल-10	वक्त घटना पहनी हुई साड़ी अभियुक्ता सुनीता
11	आर्टिकल-11	मौके से बरामदशुदा सादा मिट्टी
12	आर्टिकल-12	एक लाख की चूड़ी का टुकड़ा

आरक्षी केन्द्र गुमानपुरा कोटा शहर की ओर से अभियुक्तगण बबलू एवं सुनीता के विरुद्ध अपराध धारा 364, 302, 201, 202, 176/34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप पत्र दिनांक 20.08.2020 को न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-5 कोटा में प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण अनन्यतः सेशन विचारणीय होने से उपार्पित होकर 31.08.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर नियमानुसार सेशन प्रकरण संस्थित हुआ। उक्त सेशन प्रकरण इस न्यायालय द्वारा विचारण हेतु अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-6 कोटा को अंतरित किया गया। उक्त प्रकरण पुनः इस न्यायालय के आदेश क्रमांक 19 दिनांक 09.01.2026 की पालना में पुनः यह सेशन प्रकरण अन्तरित होकर इस न्यायालय में दिनांक 13.01.2026 को प्राप्त हुआ।

2. अभियोजन कहानी के अनुसार प्रकरण के सुसंगत एवं संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि फरियादी मोहित मेहरा पी.डब्ल्यू.-1 द्वारा दिनांक 21.05.2020 को समय 12.37 ए.एम. पर थानाधिकारी पुलिस थाना गुमानपुरा कोटा के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 इस आशय की पेश की कि वह परिवार सहित छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा में निवास करता है। उसके परिवार में उसकी बहिन, पिताजी, एक भाई जो दिमाग से ऐसा ही है, साथ ही रहते हैं। वह जयपुर में लाख के चूड़े बनाने का काम करता है। अभी लॉक डाउन के कारण वह भी कोटा ही आया हुआ है। दिनांक 18.05.2020 को उसके पिताजी रामस्वरूप उम्र करीब 58 साल को उनके पिताजी की दोस्त सुनीता मेघवाल उम्र करीब 40-45 साल निवासी देवली मांझी कैथून कोटा व उनका दोस्त बबलू बैरवा निवासी खेड़ा रसूलपुर कोटा मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर पर समय करीब 11.00 बजे सुबह बैठा कर डीसीएम की तरफ ले गये थे। उसने उसके पिताजी को काफी तलाश किया। दिनांक 20.05.2020 को उसे पता चला कि सुनीता मेघवाल व बबलू बैरवा उसके पिताजी को डाढदेवी के जंगलों में ले गये हैं। उसने वहां जाकर तलाश किया तो उम्मेदगंज

Authenticated Document

डाढदेवी रोड पर एक नाले की पुलिया के पास उसके पिताजी रामस्वरूप के खून लगे कपड़े जिसमें सफेद साफी, शर्ट व चप्पलें मिलने से उसे शक है कि उसके पिताजी रामस्वरूप की सुनीता मेघवाल व बबलू बैरवा ने हत्या कर लाश को कहीं फेंक दिया है..... इत्यादि पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 238/2020 आरक्षी केन्द्र गुमानपुरा, कोटा पर संस्थित होकर बाद आवश्यक अन्वेषण अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्तानुसार आरोप पत्र उपार्पण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां से यह प्रकरण उपार्पित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।

3. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 302/34, 364/34, 201/34, 202/34, 176/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य स्वरूप गवाह पी.डब्ल्यू.-1 लगायत पी.डब्ल्यू.-23 की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-65 को प्रदर्शित करवाया गया।

5. अभियुक्तगण के कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये। जिनमें उनके द्वारा पत्रावली पर आई साक्ष्य को गलत होना बताया तथा अभियुक्त बबलू ने कथन किया है कि वह सुनीता व रामस्वरूप को नहीं जानता, उसे झूंठा फंसाया गया है एवं अभियुक्ता सुनीता ने कथन किया है कि रामस्वरूप ने अत्यधिक शराब पी रखी थी। उसने उससे पानी मांगा तो उसने पानी पिलाया और रामस्वरूप के नशे में होने के कारण उसको उठाकर नहीं ला पायी, इसलिए वह उसे वहीं पर छोड़ आई थी। प्रतिरक्षा स्वरूप कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श डी-1 लगायत प्रदर्श डी-3 प्रदर्शित कराये गये।

6. बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का परिशीलन किया गया। इस प्रकरण के निर्णय हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होता हैः-

1. आया दिनांक 18.05.2020 को सुबह 11.00 बजे करीब अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में मृतक रामस्वरूप की हत्या करने के प्रयोजन से उसको मोटरसाइकिल पर बैठाकर उसका अपहरण/व्यपहरण कर दाढ़देवी के जंगल में ले जाकर रामस्वरूप की मृत्यु कारित करने के आशय व ज्ञान से उसके शरीर पर गम्भीर मारपीट कर उसे चोटें पहुंचाकर उसकी हत्या कारित की तथा रामस्वरूप की हत्या के संबंध में पुलिस को या किसी लोक सेवक को समुचित सूचना या इत्तला देने के लिए आबद्ध होते हुये एवं मृतक रामस्वरूप के परिजन द्वारा पूछे जाने पर इंकार कर अपराध की इत्तला देने का साशय लोप किया ?

Authenticated Document

2. यदि हाँ तो उचित दण्ड क्या होगा?

7. उक्त विचारणीय बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में बहस के अंतर्गत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि अभियुक्तगण मृतक रामस्वरूप को अपने साथ लेकर दाढदेवी के जंगल में गए हैं और अभियुक्त बबलू पी.डब्ल्यू. 13 गोविन्द उर्फ बंटी से पानी की बोतल और ककड़ी लेकर गया है इसके बाद इन्होंने जंगल में फिर शराब पी है। पी.डब्ल्यू. 15 भंवरलाल उर्फ पप्पू ने अभियुक्ता सुनीता का उसके पास आना और अभियुक्त बबलू द्वारा मोबाइल लेकर और मृतक को धक्का देकर भाग जाना सुनीता द्वारा उसको बताने का कथन किया है। अभियुक्त बबलू की सूचना के आधार पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल और मोबाइल जब्त किया गया है। अभियुक्त बबलू के वक्त घटना पहने हुए कपड़ों, अभियुक्ता सुनीता की साड़ी व लाख के चूड़े पर तथा मृतक रामस्वरूप के खून आलूदा कपड़ों, चप्पल व साफी पर मानव रक्त पाया जाना एफ.एस.एल. रिपोर्ट से साबित है। पत्रावली से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण ने शराब पीकर मृतक रामस्वरूप को खाल में धक्का दिया है जिसमें पड़े पत्थरों पर गिरने से मृतक रामस्वरूप के बांई ओर चोटें कारित हुई हैं और मृतक की चोट संख्या 1 के कारण उसके शॉक में जाने के कारण मृतक रामस्वरूप की मृत्यु कारित हुई है। मृतक रामस्वरूप की मृत्यु कारित करने के उपरान्त अभियुक्तगण घटनास्थल से चले गए और रामस्वरूप की मृत्यु के सम्बन्ध में पुलिस को या किसी लोक सेवक को समुचित सूचना या इत्तला नहीं दी तथा मृतक रामस्वरूप के परिजनों द्वारा पूछे जाने पर इंकार कर अपराध की इत्तला देने का साशय लोप किया है। अतः अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्व आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हैं। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों के लिए दोशसिद्ध घोषित किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त बबलू का तर्क है कि प्रदर्श पी. 13 गुमशुदगी की रिपोर्ट दिनांक 19.05.2020 को दर्ज कराई गई है उसमें अभियुक्त बबलू का नाम नहीं है, कोई भी सी.सी.टी.वी. कैमरे की फुटेज पेश नहीं की है जिसमें उसका चेहरा नजर आया हो। किसी भी गवाह ने न तो रामस्वरूप को ले जाते समय अभियुक्त बबलू को देखने का कथन किया है न ही अंतिम बार रामस्वरूप के साथ देखने का किसी भी गवाह ने कथन किया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मर्ग रिपोर्ट पुलिस थाना कैथून पर दर्ज हुई थी लेकिन मृतक को हॉस्पीटल कौन लेकर गया इस सम्बन्ध में कोई अनुसंधान नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि पत्रावली पर यह आया है कि हॉस्पीटल में जब मृतक गया तब वह जिन्दा था और हॉस्पीटल में उसकी मृत्यु हुई है। अतः अभियुक्तगण द्वारा कोई हत्या कारित नहीं की

Authenticated Document

गई है। पत्रावली पर यह आया है कि मृतक खुद शराब के नशे में धुत था और वह स्वेच्छा से अपने घर से गया था, मौके पर जो फोटोग्राफ्स पेश किए गए हैं उनसे और चिकित्सक के बयानों से यह सामने आया है कि मृतक स्वयं शराब के नशे में गिरने से या अन्य प्रकार से उसकी मृत्यु कारित हुई है। पत्रावली पर किसी भी गवाह ने अभियुक्त बबलू का वहां देखने का कथन नहीं किया है, न तो उसका घर पर आना न ही उसको मृतक रामस्वरूप के साथ देखने का कथन किया है। पत्रावली पर न तो प्रत्यक्ष साक्ष्य से और न ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य से अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरुद्व आरोपित अपराधों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर पाया है। अतः अभियुक्त बबलू को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

9. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्ता सुनिता की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दिनांक 21.05.2020 को 12.37 ए.एम. पर फरियादी मोहित मेहरा ने दिनांक 18.05.2020 की घटना का विवरण देते हुये एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सुनीता एवं बबलू के विरुद्ध उसके पिता को डाढदेवी के जंगलों में शक के आधार पर हत्या कर दिये जाने रिपोर्ट दर्ज करायी थी जो कि प्रदर्श पी-1 है। इसी क्रम में फरियादी मोहित मेहरा की सगी बहिन अंजली ने दिनांक 19.05.2020 को समय करीब 10.48 पीएम पर एक गुमशुदगी रिपोर्ट थाना गुमानपुरा कोटा में दर्ज करायी थी, जो कि प्रदर्श पी-13 है। थाना गुमानपुरा कोटा पुलिस के अनुसंधान अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान के पश्चात अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 364, 302, 201, 202, 176 व 34 आईपीसी में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें दिनाक 24.3.2021 को आरोप विरचित करने के पश्चात न्यायालय में प्रकरण का विचारण हुआ। उक्त विचारण में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 23 गवाह अपने कथित अभियोजन कथानक को सिद्ध करने के लिये प्रस्तुत किये गये तथा 64 दस्तावेजों को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रदर्शित करवाया गया तथा बचाव पक्ष द्वारा 3 दस्तावेजों को विचारण के दौरान प्रदर्शित करवाया गया। उक्त प्रकरण के मुख्य रूप से दो फरियादी है, प्रथम अंजली मेहरा पी.डब्ल्यू.-4 तथा द्वितीय मोहित मेहरा पी.डब्ल्यू.-1 है। दोनों फरियादियों के द्वारा आलेखित किये गये दोनों रिपोर्ट्स प्रदर्श पी-1 व प्रदर्श पी-13 में भारी विरोधाभास है। उक्त दोनों फरियादी जब न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुये है, उस समय दोनों गवाहों से जो प्रतिपरीक्षा की गयी है उसमें भी दोनों गवाहान ने प्रकरण को काफी बढ़ा चढ़ाकर न्यायालय में बताया है और उक्त दोनों गवाहान के बयानों में भी भारी विरोधाभास हो जाने से प्रकरण पूर्णरूपेण संदिग्ध प्रमाणित होता है।

10. विद्वान अधिवक्ता का आगे यह भी तर्क रहा है कि उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी ने अपने अनुसंधान में इस तथ्य के बारे में कोई अनुसंधान नहीं

Authenticated Document

किया है कि रामस्वरूप मेहरा व अभियुक्तगण घटना स्थल पर किस जगह पर बैठकर शराब पी रहे थे तथा रामस्वरूप मेहरा व अभियुक्तगण के मध्य घटना स्थल पर किसी भी प्रकार का कोई वाद-विवाद, मारपीट, छीना झपटी अथवा कहासुनी या धक्का देने जैसे कोई घटना घटित हुई अथवा नहीं हुई। साथ ही उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी के सम्पूर्ण अनुसंधान से ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है जिससे कि यह प्रमाणित होता हो कि अभियुक्तगण रामस्वरूप मेहरा का अपहरण उसको चोट पहुंचाने अथवा उसकी हत्या कारित करने के उद्देश्य से किया है। साथ ही सम्पूर्ण अनुसंधान में अनुसंधान अधिकारी ने इस तथ्य पर भी अनुसंधान नहीं किया है कि अभियुक्तगण का रामस्वरूप मेहरा की हत्या किये जाने का मोटिव एवं इंटेंशन क्या रहा होगा ?

11. उनका यह भी तर्क रहा है कि मृतक रामस्वरूप मेहरा के शरीर पर किसी भी चोट की पुनरावृत्ति नहीं की गयी है, इससे यह स्पष्ट होता है कि मृतक के शरीर पर जो चोटें आई है वह किसी व्यक्ति द्वारा मारपीट करने, अथवा धक्का मुक्की, छीना झपटी करने से कारित नहीं हुई है। इस बात को न्यायालय में पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-14 के गवाहान ने अपने मुख्य एवं प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मृतक के शरीर पर आई हुई चोंटे शराब पीये हुये व्यक्ति के सामान्य अनुक्रम में गिरने, पड़ने से आ सकती है। साथ ही प्रदर्श पी-14 के गवाहान ने यह भी स्वीकार किया है कि मृतक के विसरा में इथाइल अल्कोहल की मौजूदगी पाई हुई है। मृतक के वक्त घटना शराब के अत्यधिक सेवन की बात को फरियादी से लेकर सभी गवाहान ने स्वीकार एवं प्रमाणित किया है। अनुसंधान अधिकारी ने इस बिन्दु पर भी कोई अनुसंधान नहीं किया है कि रामस्वरूप मेहरा को घटना स्थल से कौन व्यक्ति किस वाहन से, किस समय, किस दिनांक को एमबीएस अस्पताल कोटा लेकर आया जिसे अनुसंधान अधिकारी ने गवाह पी.डब्ल्यू.-23 के रूप में अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि "पहुंचाने वाले व सूचना देने वाले व्यक्ति के बयान व एम्बुलेंस का रिकार्ड पत्रावली पर आज दिनांक तक संलग्न नहीं है।" साथ ही आगे इसी गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि "प्रदर्श पी-1 व पी-13 में बहला फुसलाकर ले जाने का तथ्य अंकित नहीं है और अनुसंधान अधिकारी के सम्पूर्ण अनुसंधान में आरोप पत्र दाखिल करने तक ऐसा कोई भी तथ्य नहीं आया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अभियुक्तगण रामस्वरूप मेहरा का अपहरण करके ले गये थे। न्यायालय में हितबद्ध सभी परीक्षित गवाहान ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि सुनीता एवं रामस्वरूप मेहरा घर से शराब पीकर राजी-खुशी गये थे।

Authenticated Document

12. विद्वान अधिवक्ता का आगे यह भी तर्क रहा है कि दोनों फरियादी अंजली व मोहित मेहरा एवं इनके साथ गये हुये गवाहान ने न्यायालय में इस बात को स्वीकार किया है कि यह लोग पुलिस से पहले घटना स्थल पर पहुंच गये थे। उस जगह पर पुलिस द्वारा जिन भी वस्तुओं की फोटोग्राफी करवायी गयी है, उन वस्तुओं के साथ, वहां पहुंचे फरियादी पक्ष के लोगों के द्वारा छेडछाड किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। साथ ही यह भी सम्भव है कि विधिक परामर्श प्राप्त करने के पश्चात फरियादीगण ने उक्त वस्तुओं को घटना स्थल पर रख दिया हो। प्रदर्श पी-1 पोस्टमार्टम की दिनांक के पश्चात सोच समझकर अनुसंधान अधिकारी के कहे अनुसार लिखी गई है। दिनांक 18.5.2020 को भंवर लाल द्वारा रामस्वरूप मेहरा को पानी पिलाने के पश्चात से दिनांक 19.5.2020 को रात्रि 9.30 बजे एमबीएस अस्पताल में कोविड वार्ड में एडमिट कराने तक तथा दिनांक 20.5.2020 को सुबह 10 बजे तक रामस्वरूप मेहरा जीवित अवस्था में कोविड-19 वार्ड में भर्ती हुआ था। जिसका कोविड टेस्ट नकारात्मक आया था और दिनांक 20.5.2020 को सुबह 10 बजे डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित किया गया था। जिसकी सूचना दिनाक 20.5.2020 को समय सुबह 11.35 बजे एमबीएस चोकी से सुखवन्त सिंह हेड कांस्टेबल ने थाना कैथून को दी क्योंकि घटना स्थल थाना कैथून के क्षैत्राधिकार का था। इस कारण एमबीएस चौकी से सूचना कैथून थाने को दी गयी। अनुसंधान अधिकारी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होनें घटना स्थल कैथून थाने का होने के कारण कोटा शहर पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षक से वार्तालाप किया था, उक्त वार्तालाप का कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में आज दिनांक तक संलग्न नहीं किया। साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि कैथून थानाधिकारी से भी उन्होंने बात की थी, उसके पश्चात भी इस प्रकरण का अनुसंधान पी.डब्ल्यू.-23 अनुसंधान अधिकारी द्वारा सम्बन्धित क्षेत्राधिकार वाले थाने को अग्रेषित नहीं किया गया।

13. विद्वान अधिवक्ता का आगे यह भी तर्क रहा है कि प्रदर्श पी-14 के अनुसार रामस्वरूप मेहरा को दिनाक 19.5.2020 को रात्रि में 9.30 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसका अर्थ यह है कि दिनांक 18.5.2020 से लेकर दिनाक 19.5.2020 को रात्रि 9 बजे तक रामस्वरूप मेहरा जीवित अवस्था में था लेकिन कहां पर था इसकी महत्वपूर्ण जांच अनुसंधान अधिकारी ने नहीं की है तथा दिनांक 18.5.2020 से लेकर दिनाक 19.5.2020 तक कुल 27 घंटो तक रामस्वरूप मेहरा जीवित था। इस 27 घंटों तक रामस्वरूप मेहरा कहां था इस बाबत अनुसंधान अधिकारी ने कोई भी अनुसंधान नहीं किया है तथा पी.डब्ल्यू.-11 राहुल कश्यप ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि "जंगल में जब रामस्वरूप की बॉडी

Authenticated Document

को उठाया था तो खून से लथ-पथ थी, मैंने नहीं देखी, मैंने पोस्टमार्टम से पहले रामस्वरूप जी की बॉडी नहीं देखी थी।" पी.डब्ल्यू.-11 राहुल कश्यप ने दिनांक 19.5.2020 को सुबह जाने की बात कही है।

14. उनका यह भी तर्क रहा है कि गवाहान पी.डब्ल्यू.-1 मोहित मेहरा, पी.डब्ल्यू.-4 अजली मेहरा, पी.डब्ल्यू.-11 राहुल कश्यप ने अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि पुलिस के घटना स्थल पर पहुंचने से पूर्व उक्त गवाहान घटना स्थल पर गये थे और उन्होंने घटना स्थल पर उन सभी वस्तुओं को देख लिया था। जिनकी फोटोग्राफी पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचने के पश्चात करवायी थी इसलिये इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि उक्त गवाहान के द्वारा घटना स्थल पर मौजूद वस्तुओं से छेड़छाड़ नहीं की गयी हो। मृतक की घटना स्थल पुलिया से 10-12 फुट दूरी पर होने की बात कही है जो पूरे प्रकरण में कहीं भी साबित नहीं है। उक्त प्रकरण फरियादी मोहित मेहरा द्वारा समस्त घटना को सोच समझकर विधिक राय के पश्चात पुलिस के संरक्षण में दर्ज कराया गया है। जिसमें सुनीता एवं बबलू को झूठा संलिप्त किया गया है क्योंकि प्रकरण के समस्त अनुसंधान में अनुसंधान अधिकारी द्वारा कोई भी साक्ष्य इस बात का संकलित नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतक का अपहरण कर उसकी हत्या कर हत्या करने के साक्ष्य को विलोपित कर दिया गया हो।

15. उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रस्तुत प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य का प्रकरण है जिसमें रामस्वरूप मेहरा की मृत्यु का कोई भी स्वतंत्र व चक्षुदर्शी साक्षी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। जो भी साक्षी पत्रावली पर उपलब्ध है वे या तो हितबद्ध या परिवार के अथवा मित्रजन साक्षी है अथवा पुलिस कर्मी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज होने से आरोप पत्र दाखिल होने तक तथा न्यायालय में समस्त गवाहान के परीक्षित होने तक अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य के इस प्रकरण में प्रत्येक कड़ी को आपस में संयोजित करने (जोड़ने) में असफल रहा है। उक्त प्रकरण के समस्त गवाहों के बयानों में भारी विरोधाभास है। जिससे अभियोजन अपने प्रकरण को न्यायालय में अभियुक्तगण के विरूद्ध सिद्ध करने में असफल रहा है। इस कारण अभियुक्तगण उक्त प्रकरण में दोषमुक्त किये जाने के हकदार है। उक्त प्रकरण में मृतक व अभियुक्तगण ने वक्त घटना शराब का अत्यधिक सेवन किया जिसके प्रमाण पत्रावली में उपस्थित है तथा डॉक्टर्स की रिपोर्ट द्वारा भी प्रमाणित किया गया है तथा साथ ही मृतक की मृत्यु वक्त घटना स्वयं की लापरवाही से प्राकृतिक मृत्यु है। जिन व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया है उनका मृतक के साथ होने के कारण झूठा संलिप्त किया गया है, जबकि पूरे प्रकरण में मारना, पीटना, छीना-झपटी कर कपड़े फाड़ना, झगड़ा, धक्का-मुक्की एव मोटिव इंटेशन, रंजिश

Authenticated Document

किसी भी गवाह ने साबित नहीं की है और आईपीसी की जिन धाराओं में उक्त प्रकरण दर्ज किया गया है उन सभी धाराओं में उक्त प्रकरण कहीं से भी प्रमाणित नहीं होता है। अतः अभियुक्ता सुनीता को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नजीर Pawan Kumar Sharma Vs Manoj Kumar & Ors. Criminal Appeal Nos, 1353-1355 of 2017 Dated 25.5.2026 पेश की जिसका ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

16. उभयपक्ष के पक्षकथनों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, प्रस्तुत नजीर का ससम्मान अध्ययन किया गया।

17. उभयपक्ष के पक्षकथनों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित प्रश्नगत आरोप के संबंध में पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो अभियोजन साक्षी सं. 1 मोहित ने सशपथ कथन किये हैं कि दिनांक 18.05.2020 की बात है। उसके पिताजी रामस्वरूप जिनकी उम्र लगभग 58 वर्ष थी अपने घर पर थे। वह भी घर पर ही था। उसके पिताजी की दोस्त सुनीता मेघवाल उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष और बबलू बैरवा सुबह लगभग 11 बजे बाइक हीरो होंडा स्पलेण्डर से घर आये थे और वो लोग उसके पिताजी को बाइक पर बिठाकर डीसीएम दाढदेवी की तरफ ले गये। फिर उसके पापा घर वापस नहीं आये। उन्होंने अपने पिताजी को तलाश किया पर उनका कोई भी पता नहीं लगा। फिर दिनांक 20.05.2020 को फोन पर जानकारी मिली कि सुनीता और बबलू को दाढदेवी के जंगलों ने मे गये हैं जिस पर उसने वहाँ जाकर तलाश किया तो उम्मेदगंज दाढदेवी रोड़ पर नाले की पुलिया के पास उसके पिताजी रामस्वरूप के खून लगे कपडे सफेद साफी और शर्ट तथा चप्पलें मिलीं जिस पर उसे सुनीता और बबलू पर शक हुआ कि उन्होंने उसके पिताजी की हत्या कर दी है। फिर वह थाने पर गया और वहाँ पर उसने तहरीरी रिपोर्ट दी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं जिसकी पुस्त पर भी ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। फिर दिनांक 20.05.2020 को पिताजी की डेड बॉडी मिली। उसने अपने पिताजी की लाश की शिनाख्त की थी जो प्रदर्श पी-2 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द पंचायतनामा लाश प्रदर्श पी-3 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसे लाश सुपुर्द की थी जिसकी फर्द प्रदर्श पी-4 है जिस पर ए से बी उसक हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष उसके पिताजी के खून आलूदा कपडे जब्त किये थे जिसमें एक शर्ट सफेद साफी एक चप्पल जब्त की थी जिसकी फर्द प्रदर्श पी-5 बनाई जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल की फोटोग्राफी उसके समक्ष की गई

Authenticated Document

जिसकी फर्द प्रदर्श पी-6 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-7 बनाया जिस पर ए से बी दो स्थानों पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस को उसने वह स्थान जहाँ से सुनीता और बबलू उसके पिताजी को बिठाकर ले गये थे वह स्थान पुलिस को बताया था जिसकी फर्द प्रदर्श पी-8 पर ए से बी दो स्थानों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस में बयान दिये थे। उसके अदालत में भी मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान हुए थे। गवाह के बयान 164 दंप्रसं. का लिफाफा खोले जाने पर गवाह ने प्रदर्श पी-9 बयान पर ए से बी दो स्थानों पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं।

18. अधिवक्ता अभियुक्ता सुनीता की ओर से की गई जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि सुनीता उसके पापा की दोस्त थी, इसका उनके घर में खूब आना जाना था, उसके पापा भी इसको लेकर घूमते रहते थे, दोनों में सबंध थे, उसके पापा और सुनीता का आपस में कोई लडाई झगडा नहीं था, उस दिन भी सुनीता उसके घर आई थी। गवाह ने इस तथ्य से इंकार किया कि जब सुनीता उसके घर आई उस समय वह घर पर मौजूद नहीं हो, बल्कि वह वहीं था। गवाह ने स्वीकार किया कि जब सुनीता उसके घर आई तब उसके पापा और उसने दोनों ने साथ में शराब पी-थी। गवाह ने कथन किया है कि दोनों हंसते खेलते उस समय बातें कर रहे थे। गवाह ने स्वीकार किया कि सुनीता और उसके पापा साथ में ही गए थे फिर कहा कि पापा को सुनीता लेकर गयी थी, उसके पापा ने सुनीता के कहने पर बाहर जाने का कोई आब्जेक्शन नहीं किया। गवाह ने कथन किया है कि जिस दिन उसके पापा गये और शाम तक नहीं लौटे तब उसकी बहिन रिपोर्ट लिखाने गई थी, जब अंजली ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई तब उसके पिता और सुनीता साथ चले गये थे यह उनकी जानकारी में था, बबलू साथ गया था उसकी जानकारी में नहीं था। गवाह ने कहा कि सुनीता और बबलू के साथ उसके पिताजी के जाने की बात उसकी जानकारी में थी। गवाह ने कथन किया है कि उसने पुलिसवालों को इस बारे में बताया था कि तीनों साथ गये थे, गुमशुदगी के बारे में थाने में लिखित में दिया था, उसकी बहिन ने रिपोर्ट लिखी थी, उसकी बहिन ने उसे रिपोर्ट के संदर्भ में बताया था, उसके पिता और सुनीता शराब पीकर जब घर से बाहर गये तब एक बार वापस आये थे। गवाह ने कहा कि शराब पीकर जब घर से गये तब वापस नहीं आये। गवाह ने इस तथ्य से इंकार किया कि उसके पिता और सुनीता के घर से जाते समय वह घर पर नहीं था। गवाह ने कथन किया है कि जब उसने रिपोर्ट लिखाई उसके पहले पुलिसवाले उसे जंगल ले गये थे। गवाह ने स्वीकार किया कि पुलिसवालों ने उसे बताया था कि यहाँ आपके पिताजी की लाश पडी है और वहाँ उनके कपडे पड़े हैं। गवाह ने कथन किया है कि फिर वहां से पुलिसवाले उसे अस्पताल लेकर आये,

Authenticated Document

मोर्चरी में लेकर गये थे, पुलिसवाले उन्हें जंगल में 18 या 19 तारीख को ले गये थे, उसी दिन पुलिसवालों ने उसे उनके द्वारा पहने हुए कपडो और सामानों के बारे में बताया था उन्होंने पहले रिपोर्ट लिखाई थी बाद में पोस्टमार्टम हुआ था, रिपोर्ट लिखाने की तारीख और समय आज ध्यान नही है। गवाह ने स्वीकार किया कि पहले पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद रिपोर्ट लिखाई।

19. अधिवक्ता अभियुक्त बबलू की ओर से की गई जिरह में गवाह ने कथन किया है कि वह जयुपर शहर में लाख का काम करता है, वह जब जयपुर से कोटा आया तब लॉकडाउन था फिर कहा कि लॉकडाउन थोडा खुल गया था, वर्ष 2020 में बयान हुए थे तारीख याद नहीं है, उसकी बहिन ने उसके पिताजी के गुम हो जाने की रिपोर्ट पुलिस थाना गुमानपुरा में दी थी। वह भी अपनी बहिन के साथ थाने गया था, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 उसकी बहिन की कलमी है। गवाह ने स्वीकार किया कि उसने तहरीरी रिपोर्ट पैन से नहीं लिखी। गवाह ने कथन किया है कि थाने में उसे जब बुलाया वह तभी गया था, प्रदर्श पी-2 लगायत प्रदर्श पी-8 पर हस्ताक्षर थाने पर किये थे, सुनीता उसके पिताजी के पास पहले भी आती जाती थी इस बारे में जानता था, सुनीता उसके पापा और बबलू को उसने मोटरसाइकिल पर एक साथ जाते देखा था, मोटरसाइकिल हीरो होंडा थी जिसके नम्बर याद नहीं है, उसके घर से जाते समय आस-पास मकान वालों के मकान में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, रोड पर कैमरे लगे तो उसे नहीं पता, घटना के दिन सुनीता ने उसके घर पर पिताजी के साथ बैठकर शराब पी-थी। गवाह ने स्वीकार किया कि सुनीता और उसके पापा घर से साथ ही निकले थे, लगभग सुबह के ग्यारह बजे घर से निकले थे। गवाह ने कथन किया है कि जब ये लोग निकले तो वह घर पर ही था, उसके घर से पुलिस चौकी वाला रोड का लगभग दो तीन मिनट का रास्ता है, अदालत से मैन रोड़ तक का होगा। गवाह ने इस तथ्य से इंकार किया कि उस समय लॉकडाउन हो बल्कि खुल गया था पब्लिक का आवागमन शुरू हो गया था, उसने जिन फर्दो पर हस्ताक्षर किये थे वह पुलिस वालों ने पढ़कर नहीं सुनाये हों।

20. अभियोजन साक्षी संख्या-4 अंजली ने सशपथ कथन किये हैं कि उसके पिताजी दिनांक 18.05.2020 को सुनीता के साथ बाइक पर बैठकर बाहर गये थे। उसकी बहिन उस दिन उनके घर पर आई हुई थी जो ससुराल जाने को थी। फिर उसने पापा को घर पर आने के लिए फोन लगाया। पापा का फोन नहीं लगा और नोट रिचेबल बताया। फिर उसने देर रात भी फोन लगाया तो स्विच ऑफ आया। फिर वह रात को गुमानपुरा थाने पर गई वहां उसने पापा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट उसने दिनांक 19.05.2020 को लिखाई थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। रिपोर्ट लिखवाने के बाद उसने घर

Authenticated Document

आकर पापा को तलाश किया। फिर सुनीता आंटी का फोन उसके पास आया और उन्होनें बताया कि उसके पापा को दाढदेवी रोड पर तीन पुलिया है वहां घर जाकर देखो। फिर थोडी देर में उसने उन्हें फोन लगाया तो उनसे बात नहीं हुई क्योंकि वह किसी दूसरे के फोन से फोन किया था। फिर वह उनके द्वारा बताई गई जगह पर गई और तलाश किया तो वहां पर उसे पापा की खून में रंगी हुई शर्ट, साफी और चप्पल मिली। पापा उसे वहाँ नहीं मिले। फिर उसने पुलिस को सूचना की फिर पुलिस वाले घटना स्थल पर गये और वहाँ की जांच की। फिर वह घर आ गई। उसने पुलिस को अपने बयानों में बताया था कि उसके पिताजी के साथ बबलू और सुनीता गये थे उन्होनें ही उसके पापा की हत्या की है।

21. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्ता सुनीता ने कथन किया है कि उस दिन घर पर वह, उसकी दीदी, उसके जीजाजी, उसका भाई, सुनीता आंटी और पापा मौजूद थे। गवाह ने स्वीकार किया कि उसके पिताजी की सुनीता आंटी के साथ अच्छी दोस्ती थी, उस दिन सुनीता आंटी और पापा ने साथ बैठकर ड्रिंक भी की थी। गवाह ने कथन किया है कि पहले जब उसके पापा और सुनीता आंटी गए थे तो साथ में वापस भी आए थे। गवाह ने स्वीकार किया कि उसने अपने पापा को सुनीता आंटी के साथ घर से जाते हुए देखा था, सुनीता आंटी ने उससे यह कहा था कि आप भी अपने पापा को ढूंढो और में भी ढूंढ रही हूं, घटना स्थल सुनीता आंटी ने ही उसे फोन पर बताया था। गवाह ने कथन किया है कि पोस्टमार्टम रूम में नहीं लेकर गये थे। पहले उसके पिताजी का इलाज भी चला है, उसके पिताजी के अस्पताल में भर्ती होने और इलाज के बारे में पुलिसवालों ने उसे बताया था। गवाह ने इस तथ्य से इंकार किया कि सुनीता ने उसे यह भी बताया हो कि वे दाढदेवी जंगल में घूमने गये हों तब बबलू ने सुनीता और रामस्वरूप के साथ मारपीट कर पुलिया से धक्का दे दिया और सुनीता ने उसे और पुलिसवालों को पूरा सहयोग किया हो।

22. दौराने जिरह अधिवक्ता अभयुक्त बबलू गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-13 उसकी कलमी है, प्रदर्श पी-13 उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। गवाह ने कथन किया है कि तहरीरी रिपोर्ट उसने दिनांक 19.05.2020 को लिखवाई थी, थाने पर जाने का समय याद नहीं है, वह तो दिनांक 18.05.2020 को भी रात को थाने पर शिकायत के लिए गई थी, समय याद नहीं है, उस समय पुलिसवालों ने रिपोर्ट लिखने से मना किया और कहा कि 24 घंटे तक इंतजार करो, प्रदर्श पी-13 में किसी का नाम अंकित नहीं है। गवाह ने इस तथ्य से इंकार किया कि इस रिपोर्ट में नाम अंकित नहीं हो बल्कि नाम सुनीता अंकित है। गवाह ने स्वीकार किया कि जिस समय उसके पिताजी घर से गये थे उस समय वहां पर वह, उसके जीजाजी विष्णु, जीजी मीना भाई मोहित मौजूद थे। गवाह ने कथन किया है कि दिनांक

Authenticated Document

18.05.2020 और 19.05.2020 को थाने पर गये थे तो उसका भाई मोहित उसके साथ गया था, मोहित भी उसके साथ गया था परंतु मोहित कम पढ़ा लिखा है इसलिए उसके हस्ताक्षर नहीं कराये। गवाह ने स्वीकार किया कि दाढदेवी वाले स्थान पर उसे लाश नहीं मिली थी, उसके पिताजी को अस्पताल में किसने भर्ती कराया उसे नहीं पता, कैथून व गुमानपुरा पुलिस ने उसे और उसके भाई मोहित को उसके पिताजी के अस्पताल में भर्ती होने के संबंध में नहीं बताया था। गवाह ने कथन किया कि उसे और उसके भाई मोहित को नहीं पता कि उसके पिताजी को किसने अस्पताल में भर्ती कराया था, वह और उसका भाई घटना स्थल पर अकेले गये थे, पुलिसवालों ने उन्हें नहीं कहा फिर बाद में उसने पुलिसवालों को फोन करके बुलाया, पुलिसवाले ने उसके बयान किस दिनांक को लिये थे आज ध्यान नहीं है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि एक बार ही उसके बयान पुलिसवाले ने लिये थे, किस पुलिस अधिकारी ने लिये उसे नहीं पता। गवाह ने स्वीकार किया कि उसके पिताजी जब सुनीता के साथ घर से बाहर गये थे तो वह बस घर के दरवाजे तक ही गई थी।

23. अभियोजन साक्षी संख्या-14 विष्णु ने सशपथ कथन किये हैं कि वह भवानीमंडी का रहने वाला है। उसकी शादी मीना कुमारी पुत्री रामस्वरूप रो हुई थी। वह अपनी पत्नी की डिलेवरी करवाने 22 फरवरी 2020 में कोटा आया हुआ था। मीना को वह साथ लेकर आया था। घटना के दिन मीना के पापा सुनीता के साथ में गये थे कहां गये थे पता नहीं। सुनीता सुबह खुद घर पर आई थी। उस समय वे लोक चाय पी रहे थे उसकी उसके ससुर से बात हुई थी। सुनीता ने ससुर को 500 रुपये दिये और दारू का क्वार्टर लाने को कहा। उसके ससुर वहाँ से पैसे लेकर गये और दारू के क्वाटर और साथ में नाश्ता भी लेकर आये उन लोगों ने घर पर ही बैठकर दारू पी। फिर वो दोनों वहाँ से उठकर चले गये। फिर थोडी देर बाद उसके ससुर वापस सुनीता के साथ ही आये और शर्ट पहनकर वापस चले गये। उसके बाद वे लोग घर पर ही थे। कुछ समय बाद उन्होंने उनको कॉल किया लेकिन उनका कॉल नहीं लग रहा था। उसने उसके साले को बोला कि उनको एक बार देखकर ढूंढकर आ। उसका साला देखने गया तब वो नहीं मिले। उसी दिन उन्हें भवानीमडी के लिए निकलना था फिर वह उसकी पत्नी और बच्चा गाडी करके निकल गये। अगले दिन उन्हें कॉल आया कि उसके ससुर नहीं रहे। वे वापस गाड़ी करके तुरंत अगले दिन आये। उसने लाश देखी थी पुलिस ने लाश का पंचायतनामा करवाया था जो प्रदर्श पी-3 है जिस पर के से एल उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-8 बनाया जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं।

Authenticated Document

24. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्ता सुनीता गवाह ने कथन किया है कि उसकी पत्नी और वह 22.2.2020 को कोटा आये थे, उसकी शादी मार्च 2016 में हुई थी, 22 फरवरी 2020 को कोई काम नहीं करता था, सुनीता सुबह 9.00-10.00 के करीब आई थी तारीख उसे याद नहीं है, वह सुनीता को पहले से नहीं जानता था। गवाह ने स्वीकार किया कि दिनांक 22 फरवरी से घटना वाले दिन तक उसने सुनीता को कभी भी घर पर आते हुए नहीं देखा था। गवाह ने कथन किया है कि सुनीता सीधे घर के अंदर आई थी जहाँ वे लोग चाय पी रहे थे, उसके ससुर और सुनीता के बीच में उसके सामने कोई बातचीत नहीं हुई थी, उसे उसकी पत्नी ने सुनीता का नाम बताया था, उसके ससुर और सुनीता के बीच क्या वार्तालाप हुआ उसे नहीं पता, सुनीता ने उसके सामने उसके ससुर को 500 रूपये नहीं दिये थे, उसके ससुर सुनीता के साथ बाहर के बाहर ही चले गये थे, 15 से 20 मिनट में वो दोनों वापस आ गये थे, वो दोनों घर के अंदर ही आये थे, 15 से 20 मिनट में उन्होंने शराब पी-ली थी, उसके ससुर सुनीता के साथ जब दुबारा गये तो बिना कुछ कहे हुए घर से गये थे।

25. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्ता सुनीता गवाह ने यह भी कथन किया है कि उसके ससुर ने उससे कुछ नहीं कहा था, उसक ससुर घर से किस वाहन से गये क्योंकि वह घर के अंदर था, उसे उसके ससुर की मौत की सूचना मिलने के बाद कोटा आने की तारीख याद नहीं है न ही उसे कोटा से जाने की दिनांक ध्यान है, वह सूचना मिलने के अगले दिन ही आ गया था। गवाह ने स्वीकार किया कि वह दिनांक 18.05.2020 को अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने घर भवानीमण्डी चला गया था। गवाह ने कहा कि तारीख का उसे ध्यान नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया कि जिस दिन उसके ससुर सुनीता के साथ गये थे उस दिन में उसकी पत्नी के साथ भवानीमण्डी आ गया था, उसके ससुर के साथ होने की सूचना मिलने के अगले दिन ही वह और उसक पत्नी कोटा आये थे, सुनीता और उसके ससुर घर से एक साथ प्रेम पूर्वक गये थे उनके बीच कोई झगडा नहीं हुआ था। गवाह ने कथन किया है कि सूचना मिलने के अगले दिन वे सबसे पहले घर दिन के 11-12 बजे करीब पहुंचे थे, आधा घण्टा वे घर पर रुककर के मोर्चरी पहुंच गये थे, उसे प्रदर्श पी-3 पर अन्य गवाहान के नाम याद नहीं है अज खुद कहा कि याद है जिनके नाम मोहित और एक का नाम याद नहीं है। गवाह ने कथन किया है कि मृतक के शरीर पर कोई चोट थी या नहीं उसे याद नहीं है क्योंकि समय बहुत हो गया है, वह दिशाओं के बारे में जानता है, नक्शा प्रदर्श पी-8 मोर्चरी में बनाया था कितने बजे करीब बनाया था तारीख और समय उसे याद नहीं है।

Authenticated Document

26. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्ता सुनीता गवाह ने यह भी कथन किया है कि 2.00 पीएम तक वे लाश लेकर मोर्चरी से चले गये थे, उसने नक्शे मौके पर साइन किये थे सबसे पहले किसने किये थे याद नहीं हैं, उसने उसके साले और पुलिस वाले के कहने पर साइन किये थे, नक्शे मौके में पूरब- पश्चिम- उत्तर- दक्षिण में क्या बनाया था उसे याद नहीं है, उसने तो साइन किये थे, नक्शा मौका किसलिए और किस जगह का बनाया जा रहा है यह उसे नहीं बताया गया था और यह भी नहीं बताया गया था कि क्यों बनाया जा रहा है। गवाह ने स्वीकार किया कि उसने उसके ससुर को मोटरसाइकिल पर या किसी अन्य वाहन पर जाते हुए नहीं देखा, उसके ससुर कब कहां किसके साथ गये घर से तो सुनीता के साथ ही गये थे, भवानीमण्डी जाने से पूर्व और पश्चात् कोई भी वार्तालाप उसके ससुर से उसका नहीं हुआ। गवाह ने स्वीकार किया कि उसके ससुर शराब पीकर अच्छे खासे नशे में थे, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी के साथ जाये तो उसे अपहरण नहीं कहते, उसकी पत्नी ने उसे यह बताया था कि सुनीता आंटी का उसके ससुराल में अच्छा खासा आना जाना था व प्रेम पूर्ण व्यवहार था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि घटना वाले दिन या उसके पूर्व या उसके बाद उनके मध्य में कोई विवाद नहीं था। गवाह ने कथन किया है कि उसके ससुर सुनीता आंटी से उम्र में काफी बड़े थे। गवाह ने सवीकार किया कि घटना कब कैसे क्यों और कहां हुई उसे पता नहीं है उसे मात्र ससुर के मृत्यु होने की सूचना मिली थी।

27. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त बबलू गवाह ने कथन किया है कि उसे तारीख महिना व साल याद नहीं कि किस दिन उसके बयान लिये गये थे, किस अधिकारी ने उसके हस्ताक्षर करवाये थे उसका नाम याद नहीं है और किन-किन व्यक्तियों ने साइन किये थे उसे याद नहीं है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि उसने एक दो कागजों पर ही साइन किये थे जो मोर्चरी पर ही किये थे उसके अलावा उसने और कहीं पर भी साइन नहीं किये, वह तो जब भवानीमण्डी से कौनसे दिन आया और कौनसे दिन गया उसका तारीख महीना याद नहीं है।

28. अभियोजन साक्षी संख्या-20 मीना ने सशपथ कथन किये हैं कि उसके पिताजी का नाम रामस्वरूप है उनकी मृत्यु हो चुकी है। उसकी शादी वर्ष 2016 हुई थी। उसके दो बच्चे हैं और वह अपने पापा के घर सन् 2020 फरवरी में डिलिवरी के लिए आई थी। उसे आठवां महीना चल रहा था, 27 अप्रैल को उसके बेटा हुआ और उसके बाद वह अपने पिताजी के घर पर ही रही। दिनांक 18.05.2020 को सुबह वे सब सो रहे थे तब सुनीता उनके घर पर आई। घर के अन्दर आकर उसने उसको उठाया और कहा कि उसे शराब पीनी है और उसके पापा को पैसे देकर शराब लाने के लिए कहा। उसके बाद उसके पापा शराब लेने चले गए और लाकर उसको दे

Authenticated Document

दिया। फिर सुनीता टीकम की होटल के पास चौराहे पर चली गई। उसके बाद फिर उसके पापा को फोन करके होटल के पास बुलाया। उसके पास उस समय बनियान में ही गये थे उसके बाद पापा वापस शर्ट पहनने आए। शर्ट पहनकर सुनीता के साथ चले गए। सुनीता ने बोला की चलो घूमाकर लाती है। सुनीता के साथ एक लडका और था जिसका नाम बबलू था। वो तीनों मोटरसाइकिल पर बैठकर वहाँ से चले गए। उसके बाद उन्होंने पापा को फोन किया तो फोन नहीं लगा। फिर उसे भवानीमण्डी जाना था इसलिए वह पापा का इंतजार कर रही थी। दोपहर तक वह घर पर ही थी। पापा का फोन लगातर बंद आ रहा था। फिर इंतजार करके वह अपने पति के साथ ससुराल चली गई। वह रास्ते में भी पापा को फोन लगाती रही परन्तु फोन नहीं लगा। शाम तक पापा वापस नहीं आए। अगले दिन उसकी बहिन ने चौकी में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई क्योंकि 24 घंटे से पहले रिपोर्ट दर्ज नही होती। उन्होंने फिर अपने पापा को ढूंढना शुरू किया। वह अपने परिवार के साथ बराबर संपर्क में थी। सुनीता उसके पापा को ले जाने के अगले दिन उसके पीहर के घर पर आई थी और उसने पूछा कि तेरे पापा घर पर आए कि नहीं और कहा कि उन्होंने तो तेरे पापा को बहुत पहले ही छोड दिया। उसने बाद मे फोन पर भी उसके पापा के बारे में पुछा था। बाद में डाढदेवी के जंगल में पुलिया के साइड मे उसके पापा की लाश मिली थी। पापा के जूते चप्पल और शर्ट भी वहीं मिली थी और आस-पास खून के निशान भी मिले थे। उन्होंने पापा की लाश मोर्चरी ने देखी थी। उनको 108 एम्बुलेस में लेकर आए थे। सुनीता ही उसके पापा को घर से लेकर गई थी। बबलू और सुनीता ने मिलकर उसके पापा की हत्या कर दी। सुनीता ने उन्हें बहुत गुमराह किया।

29. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण गवाह ने कथन किया है कि वह दिन में दो बजे अपने पति के साथ भवानीमण्डी निकल गई थी, उसके पापा उसक सामने सुबह 9 से 9:30 बजे के लगभग गए थे, जब उसके पापा घर से गए तब वह घर पर ही थी। गवाह ने स्वीकार किया कि उसके पापा घर से गए तो वे अकेले ही गए थे। गवाह ने यह भी कथन किया है कि घर से मेन रोड की दूरी कितनी उसे पता नहीं है किन्तु उन्हें पांच से सात मिनट का समय लगता है मेन रोड से घर जाने में। गवाह ने स्वीकार किया कि घटना वाले दिन वह घर से बाहर निकली नहीं थी, उस दिन 18.05.2020 को लॉकडाउन था। गवाह ने कथन किया है कि सिर्फ आटा चक्की और राशन की दुकान खुली रहती थीं और बाकी सारी दुकाने बंद रहती थी, सिर्फ दुकानों पर सामान खरीदने वाले आ-जा सकते थे, वह भवानीमण्डी शाम को लगभग 4 से 4:30 तक पहुंची थी। गवाह ने स्वीकार किया कि वह उस दिन या किसी भी दिन थाने पर नहीं गई, पुलिस वालों ने उसका बयान न्यू बसस्टैण्ड जहाँ पर चौकी बनी हुई है, किस अधिकारी ने बयान लिए थे उसका नाम पता उसे याद

Authenticated Document

नहीं है, तारीख उसे याद नही है किन्तु मई का महीना था और वर्ष 2020 में लिए गए थे, उसके 25 से 26 तारीख के लगभग पांच से छः दिन बाद बयान लिए गए थे, उसके पापा को अस्पताल में कौन लेकर गया यह उसे पता नहीं है, वह सीधे भवानीमण्डी से सीधे उसके पापा के घर पर आ गई थी। गवाह ने यह भी कथन किया है कि वह अस्पताल पर भी नहीं गई, घर पर ही थी, उसके सामने पुलिस वालों ने कोई कार्यवाही नहीं की, लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुली थी या नहीं यह उसे पता नही है, उसने यहाँ के अलावा कहीं और बयान नहीं दिए। गवाह ने स्वीकार किया कि उसने उसके पापा को कहीं भी नहीं ढूंढा था। गवाह ने कथन किया है कि भवानीमण्डी से कोटा आने के बाद वह घटनास्थल पर नहीं गई थी, सुनीता उनके घर पर दिनांक 18.05.2020 को पहली बार सुबह 9 बजे के करीब आई थी। गवाह ने इस तथ्य से इंकार किया कि सुनीता ने उसे उठाया है अजखुदकहा कि वह तो पहले से ही उठी हुई थी। गवाह ने स्वीकार किया कि उस दिन लॉकडाउन था, शराब पीने बाबत सुनीता ने उससे तो कोई बातचीत नहीं की अजखुद कहा कि उसने सुनीता को पिताजी को कहते हुए सुना था, वह अपने पिताजी को देखने घर से बाहर नही गई थी। गवाह ने कथन किया है कि उसके पिताजी की उम्र 58 साल थी, उसके पिताजी को मुंह का कैंसर था। गवाह ने स्वीकार किया कि उसके पिताजी शराब पीते रहते थे, वह सुनीता से दिनांक 18.05.2020 से आज दिनांक तक नहीं मिली है, सन 2020 से तीन वर्ष पूर्व से ही सुनीता का उनके घर आना-जाना था, उसके पापा और सुनीता के मध्य में अच्छा रिश्ता व व्यवहार था, उसे यह नहीं पता कि उसके पापा व सुनीता के मध्य कोई झगडा था या नहीं, उसके पिता व सुनीता के मध्य कोई रंजिश नहीं थी और उसने सुनी भी नही थी। गवाह ने कथन किया है कि उसकी माता की मृत्यु सन् 2017 में हुई थी। गवाह ने स्वीकार किया कि दिनांक 18.05.2020 को कहां गए थे यह उसे पता नहीं है। गवाह ने कहा कि उसे कुछ बताकर नहीं गए थे। गवाह ने कथन किया है कि बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श डी-1 के ए से बी भाग में अपहरण करने वाली बात गलत लिखी हुई है। गवाह ने स्वीकार किया कि उसके पिता के साथ क्या घटना हुई उसने नहीं देखा है और उसने जैसा सुना वैसा बोल दिया है। गवाह ने स्वीकार किया कि पुलिस ने उससे ना तो किसी प्रकार की कोई भी रिकार्डिंग ली और ना ही उन्होंने किसी भी प्रकार की रिकार्डिंग पुलिस को दी।

30. अभियोजन साक्षी संख्या-15 भँवरलाल उर्फ पप्पू ने सशपथ कथन किये हैं कि वह डाढदेवी माताजी के मंदिर के पास में दुकान चलाता है। लगभग दो वर्ष पहले की बात है। वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था तभी वहाँ पर सुनीता एक मोटरसाइकिल वाले के साथ आयी और उसने उससे कहा कि पानी पिला दो। उसने

Authenticated Document

उसे पानी पिला दिया फिर उसने कहा कि वे तीन जने माताजी पर घुमने आये थे तो उनके साथ एक लड़का और था और वो उन्हें खाल में धक्का देकर गिरा गया। वो उनका मोबाइल लेकर भी भाग गया। उसने उसे कहा कि उसे भी पानी पिलाना है। वहाँ साधन नहीं था तो वह अपनी मोटरसाइकिल पर उस महिला को बिठा कर उसको पानी की बोतल देकर लगभग डेढ किलोमीटर दूर गया। वहाँ जाकर देखा कि एक डोकरा खाल में पड़ा हुआ था। उसने उसे जाकर पानी पिलाने के लिए उठाने की कोशिश की वो उठा परन्तु उसने पानी नहीं पिया गया। फिर उसने सुनीता से कहा कि किसी को बुला लो और उसके फोन से फोन कर दो पर उसने उसके फोन से फोन नहीं किया बल्कि यह कहा कि वह जाकर अपने बच्चे के साथ ऑटो लेकर आएगी और फिर उसका इलाज जारी करवाएगी। सुनीता जब उसके पास पानी पीने आयी थी तो किसी व्यक्ति की मोटरसाइकिल पर बैठ कर आयी थी और वो व्यक्ति उसको उतार कर मंदिर पर चला गया। फिर वह अपनी दुकान पर वापस आ गया था। गवाह ने हाजिर अदालत मुलजिमा सुनीता को देखकर पहचाना और कहा कि यही महिला उसकी दुकान पर आयी थी।

31. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त बबलू गवाह ने कथन किया है कि उसके पुलिसवाले बयान लेने आये थे, कौनसा पुलिस वाला आया था उसका नाम पता उसे पता नहीं है, पुलिसवालें कौनसे थाने के थे उसे पता नहीं है, पुलिसवाले 20-25 मिनट रुके थे, उसके बाद पुलिसवाले न उसके पास आये और न ही वह थाने पर गया था।

32. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्ता सुनीता गवाह ने इस तथ्य से इंकार किया कि सुनीता ने शराब नहीं पी-रखी हो बल्कि सुनीता ने शराब पी-रखी थी। गवाह ने कथन किया है कि जो डोकरा खाल में गिरा हुआ था उसने भी पी-रखी थी, जब डोकरे को उठाया तब वो नशे में धुत्त था और बेहोशी की हालत में भी था, खाल सडक से लगभग 4 फुट गहरी होगी। गवाह ने स्वीकार किया कि जब वह डोकरे के पास पानी पिलाने गया तब वो जिंदा था, उस डोकरे की सार संभाल सुनीता ही कर रही थी वही पानी लेने उसके पास आयी थी। गवाह ने कथन किया है कि खाल से उसकी दुकान की दुरी लगभग डेढ से पौने दो किलोमीटर है। गवाह ने स्वीकार किया कि वह सुनीता को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा कर खाल जहाँ पर वह डोकरा पड़ा था वहीं पर गया था। गवाह ने कथन किया है कि पानी पिला कर वह तो उस खाल से अपनी दुकान पर चला गया था उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसे पता नहीं है। गवाह ने इस तथ्य से अनभिज्ञता प्रकट की कि डोकरा उस खाल में कैसे गिरा क्यों गिरा। गवाह ने स्वीकार किया कि खाल पर सुनीता, वह और डोकरा ही थे और कोई भी वहाँ पर नहीं था।

Authenticated Document

33. अभियोजन साक्षी संख्या-13 गोविन्द उर्फ बंटी ने सशपथ कथन किये हैं कि वह तीन साल पहले रायपुरा डीसीएम के पास संजीव पेट्रोल पम्प के पास संजय की दुकान पर काम करता था। वहाँ पर उसके गाँव का बबलू आया था पानी की बोतल, ककडी लेकर चला गया था। उसकी दुकान पर अकेला आया था उसके साथ कौन आया था उसे पता नहीं है। उसने किसी को उसके साथ नहीं देखा। उक्त गवाह को लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया।

34. दौराने जिरह लोक अभियोजक गवाह ने कथन किया है कि पुलिस बयान प्रदर्श पी-20 पर ए से बी उसके नाम पता अकित हैं, सी से डी भाग पढ़कर सुनाया बयान से इंकार किया। गवाह ने कहा कि पुलिस ने बयान तो लिये थे। गवाह ने यह भी कथन किया है कि बबलू के बारे में बयान लिये थे, दूसरे दिन पुलिस वाले आये थे पुलिसवालों ने बताया कि बबलू ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी थी, पुलिसवाले ये ही पूछने आये कि बबलू उसके पास आया था या नहीं, बहुत समय हो गया इसलिए उसे बबलू के आने की तारीख याद नहीं है और उसने पुलिस को तारीख बता दी क्योंकि उस समय उसे तारीख याद थी। उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्ता सुनीता को जिरह का अवसर दिया गया किन्तु उनकी ओर से कोई जिरह नहीं की गई।

35. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त बबलू गवाह ने कथन किया है कि उसके पुलिस ने बयान लिये थे किन्तु अधिकारी का नाम उसे पता नहीं है बयान दुकान के सामने लिये थे, वह बबलू को गाँव का होने की वजह से जानता हूँ, बबलू वहाँ से कहाँ गया उसे पता नहीं है वह तो दुकान पर काम करता है, उसे बबलू के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

36. अभियोजन साक्षी संख्या-3 डॉ. अरुण शर्मा ने सशपथ कथन किये हैं कि दिनांक 23.05.2020 को उसने एमबीएस अस्पताल कोटा में मेडिकल ज्यूरिष्ट के पद पर रहते हुए थानाधिकारी गुमानपुरा की तहरीर पर रविन्द्र कानि० 115 द्वारा लाए गए मजरूब(अभियुक्त) बबलू पुत्र रामकल्याण बैरवा की चोटों का मुआयना किया था जिसके शरीर पर निम्न चोटें थीं-

1. खरोंच 1 गुणा डेढ सेमी० जिस पर सूखा खुरंड आया हुआ था जो कि सिर घर फंटल क्षेत्र पर स्थित था
2. चमडी उखड गई थी जो डेढ गुणा डेढ सेगी० आकार की तथा बाएं अगूठे के दूर वाले पोरूए पर स्थित थी।

दोनों चोटें साधारण प्रकृति की थी और कुद आलय से कारित थी और दो से पांच दिन के भीतर की थीं। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-11 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी मजरुब का पहचान चिंह है।

Authenticated Document

37. गवाह ने यह भी कथन किया है कि उसी दिन मजरूबा सुनीता (अभियुक्ता) पत्नी रामदयाल मेघवाल की चोटों का मुआयना किया था जिसके शरीर पर निम्न चोटें थीं-

1. पिन प्वाइंट खरोंच सिर में पीछे की ओर दाई तरफ ऑक्सीपिटल क्षेत्र में
2. दो लकीरनुमा खरोंचे जो कि 3 सेमी० और 25 सेमी० आकार की दाई मुजा के निचले भाग पर बाहर की ओर
3. दो खरोंचें 3 सेमी० आकार की दाई भुजा पर बाहर की ओर चोट न० 2 से जस्ट नीचे
4. दो लकीर नुमा खरोचें 4 सेमी० गुणा 5 सेमी० आकार की जो कि दाहिनी अग्र भुजा की उपरी भाग में पृष्ठ जऔर बाहरी भाग पर स्थित थीं एवं जिनका खुरड कहीं कहीं पर गिरा हुआ था
5. लकीरनुमा बोट 2 सेमी० लम्बी दाहिनी कलाई पर अंदर की ओर
6. लकीरनुमा खरोंच 6 सेमी० लबी दाई अग्र भुजा के पृष्ठ भाग पर मध्य में
7. बहुत सारी खरोचें एक चार सेमी० एवं एक सेमी० आकार की जिस पर पिन चुभाने जैसा निशान आया हुआ था। दोनों हाथों पर उंगलियों पर चुभाने के मार्क स्थित थे
8. चार खरोंचे डेढ गुणा 1/6 सेमी० एवं लकीरनुमा बाई भुजा के अंदर की ओर
9. चार खरोंचे दो सेमी० से लेकर 175 सेमी० आकार की गर्दन पर दाई तरफ
10. लकीरनुमा खरोच 5 सेमी० लम्बी कधे तक पीछे
11. लकीरनुना खरोच 6 सेमी० लम्बी दाए कधे तक पीछे की ओर

सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी और कुंदआले से कारित थी और दो से पाच दिन के भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-12 है जिस पर ए से बी उसके दो स्थानों पर हस्ताक्षर, सी से डी मजरूब का पहचान चिंह है।

38. दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि कंटीली झाडियों में गिरने और गिरा देने से उक्त चोटों के आने की संभावना से इकार नहीं किया जा सकता। गवाह ने स्वीकार किया कि उक्त चोटें स्वयं कारित नहीं थीं, मेडिकल करते समय उसके द्वारा मजरूबान की कोई आईडी नहीं ली, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-11 में वर्णित चोटें गिरने पड़ने से और फिसलने से भी आ सकती हैं।

39. अभियोजन साक्षी संख्या-8 अफजल ने सशपथ कथन किये हैं कि रामस्वरूप मेहरा उसके दोस्त के पिताजी थे उनकी हत्या हो चुकी है, पुलिस ने उसके और राहुल कश्यप के सामने उम्मेदगंज दाडढदेवी रोड़ नाले के पास से एक साफी एक शर्ट एक जोडी चप्पल एक साड़ी का टुकड़ा खून सना जब्त किया थे जिसकी फर्द प्रदर्श पी-5 है जिस पर सी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। गवाह ने यह भी

Authenticated Document

कथन किया है कि पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल की फोटोग्राफी की थी जिसकी फर्द प्रदर्श पी-6 है जिस पर सी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-7 बनाया जिस पर सी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्ता सुनीता को जिरह का अवसर दिया गया किन्तु उनकी ओर से कोई जिरह नहीं की गई।

40. दौरान जिरह अधिवक्ता अभियुक्त बबलू गवाह ने कथन किया है कि उससे जो हस्ताक्षर कराये थे उस दिन 20 तारीख थी परन्तु जिस अधिकारी ने कराये थे उसका नाम उसे याद नहीं है, उसने प्रदर्श पी-5 लगायत प्रदर्श पी-7 पर पुलिस चौकी छावनी पर हस्ताक्षर किये थे, वह पढ़ा लिखा नहीं हैं। गवाह ने स्वीकार किया कि पुलिस वालों ने साइन करने के लिए था तो उसने साइन कर दिये थे। गवाह ने अजखुद कहा कि पुलिस ने उसे पढकर बताया कि ये बात सही है तो उसने बताया सही है। गवाह ने कथन किया है कि वह पुलिस चौकी छावनी के अलावा कहीं नहीं गया। अजखुद कहा कि जहाँ पर कपड़े वगैरह मिले थे वहाँ गया था। गवाह ने स्वीकार किया कि उसके इस केस में पुलिस वालों ने कोई बयान नहीं लिये।

41. अभियोजन साक्षी संख्या-11 राहुल कश्यप ने सशपथ कथन किये हैं कि दिनांक 20.05.2020 को रामस्वरूप जी को मृत घोषित किया गया था उसी दिन सफेद रंग का एक शर्ट और एक साफी भूरे रंग की चप्पल पुलिस वालों ने जब्त की थी, वहां पर चूड़ियों भी बिखरी पड़ी थी, साड़ी का छोटा सा टुकड़ा पेड़ में अटका हुआ था, दारू की बोतल भी पड़ी हुई थी पुलिस वालों ने फर्द जब्ती तैयार की थी जो प्रदर्श पी-5 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं तथा नक्शा मौका भी बनाया था जो प्रदर्श पी-7 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं।

42. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्ता सुनीता गवाह ने कथन किया है कि वह टीवी, एलईडी रिपेयरिंग का काम करता है, वह 10वीं तक पढ़ा लिखा है, प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-7 दाढदेवी के दूसरे पुल पर खड़े होकर बनाया था। गवाह ने स्वीकार किया कि रामस्वरूप को उसके सामने मृत घोषित नहीं किया गया था। गवाह ने कथन किया है कि वहां पर तीस-चालीस पुलिस वाले थे और वह, मोहित, अफजल भी थे। गवाह ने स्वीकार किया कि हत्या उसके सामने नहीं हुई थी और न ही उसने देखी। गवाह ने यह भी कथन किया है कि उसे मोहित ने बताया था कि उसके पिता की हत्या हुई है इसलिए वह भी मोहित की बात को सुनकर कह रहा है, रामस्वरूप घटना से दस मिनट पहले गायब हुए थे, मोहित अपने पिता को अस्पताल से लेकर आया था तब वह वहीं था। गवाह ने स्वीकार किया कि पोस्टमार्टम के बाद रामस्वरूप को मोहित घर लेकर गया था, अस्पताल व जंगल में रामस्वरूप की बॉडी नहीं देखी थी। गवाह ने कथन किया है कि जंगल में जब रामस्वरूप की बॉडी को

Authenticated Document

उठाया गया था वो खून से लतपथ थी उसने नहीं देखी, उसने पोस्टमार्टम से पहले भी रामस्वरूप की बॉडी नहीं देखी थी, गवाह ने स्वीकार किया कि रामस्वरूप की बॉडी जंगल में पड़ी थी उसको सबसे पहले किसने उठाया था उसका नाम उसे पता नहीं है लेकिन पुलिस से पहले मोहित वहां पहुंच गया था। गवाह ने यह भी कथन किया है कि जंगल में रामस्वरूप का शव कहाँ पर पड़ा था इसकी जानकारी मोहित ने बताई थी उसी अनुसार उसे जानकारी मिली, वहां पर शव को घसीटने के निशान नहीं थे, शव जहां पर बताया जा रहा था उस स्थान से एक दो फुट पर रामस्वरूप की दोनों चप्पलें थी चप्पल के आस-पास ही गमछा पड़ा था, रामस्वरूप की शर्ट व साफी झाड़ी के पास पड़े थे जो झाड़ी से दो तीन फुट थी।

43. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्ता सुनीता गवाह ने यह भी कथन किया है कि माताजी के मंदर पर चूडियां चढाई जाती हों तो उसे पता नहीं है, माताजी का मंदिर घटना स्थल से डेढ किमी. दूर है, सुनीता का रामस्वरूप के घर आना जाना था और उसने भी एक बार उसको देखा था, उसकी सुनीता से कभी कोई बातचीत नहीं हुई। गवाह ने कथन किया है कि घटनास्थल से उपर जो नाला बना है उसकी उंचाई दस बारह फुट है तथा घटनास्थल पर बड़ी-बड़ी चटटानें बनी हुई हैं, वहां घटना स्थल पर दारू के पव्वे व बिसलरी की बोतल पास ही पड़ी थी। गवाह ने स्वीकार किया कि रामस्वरूप व सुनीता दारू पीते थे। गवाह ने कथन किया है कि घटनास्थल पर चप्पल, बोतल, साफी व कपड़े पुलिया के नीचे 10-12 फुट की दूरी पर थे, रामस्वरूप की उम्र 55-58 साल थी, रामस्वरूप मृत्यु से 1-2 दिन पहले फिर कहा डेढ दिन पहले निकले थे, नक्शा 19 तारीख को बनाया था, उसने सुनीता को हमेशा साड़ी में ही देखा है, साड़ी का दो से तीन इंच मोनो छोटी सी साड़ी पर लगा हुआ था, उस साड़ी के टुकड़े पर किसी प्रकार का खून नहीं लगा हुआ था, उस साड़ी में फंसे टुकड़े का मूल साड़ी से उसके सामने मिलान नहीं करवाया था।

44. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्ता सुनीता गवाह ने यह भी कथन किया है कि उसका दोस्त मोहित थाने पर अपने पापा की गुम होने की रिपोर्ट लिखाने गया था उस समय वह साथ नहीं गया था लेकिन ढूंढने तो साथ गया था लेकिन उसके सामने नहीं मिले थे, घटनास्थल पर महिला की चूड़ी और चूड़ा 10-12 की संख्या में साबुत मिले फिर कहा बड़े-बड़े टुकड़े थे जिन पर किसी प्रकार का खून नहीं लगा हुआ था, एक बड़ी चट्टान पर खून के छींटे लगे हुए थे। बाल के जैसे बारीक बारीक छींटे लगे हुए था, चट्टान का रंग लाल व भूरा था। गवाह ने यह भी कथन किया है कि पुलिस वालों ने उसे बताया कि चट्टान पर खून के छींटे रामस्वरूप के थे। गवाह ने स्वीकार किया कि वहां पर खून को जांचने की कोई मशीन नहीं थी पुलिस वाले देख रहे थे चट्टान पर लगा खून एक दिन पुराना था, खून हल्का सा काला था, वह

Authenticated Document

घटनास्थल पर एक दिन बाद या दो दिन बाद गया उसे याद नहीं है, रामस्वरूप की साफी जहां उनका शव पड़ा था उसके 1-2 फुट पास पड़ी थी, साफी पर एक से डेढ फीट तक खून लगा हुआ था। गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-5 पर साफी पर खून लगी हुई बात अंकित नहीं है। गवाह ने कथन किया कि शर्ट पर कन्धे की ओर खून लगा हुआ था व पीछे पीठ की ओर छींटे लगे हुए थे यह बात भी प्रदर्श पी-5 में नहीं लिखी हुई है।

45. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्ता सुनीता गवाह ने यह भी कथन किया कि गमछा व शर्ट दोनों ही फटे हुए नहीं थे। गवाह ने स्वीकार किया कि जहां शव पड़ा था उसके पास में एक दो फुट की दूरी पर साफी व शर्ट पड़ी थी लेकिन फटे हुए नहीं थे। गवाह ने इस तथ्य से अनभिज्ञता प्रकट की कि शर्ट के बटन टूटे हुए थे या नहीं लेकिन शर्ट साबूत थी, मोहित के पिता रामस्वरूप के शर्ट व गमछा किसने उतारा। गवाह ने स्वीकार किया कि घटनास्थल पर जहां रामस्वरूप गिरे थे वहां पर मिटटी या रेत नहीं थी जबकि मिटटी व रेत पुलिया पर थी। गवाह ने इस तथ्य से अनभिज्ञता प्रकट की कि रामस्वरूप के कहां चोट आई है उसे मोहित ने बताया था कि सिर के पीछे की ओर चोट आई थी, सिर पर या ललाट पर या सिर के उपरी भाग पर कोई चोट नहीं बतायी। गवाह ने कथन किया है कि शरीर पर कहीं भी और कोई टूट फूट की चोट नहीं थी अंदर की ओर अंदरूनी चोट लगी हों तो उसे पता नहीं है। गवाह ने कथन किया है कि दिनांक 18, 19 व 20 को बारिस नहीं हुई थी तेज धूप थी, घटना के एक दिन बाद राात के समय बारिस हुई थी, झाड़ियों पर किसी प्रकार का खून का धब्बा नहीं लगा हुआ था, वह नक्शा दिशा को नहीं जानता तथा घटनरास्थल पर जो दिशा वगैरह नक्शे में बताई थी उसे पता नहीं है, घटनास्थल से मंदिर एक डेढ किमी. दूर है ऐसा किसी ने बताया था। गवाह ने यह भी कथन किया है कि जब नक्शा मौका से समस्त प्रकार की वस्तुओं को एकत्रित किया गया तथा बाद में थैली में पैक कर सील मोहर किया गया तो उसके हस्ताक्षर नहीं करवाये मोहित के करवाये होंगे। गवाह ने स्वीकार किया कि उसने रामस्वरूप को जब से गुम हुए तब से मिलने तक नहीं देखा पोस्टमार्टम के बाद ही देखा था। गवाह ने कथन किया है कि रामस्वरूप के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बारे में उसके दोस्त मोहित ने बताया था उसे पता नहीं था, घटनास्थल से रामस्वरूप के घर की दूरी 6-7 किमी. होगी। गवाह ने स्वीकार किया कि सुनीता व रामस्वरूप का झगड़ा घटना दिनांक तक उसके सामने नहीं हुआ, घटना वाले दिन लॉक डाउन (कोरोन) का था और कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता था और न ही आ सकता था। गवाह ने स्वीकार किया कि मोहित उसका दोस्त है और वह उसके कहने से ही उक्त प्रकरण में गवाह बना है।

Authenticated Document

46. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त बबलू गवाह ने कथन किया है कि वह नाम पता नहीं जानता जिसने प्रदर्श पी-7, प्रदर्श पी-5 बनाये थे, उसे तारीख, महीना याद नहीं है ज्यादा समय हो जाने के कारण। गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-5 व प्रदर्श पी-7 पर उसने जब हस्ताक्षर किये थे तब उसे उक्त प्रदर्श पी-5 व 7 पढकर नहीं सुनाये थे, गुमशुदगी की रिपोर्ट अंजलि मेहरा व मोहित ने करवाई थी, उसने गुमशुदगी की कार्यवाही पर हस्ताक्षर करवाये थे। गवाह ने कथन किया है कि वह हस्ताक्षर करके धर पर आ गया, प्रदर्श पी-5, प्रदर्श पी-7 पर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा उसे पता नहीं है। गवाह ने कथन किया कि उसके सामने रामस्वरूप घर से नहीं गये थे, रामस्वरूप उस समय कौनसे कपड़े पहन कर गये उसे पता नहीं है, पुलिस वालों ने उसको छावनी पुलिस चौकी पर हस्ताक्षर करवाने बुलाया था और वहां पर ही उसने हस्ताक्षर किये थे, उसके पुलिस चौकी पर श्याम बिहारी द्वारा उक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाये थे।

47. अभियोजन साक्षी संख्या-2 महेन्द्र कुमार ने सशपथ कथन किये हैं कि वह छावनी रामचंद्रपुरा का रहने वाला है। वह रामस्वरूप को जानता है, वो उसके चाचाजी थे। उनका मर्डर हो गया था। उसे पता चला था कि सुनीता और बबलू उन्हें घर से बुलाकर ले गये थे। सुनीता ने बाहर बुलाया था। उन्हें दाढदेवी की तरह ले गये थे जहां पर उनका मर्डर हो गया था। उसे रामस्वरूप की लाश को पहचानने के लिए थानाधिकारी ने बुलाया था। फर्द शिनाख्ती प्रदर्श पी-2 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। लाश का पंचायतनामा उसके समक्ष प्रदर्श पी-3 बनाया जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी-4 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द जब्ती एक हॉफ आस्तीन की बनियान और पेंट मृतक रामस्वरूप जी की उसके सामने पुलिस द्वारा जब्त की गई जिसकी फर्द प्रदर्श पी-10 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्ता सुनीता को जिरह का अवसर दिया गया किन्तु उनकी ओर से कोई जिरह नहीं की गई।

48. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त बबलू गवाह ने स्वीकार किया कि उसके पुलिस वालों ने कोई बयान नहीं लिये। प्रदर्श पी-2 लगायत प्रदर्श पी-4 एवं प्रदर्श पी-10 पर हस्ताक्षर पोस्टमार्टम जहां होता है उसके बाहर टीन-शेड है वहां पर किये थे, उसने लिखा पढी के बाद हस्ताक्षर किये थे, प्रदर्श पी-2 लगायत प्रदर्श पी-4 एवं प्रदर्श पी-10 किसकी कलमी थीं आज ध्यान नही है उनका नाम याद नहीं है। गवाह ने कहा मनोज सिंह सीकरवाल की टीम द्वारा बनाई थी जो गुमानपुरा के थानाधिकारी थे। गवाह ने यह भी कथन किया है कि उपरोक्त सभी फर्दो पर उसने जब हस्ताक्षर किये थे तब तीन चार अन्य लोगों ने भी हस्ताक्षर किये थे, वह पोस्टमार्टम रूम में गये थे, फिर कहा बाद में पुलिस वाले लेकर गये।

Authenticated Document

49. अभियोजन साक्षी संख्या-9 सीताराम ने सशपथ कथन किये हैं कि वह रामस्वरूप मेहरा को जानता है जो उसकी बुआ के लड़के हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, वह मोर्चरी में गया था, उसने उनकी लाश पहचान ली थी। फर्द शिनाख्तगी मृतक रामस्वरूप प्रदर्श पी-2 है जिस पर ई से एफ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द पंचायतनामा लाश प्रदर्श पी-3 है जिस पर आई से जे भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी-4 है जिस पर ई से एक भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने कपड़े जब्त किये थे जिसकी फर्द प्रदर्श पी-10 है जिस पर सी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्ता सुनीता को जिरह का अवसर दिया गया किन्तु उनकी ओर से कोई जिरह नहीं की गई।

50. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त बबलू गवाह ने कथन किया है कि उसने ये हस्ताक्षर एमबीएस अस्पताल में किये थे, प्रदर्श पी-2, पी-3, पी-4 एवं पी-10 जिस व्यक्ति ने लिखी थी उसका नाम उसे याद नहीं है, उसके अलावा उसके दोनों भतीजे इरफान मोहित ने हस्ताक्षर किये थे। गवाह ने स्वीकार किया कि समस्त लिखा-पढी व हस्ताक्षर अस्पताल के बाहर की गयी थी। गवाह ने कथन किया है कि उसने प्रदर्श पी-10 पर भी हस्ताक्षर अस्पताल के बाहर किये थे, उसे थोड़ा बहुत पढना लिखना आता है, उसने प्रदर्श पी-2 लगायत पी-4 एवं प्रदर्श पी-10 को पढ़ा नहीं था ना ही उसे पुलिस वालों ने पढ़कर बताया था कि इन प्रदर्शों में क्या लिखा है, पुलिस वालों ने कहा हस्ताक्षर कर दो तो उसने हस्ताक्षर कर दिये, इनमें क्या लिखा है उसे पता नहीं है।

51. अभियोजन साक्षी संख्या-5 आकाश मेहरा ने सशपथ कथन किये हैं कि काफी पुराना होने से तारीख याद नहीं है। प्रदर्श पी-8 उसके सामने बनाया था जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। रामस्वरूप की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी-3 उसके समक्ष बनाया था जिस पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर हैं।

52. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त बबलू गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी-8 पर उसके हस्ताक्षर कहाँ पर किस अधिकारी ने कराये उसे नहीं पता, प्रदर्श पी-8 पर कागज पर लिखा पढ़ी हो रही थी या नहीं उसे नहीं पता।

53. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्ता सुनीता गवाह ने कथन किया है कि जब मृतक और सुनीता का साथ जाना बताया गया है उस समय वह मौके पर मौजूद नहीं था, उसने उन लोगों को साथ जाते हुए नहीं देखा, प्रदर्श पी-8 में क्या लिखा है उसे नहीं पता।

54. अभियोजन साक्षी संख्या-6 इरफान खान ने सशपथ कथन किये हैं कि काफी पुराना होने से तारीख याद नहीं है। रामस्वरूप की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी-3 उसके समक्ष बनाया था जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं।

Authenticated Document

55. दौराने जिहस गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर पोस्टमार्टम रूम के बाहर गुमानपुरा थानाधिकारी मनोज द्वारा करवाये गये थे, उस समय पांच लोगों ने हस्ताक्षर किये थे, वह पोस्टमार्टम रूम के अंदर नहीं गया था और न ही उसे बुलाया था, उसने प्रदर्श पी-3 को नहीं पढ़ा था, थानाधिकारी ने उसे हस्ताक्षर करने को कहा तो उसने हस्ताक्षर कर दिये।

56. अभियोजन साक्षी संख्या-10 गजेन्द्र परीडवाल ने सशपथ कथन किये हैं कि वह दिनांक 22.05.2020 को थाना गुमानपुरा में कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन मनोज सिंह सिकरवार ने प्रकरण संख्या 238/2020 में अभियुक्त बबलू को थाने पर जरिये फर्द प्रदर्श पी-11 गिरफ्तार किया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 25.05.2020 को एक मोटरसाइकिल हीरो होण्डा, मोबाइल जब्त किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी-12 है जिसकी पुश्त पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उससे पूर्व दिनांक 24.05.2020 को एक मोबाइल सफेद रंग का कार्बन कम्पनी का जब्त किया था जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी-13 है जिसकी पुश्त पर बरामदगी स्थल का नक्शा मौका है उस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। अपराध विवरण तैयार किये थे जो प्रदर्श पी-14 व प्रदर्श पी-15 हैं जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

57. दौरान जिरह अधिवक्ता अभियुक्त बबलू गवाह ने स्वीकार किया कि फर्द जब्ती प्रदर्श पी-11, प्रदर्श पी-12, प्रदर्श पी-13, प्रदर्श पी-15 सीआई की कलमी हैं, ये सभी फर्द थाने पर बनायी थी। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि सभी फर्दों पर गवाह पुलिसकर्मी हैं जो सीआई के अधीनस्थ कर्मचारी हैं कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। गवाह ने कथन किया कि जब्तशुदा आर्टिकल आज न्यायालय में नहीं है। अधिवक्ता अभियुक्ता सुनीता को गवाह ने जिरह का अवसर दिया गया किन्तु उनकी ओर से कोई जिरह नहीं की गई।

58. अभियोजन साक्षी संख्या-12 बृजेन्द्र सिंह ने सशपथ कथन किये हैं कि वह दिनांक 24.05.2020 को थाना गुमानपुरा पर पदस्थापित था। उस दिन आईओ मनोज सिंह सिकरवार ने प्रकरण संख्या 238/2020 में गिरफतारशुदा अभियुक्ता सुनीता द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना पर एक साड़ी, दो लाख की चुड़ियां गॉव ढीकोली देवली माझी कोटा ग्रामीण में स्थित अभियुक्ता के घर के कमरे की अलमारी में रखी वक्त घटना पहनी गई साडी व लाख की चुडियां जब्त की थी जिसे उसने अपनी स्वेच्छा से निकाल कर आईओ को पेश किया था जिसे उन्होंने मौके पर ही जब्त किया और मौके पर ही सील मोहर कर मार्का ई दिया जिसकी फर्द प्रदर्श पी-16 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं व एक्स स्थान पर मुलजिमा के अंगूठा निशानी है। दिनांक 25.05.2020 का मनोज सिंह सिकरवार ने प्रकरण संख्या 238/2020 में गिरफ्तारशुदा मुलजिम बबलू द्वारा दी गई धारा 27

Authenticated Document

साक्ष्य अधिनियम की सूचना पर एक मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर मोबाइल कपड़े ग्राम खेडारसूलपुर स्थित मुलजिम बबलू के घर से बरामद किये थे जिन्हें मुलजिम ने अपनी स्वेच्छा से आईओ को बताया था मोबाइल को सफेद कपड़े की थैली में रख कर मौके पर ही जब्त किया और मौके पर ही सील मोहर कर मार्का एच दिया जिसकी फर्द प्रदर्श पी-12 है जिसकी पुश्त पर सी से ही उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 24.05.2020 को आईओ ने मुलजिम बबलू द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना पर ग्राम उम्मेदगंज थाना उद्योग नगर एक मोबाइल कार्बन कम्पनी का जिसका रंग सफेद था जिसे धाकडखेड़ी से जब्त किया जिसे आईओ ने सफेद रंग की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्का जी दिया जिसकी फर्द प्रदर्श पी-13 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द की पुश्त पर बरामदगी स्थल का नक्शा मौका है जिस पर सी से ही उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द फोटोग्राफी लाश प्रदर्श पी-17 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका बरामदगी साड़ी व चुडी प्रदर्श पी-18 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, एक्स स्थान पर सुनीता की अंगूठा निशानी है। फर्द नक्शा मौका मोटरसाइकिल व कपड़े प्रदर्श पी-14 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द नक्शा मौका उम्मेदगंज नाला प्रदर्श पी-15 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी-19 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

59. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त बबलू गवाह ने स्वीकार किया कि थाने से जाते समय रवानगी व वापसी डाली जाती है जिस कार्य के लिए जाते हैं उसका भी इन्द्राज किया जाता है। गवाह ने कथन किया है कि ये मनोज सिंह सिकरवार सीआई की कलमी है, वे प्राइवेट कार जो सीओ साहब की थी, से गये थे, कार हुण्डई कम्पनी की थी। उन्होंने मोटरसाइकिल खेडारसलपुर से जब्त की थी। गवाह ने यह भी किान किया है कि हीरो होण्डा स्पलेण्डर थी नम्बर उसे ध्यान में नहीं है, इस कार्यवाही में कितना समय लगा होगा उसे ध्यान नहीं है, मकान किसका था उसने उसके दस्तावेज नहीं देखे, चौक में मोटरसाइकिल खड़ी थी, उस मकान में दो-तीन कमरे थे अभी ध्यान नहीं है, कमरे के ताले लगे हुए नहीं थे। गवाह ने इस तथ्य से अनभिज्ञता प्रकट की की कि जहाँ जब्ती की वहाँ आस-पास किसके मकान है सामने किसके मकान है, आईओ ने नाम पते पूछे होंगे उसे ध्यान नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया कि इन फर्दों में दोनों गवाह पुलिस वाले हैं जो सीआई के अधीनस्थ कर्मचारी हैं आस-पास वालों को न तो गवाह बनाया न ही उनके बयान लिये। गवाह ने कथन किया है कि मोटरसाइकिल के अलावा मुलजिम के कपड़े सामने वाले कमरे में रखी आलमारी से जब्त किये थे, उसकी पत्नी व बच्चे वहाँ हों तो उसे ध्यान नहीं है, कपड़े मोटरसाइकिल मोबाइल जब्त किये थे, जो मोबाइल

Authenticated Document

जब्त किया वो जीओ कम्पनी का था जिसकी स्कीन टूटी हुई थी, मोबाइल में सिम डली हुई थी या बंद था यह उसे जानकारी नहीं है उसने मोबाइल हाथ में लेकर नहीं देखा था, जब्त मोबाइल थाना गुमानपुरा की सील से सील मोहर किया था, सील अंग्रेजी में बनी थी, तीन जगह सील लगी हुई थी। गवाह ने यह भी कथन किया है कि जब्तशुदा मोबाइल आज उसके सामने नहीं है, थाने की सील सीआई के अनुसंधान बॉक्स में रहती है। गवाह ने इस तथ्य से अनभिज्ञता प्रकट की की नमूना सील की फर्द अलग से बनायी हो। गवाह ने कथन किया है कि इस नमूना सील का सीआई ने क्या किया उसे जानकारी नहीं है। गवाह ने इस तथ्य से अनभिज्ञता प्रकट की कि इन फर्दों को बनाने में कितना समय लगा हुआ होगा। गवाह ने कथन किया है कि वे थाने पर कितनी बजे आये अभी इसकी उसे जानकारी नहीं है, प्रदर्श पी-17 सीआई ने बनाया था इस पर हस्ताक्षर उसने मौके पर ही किये थे, थाने से सुबह के समय 10-11 बजे रवाना हुए थे, जब्तशुदा माल सीआई ने जमा करवाया था। गवाह ने इस तथ्य से इंकार किया कि सारी फर्दों पर हस्ताक्षर उसने थाने पर किये हों। गवाह ने कथन किया है कि उसके इस केस में बयान लिये थे परन्तु उक्त प्रकरण की पत्रावली में उसके 161 के बयान नहीं है।

60. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्ता सुनीता गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-16 पर आगे व पृष्ठ भाग पर जो कुछ भी लिखा हुआ है वह सीआई मनोज सिकरवार ने लिखा था। गवाह ने कथन किया है कि मोटरसाइकिल को ट्रक में जब्त कर नहीं लाये थे कौन चलाकर लेकर आया था उसे पता नहीं है, वह सुनीता के घर सीआई के आदेशानुसार उनके साथ गया था तथा समस्त कार्यवाही उसने समझबूझ कर सीआई के आदेश से हस्ताक्षर किये थे। गवाह ने स्वीकार किया कि सुनीता ने अपनी साड़ी के पल्लू से गला दबाकर रामस्वरूप मेहरा को नहीं मारा था, सामान्यतया चूडी इत्यादि टूट जाती है तो फेंक देते हैं जो भी फर्द जब्ती में कार्यवाही अन्तर्गत चूडी जब्त बतायी हैं उस पर खून के कोई निशान नहीं है, जब्त चूड़े पर किसी भी प्रकार के रगड़ या धूल मिटटी इत्यादि नहीं थी, प्रदर्श पी-16 में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि चूड़े टूटे हुए हैं और किस प्रकार से टूटे थे, वह उक्त कार्यवाही में संलग्न हुआ है उससे पूर्व ही सुनीता गिरफ्तार हो गई थी और थाने की सेल में बंद थी। गवाह ने कथन किया है कि सुनीता अपने खुद के मकान में लेकर गई थी। गवाहने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-16 में मकान सुनीता का हो इस बाबत कोई दस्तावेज उक्त कार्यवाही में नहीं लिखा नहीं गया है, न ही सलग्न है। गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी-18 में अलमारी जैसा शब्द कहीं भी लिखा हुआ नहीं है तथा प्रदर्श पी-18 यह कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि बरामदगी स्थल कमरे में रखी अलमारी है और प्रदर्श पी-18 में अलमारी का स्थान दर्शाया हुआ नहीं है।

Authenticated Document

61. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्ता सुनीता गवाह ने स्वीकार किया कि बरामदगी स्थल के कमरे में कौनसे रंग की पुताई हो रखी थी आज ध्यान नहीं है कितने आले बने हुए थे उसे आज ध्यान नहीं है, प्रदर्श पी-18 जिस स्थल का बनाया गया है उस कमरे का प्रवेश द्वार लोहे का था या लकड़ी का था उसे ध्यान नहीं है। गवाह ने कथन किया है कि वे प्रातः 9 से 10 के बीच सीआई के साथ सुनीता के कमरे पर गये थे। गवाह ने स्वीकार किया है कि उसे साडी की लम्बाई ध्यान नहीं हैं। गवाह ने कथन किया है कि आज उक्त प्रकरण में जब्त साडी न्यायालय में उपस्थित नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया कि उस साड़ी पर भी झाड झकाड खून इत्यादि लगे हो तो उसे ध्यान नहीं है। गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी-18 में कहीं भी साड़ी का विवरण नहीं है, प्रदर्श पी-18 में जब्त हुए चूड़े के बारे में आलेखित नहीं किये गये है। गवाह ने इस तथ्य से अनभिज्ञता प्रकट की कि सुनीता को घटना के कितने रामय बाद गिरफ्तार किया था। गवाह ने कथन किया है कि सुनीता जब थाने में मिली थी तब शराब पी-हो उसे जानकारी नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया कि सुनीता की साड़ी को जब्त किया था उसके साथ अन्य पहनने वाले कपड़ों को जब्त नहीं किया गया, अलमारी के ताला लगा हुआ था या नहीं उसे पता नहीं है, प्रदर्श पी-16 व प्रदर्श पी-18 में जो अलमारी जब्ती स्थान में बतायी है उस में और समान था उसका विवरण नहीं है। गवाह ने कथन किया है कि अलमारी लोहे या लकड़ी की थी कौनसा रंग रोगन था क्या साइज था उसे पता नहीं है, जो भी समान जब्त हुआ था उसकी फोटोग्राफी नहीं हुई थी, जब्ती एवं नक्शा मौका की कार्यवाही करने के लिए थाने पर पहुँचने व थाने से घटना स्थल पर जाने व घटना स्थल पर आने सम्बन्धी रोजनामचे की रपट आज दिनांक तक शामिल पत्रावली नहीं है।

62. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्ता सुनीता गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि उसका पति वक्त जब्ती कार्यवाही व नक्शा घर पर था या नहीं उसे पता नहीं है लेकिन नक्शा मौका व कार्यवाही के समय सुनीता के पति व उसके परिवार के किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर नहीं है तथा किसी भी आस-पास पडौस एवं स्वतन्त्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। गवाह ने कथन किया है कि समस्त कार्यवाही में कुल कितना समय लगा उसे आज पता नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया कि जब्ती स्थल पर ही शील्ड मौहर इत्यादि की गई थी, जब्ती कार्यवाही को सील मोहर इत्यादि किया गया उस पर भी आस पडौस परिजन एवं स्वतन्त्र गवाह के भी हस्ताक्षर नहीं है, सुनीता के मकान के आस-पास काफी मकान बने हुए हैं और काफी लोग आस-पास में रहते हैं। गवाह ने कथन किया है कि उस गाँव का सरपंच इत्यादि हो तो उसे ध्यान नहीं है लेकिन यह स्वीकार किया कि उक्त गाँव के राजनैतिक व प्रशासनिक अधिकारी को भी नहीं बुलाया था। गवाह ने स्वीकार किया कि जब्ती

Authenticated Document

साडी में साडी का कौना किस ईंच तक किस सेमी तक कितनी लम्बाई चौडाई में फटा हुआ था इसके बारे में भी स्पष्ट अंकन नहीं है, प्रदर्श पी-16 में साड़ी का कौना किस वजह से फटा इसका अंकन नहीं है। गवाह ने कथन किया है कि साड़ी की कौनसी दिशा में फटी हुई थी उसे जानकारी नहीं है, साड़ी में फोल जो महिलाएँ लगाया करती हैं वह लगी हुई थी या नहीं उसे पता नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया कि उक्त जब्त चूड़ा आज हाजिर अदालत नहीं है, उक्त प्रकरण की समस्त कार्यवाही में उसने सीआई के आदेशानुसार समझबूझ कर भाग लिया तथा समस्त कार्यवाही में हस्ताक्षर किये।

63. अभियोजन साक्षी संख्या-16 मनोज कुमार ने सशपथ कथन किये हैं कि वह दिनांक 06.07.2020 को थाना गुमानपुरा में कानि के पद पर तैनात था उस दिन मालखाना इन्चार्ज राजकुमार हेड कानि 86 ने उसे सील्डशुदा 11 पैकेट मय अग्रेषण पत्र दिये थे। अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-21 है जिन्हें लेकर वह एसपी-कार्यालय कोटा शहर पहुँचा जहाँ अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर एफएसएल कोटा पहुँचा। अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-22 व प्रदर्श पी-23 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एफएसएल में जमा करवाकर वहाँ से रसीदें प्राप्त कर वापस पुलिस थाना आया तथा रसीद नम्बर 662 व 663 को मालखाना इन्चार्ज को सुपुर्द किया व वापसी दर्ज करवायी। एफएसएल रसीदें प्रदर्श पी-24 व प्रदर्श पी-25 हैं।

64. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण गवाह ने स्वीकार किया कि दिनांक 06.07.2020 में थाना गुमानपुरा में कानि के पद पर पदस्थापित था उससे सम्बन्धित दस्तावेज न्यायालय की पत्रावली में शामिल नहीं है। गवाह ने कथन किया है कि वह 11 पैकेट यूरिया के कट्टे में लेकर गया था। गवाह ने स्वीकार किया कि उसकी रवानगी में पैकेट को कट्टे में डालकर ले जाने का अंकन नहीं है, एसपी-ऑफिस में कार्यवाही में उसे कितना समय लगा आज उसे याद नहीं है। गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी-23 व प्रदर्श पी-24 में सी से डी भाग में जो सेनेटाईज करने वाली बात लिखी हुई है वो थाने पर ही कर दी थी। गवाह ने कहा कि आज उसे ध्यान नहीं है कि कहाँ पर सेनेटाईज किया था। गवाह ने स्वीकार किया कि उसकी जो स्वास्थ्य जाँच दिनांक 06.07.2020 को पुलिस अधीक्षक कोटा शहर कार्यालय में प्रदर्श पी-23 व प्रदर्श पी-24 में होना लिखा गया है उसकी जॉच रिपोर्ट शामिल पत्रावली नहीं है, प्रदर्श पी-21 पर उसके कहीं हस्ताक्षर नहीं है तथा प्रदर्श पी-21 के ए से बी भाग में विशेष वाहक नमूना हस्ताक्षर के स्थान पर भी उसके हस्ताक्षर नहीं है। गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी-21 में स्वास्थ्य जाँच के बारे में जो लिखा हुआ है उसकी जाँच रिपोर्ट भी शामिल पत्रावली में नहीं है, उसने अग्रेषण पत्र सीआई के मौखिक आदेश से लिया था कोई लिखित में आदेश नहीं प्राप्त

Authenticated Document

किया था। गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-23 व प्रदर्श पी-24 घर हस्ताक्षर हो रहे हैं परन्तु सील नहीं लगी हुई है। गवाह ने कथन किया है कि अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-23 व प्रदर्श पी-24 पर तारीख का अंकन है समय का अंकन नहीं है, उसने उक्त पैकेट किस को संभलाये आज उसे याद नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया कि उक्त रसीद पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर हैं सील का अंकन नहीं है, पैकेट किस सील से सील्ड मोहर थे उसे पता नहीं है। गवाह ने कथन किया है कि एसपी-ऑफिस से में कितने बजे गया था उसका समय उसे याद नहीं है, वह प्रयोगशाला में कितने बजे पहुँचा था ये उसे पता नहीं है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला से वह कितने बजे रवाना हुआ आज उसे याद नहीं है।

65. अभियोजन साक्षी संख्या-17 राजकुमार शर्मा ने सशपथ कथन किये हैं कि वह दिनांक 20.05.2020 को थाना गुमानपुरा में एचएम मालखाना पद पर कार्यरत था उस दिन महेन्द्र सिंह एएसआई ने एमपीआर नम्बर 12/20 में तीन सील्डशुदा पैकेट जमा मालखाना हेतु उसे सुपुर्द किये थे जिनको उसने जमा मालखाना कर मालखाना रजिस्टर के मद क्रमांक 213/20 पर इन्द्राज किया जिसका असल प्रदर्श पी-26 है जिस पर ए से बी माल का इन्द्राज है सी से डी दो स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी-26 की नकल प्रदर्श पी-26ए है। दिनांक 21.05.2020 को मुकदमा नम्बर 238/20 में मनोज सिंह शिकरवार पुलिस निरीक्षक ने चार सील्डशुदा बरनी व एक सील्डशुदा पैकेट कुल पाँच पैकेट उसे जमा मालखाना हेतु सुपुर्द किये थे जिनको उसने जमा मालखाना किया। मालखाना रजिस्टर के मद कमांक 214/20 पर इन्द्राज किया जिसका असल प्रदर्श पी-27 है जिस पर ए से बी माल का इन्द्राज, सी से डी दो स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी-27 की नकल प्रदर्श पी-27ए है। दिनांक 24.05.2020 को मुकदमा नम्बर 238/20 में मनोज सिंह सिकरवार एसएचओ ने सील्डशुदा पाँच पैकेट व एक मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर उसे जमा मालखाना सुपुर्द की थी जिनको उसने जमा मालखाना किया जाकर मालखाना रजिस्टर के मद कमाक 219/20 पर इन्द्राज किया जिसका असल प्रदर्श पी-28 है जिस पर ए से बी माल का इन्द्राज, सी से डी पाँच स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी-28 की नकल प्रदर्श पी-28ए है। दिनांक 06.07.2020 को मुकदमा नम्बर 238/20 में मनोज कुमार कानि. 336 को मय सील्डशुदा कुल 11 पैकेट एफएसएल कोटा में जमा हेतु मय अग्रेषण पत्र मार्फत एसपी-साहब के सुपुर्द किये थे जिसे एफएसएल कोटा में माल जमा करवाकर उसके लाकर सुपुर्द की थी जिसे उसने सम्बन्धित आईओ को सुपुर्द किया था।

66. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-26 लगायत प्रदर्श पी-28 के ए से बी भाग में जो लिखा है वो मात्र चिट के

Authenticated Document

आधार पर लिखा है अंदर उसने खोल कर नहीं देखा था और आज भी नहीं बता सकता कि अंदर क्या था, प्रदर्श पी-26 के ए से बी भाग में जब्तशुदा साफी एवं अन्य सामान किसका था यह लिखा हुआ नहीं है। गवाह ने कहा कि घटना स्थल से जब्तशुदा माल थे। गवाह ने स्वीकार किया कि मालखाना रजिस्टर के कमांक 1 लगायत 5 में सम्पत्ति किस रूप में है उस स्थिति के बारे में लिखने के निर्देश दिये गये है, कॉलम 1 लगायत 5 में निर्देशानुसार इन्द्राज नहीं किया गया है। गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी-26 लगायत प्रदर्श पी-28 के ई से एक भाग में तहरीर समाप्ति के बाद उसके हस्ताक्षर हैं। गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-26 लगायत प्रदर्श पी-28 के कॉलम संख्या 8 में दिशा निर्देश अनुसार ई से एफ भाग में इन्द्राज नहीं किया है, प्रदर्श पी-26 में कॉलम संख्या 8 में जमाकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है, प्रदर्श पी-26 पर जो माल जमा हुआ था वो एमपीआर नम्बर 12/20 में जमा करवाया था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया जिसने माल जमा करवाया जमा करवाने वाले के जमा मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी-26 में उसके हस्ताक्षर नहीं हैं, प्रदर्श पी-26 लगायत प्रदर्श पी-28 में जमा पैकेट मालखाना में इन्द्राज में ये लिखा हुआ नहीं है कि किसकी सील से सील्ड मोहर था। गवाह ने कहा कि माल जमा करवाने वाले का नाम इन्द्राज है। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उक्त प्रदर्श पी-26 में यह लिखा हुआ नहीं है किसके आदेश से जमा करवाया गया था, प्रदर्श पी-26 लगायत प्रदर्श पी-28 में थाने की सील नहीं लगी हुई है, माल उसे सील्डशुदा अवस्था में मिला था उसने चिट के आधार पर माल का इन्द्राज किया था, माल मालखाने में जमा होने के बाद तफ्तीश के दौरान माल मालखाने से नहीं निकाला गया, जो माल मालखाने में जमा करवाया था वो माल आज हाजिर अदालत नहीं है।

67. अभियोजन साक्षी संख्या-18 सुरेश ने सशपथ कथन किये हैं कि वह दिनांक 20.05.2020 को पुलिस कन्ट्रोल रूम पर हेड कानि के पद पर फोटोग्राफर के पद पर कार्यरत था। उस दिन जर्ये टेलीफोन सूचना आयी कि फोटोग्राफर को उम्मेदगंज दाढदेवी जंगल नाले के पास रवाना करें। इस सूचना पर उक्त जगह पर वह पहुँचा जहाँ महेन्द्र सिंह एएसआई मौजूद थे जिनके निर्देशानुसार घटना स्थल कि फोटोग्राफी डिजिटल कैमरे से की गई। फर्द फोटोग्राफी घटना स्थल प्रदर्श पी-6 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 21.05.2020 को मृतक रामस्वरूप मेहरा की लाश की फोटोग्राफी मनोज सिंह एसएचओ गुमानपुरा के निर्देशन पर एमबीएस मोर्चरी में डिजिटल कैमरे से उसके द्वारा की गई जिसकी फर्द प्रदर्श पी-17 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। घटना स्थल की फोटोग्राफी को उसके द्वारा सरकारी कम्प्यूटर में सरकारी कैमरे से कॉपी-करके डीवीडी कॉपी-की थी फोटोग्राफी में

Authenticated Document

से 13 फोटो ही निकलवाये थे। इस दौरान सरकारी कैमरा व कम्प्यूटर सही से संचालित हो रहे थे उनमें किसी प्रकार की टेक्निकल खराबी नहीं थी। फोटोग्राफी में किसी भी प्रकार की काट-छांट व छेड़छाड़ नहीं की गई थी उसके द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी का प्रमाण-पत्र जारी किया गया जिसकी फर्द प्रदर्श पी-29 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। घटना स्थल के फोटोग्राफ जिनके पुश्त पर प्रदर्श पी-30 लगायत प्रदर्श पी-42 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। डीवीडी प्रदर्श पी-43 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा मृतक के खींचे गये फोटो भी शामिल पत्रावली हैं।

68. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण गवाह ने स्वीकार किया कि इस पूरी पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह प्रमाणित होता हो वह तत्समय फोटोग्राफर के पद पर पदस्थापित था, इस पूरी पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि वह फोटोग्राफी में दक्षता रखता हो, वह जो भी फोटोग्राफी से सम्बन्नित कार्य करता है वह विभागीय या उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार ही करता है, इस पूरे प्रकरण में उसकी भूमिका आदेशानुसार ही रही है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि पूरी पत्रावली में ऐसी कोई रिसिप्ट नहीं है कि कैमरे से लिये गये फोटो किस लैब में डेवलप करवाये गये थे, इस पत्रावली में तत्समय उसका कन्ट्रोल रूम से आने जाने का लिखावट या दस्तावेज इस पत्रावली में नहीं है, उक्त पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसमें उसने फोटो प्रस्तुत किये और उच्चाधिकरियों ने उसे रिसिप्ट दी हो जबकि उसने फोटो प्रस्तुत की थीं, उसके मुख्य परीक्षण में उसने यह नहीं बताया है कि मनोज सिकरवार एवं उसने मोबाइल से किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी की हो। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-17 में गवाह बनने बाबत उसका नाम नहीं लिखा है मात्र कार्यवाही पर हस्ताक्षर है तथा यह भी नहीं लिखा है कि उसके द्वारा मोबाइल या डिजिटल कैमरे से मृतक की फोटोग्राफी की गई हो, प्रदर्श पी-6 में गवाह के बाबत् उसका कहीं भी नाम नहीं है जबकि फोटोग्राफी के लिए है और इसलिए उसने महेन्द्र सिंह एएसआई के कहे अनुसार हस्ताक्षर किये हैं। गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी-6 में मोबाइल से फोटोग्राफी की गई है ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, प्रदर्श पी-33 पर जो फोटो लिया गया है उसमें मृतक के शरीर के कपड़े व चप्पल एक ही स्थान पर रखे है तथा बीच में एक गिलास रखा हुआ है। गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-32 में जो फोटो लिया गया है वो सभी वस्तुएँ दूर-दूर रखी हुई है जो प्रदर्श पी-33 में एक साथ रखी हुई थी, प्रदर्श पी-32 व प्रदर्श पी-33 फोटो सही हैं, जिन सामनों की फोटोग्राफी उसने की है वो सामान आज हाजिर अदालत नहीं है, इस प्रकरण में फोटोग्राफी के अलावा उसे घटना के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है,

Authenticated Document

प्रदर्श पी-43 टूटी हुई है तथा इस सीडी पर उसके द्वारा ऐसा एण्डरोर्समेंट नहीं किया गया है कि यह बिलकुल सही अवस्था में दी गई हो।

69. अभियोजन साक्षी संख्या-19 रविन्द्र यादव ने सशपथ कथन किये हैं कि वह दिनांक 215.2020 को थाना गुमानपुरा में हेड कानि के पद पर तैनात था उस दिन मुकदमा नम्बर 238/2020 में अनुसंधान अधिकारी मनोज सिकरवार, पुलिस निरीक्षक अनुसंधान अधिकारी ने अपने मोबाइल से फोटो खींची तथा फोटोग्राफर सुरेश हेड कानि द्वारा अपने डिजिटल कैमरे से लाश की फोटोग्राफी की थी जिसकी फर्द प्रदर्श पी-17 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं।

70. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण गवाह ने स्वीकार किया कि दिनांक 21.05.2020 को थाने से घटना स्थल पर जाने की रवानगी रपट न्यायालय की पत्रावली में नहीं है, ऐसा कोई दस्तावेज भी न्यायालय की पत्रावली में शामिल नहीं है जिससे यह जाहिर हो कि दिनांक 21.05.2020 को वह थाना गुमानपुरा में पदस्थापित था, प्रदर्श पी-17 में एसएचओ का मोबाइल किस कम्पनी का है उसका आईएमआई नम्बर तथा मोबाइल का सिम नम्बर लिखा हुआ नहीं है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि उसके मुख्य परीक्षण में सुरेश हेड कानि के द्वारा फोटोग्राफी करने की बात कही गई है वह प्रदर्श पी-17 में कहीं भी लिखी हुई नहीं है।

71. अभियोजन साक्षी संख्या-23 मनोज सिंह ने सशपथ कथन किये हैं कि दिनांक 21-05-2020 को वह थानाधिकारी, थाना गुमानपुरा पर तैनात था। उस दिन उसके समक्ष एक तहरीरी रिपोर्ट मोहित मेहरा ने पेश की थी जिस पर उसके द्वारा मुकदमा नं.-238/2020 धारा 364, 302, 201 आईपीसी का दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया था। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है जिस पर उसके द्वारा लिखी गई कार्यवाही पुलिस सी से डी और ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। चॉक एफआईआर प्रदर्श पी-44 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर और सी से डी फरियादी मोहित के हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान उसने मृतक रामस्वरूप मेहरा का पोस्टमार्टम एमबीएस अस्पताल कोटा में करवाया था। फर्द शिनाख्तगी लाश प्रदर्श पी-2 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी-3 है जिस पर एल से एम उसके हस्ताक्षर हैं। बाद पोस्टमार्टम लाश मृतक के पुत्र को सुपुर्द की थी। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी-4 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-14 शामिल पत्रावली है। मृतक की लाश की फोटोग्राफी उसके द्वारा की गई थी। फर्द फोटोग्राफी लाश प्रदर्श पी-17 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान उसने बयान मोहित मेहरा, अंजली, विष्णु, प्रदीप, भँवरलाल, राजकुमार मनोज कुमार, गोविंद के लेखबद्ध किये थे। मृतक की लाश के फोटोग्राफ्स प्रदर्श

Authenticated Document

पी-46 लगायत पी-49 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं जो शामिल पत्रावली है।

72. गवाह ने आगे साक्ष्य दी है कि गवाहान मोहित और अंजली के बयान 164 सीआरपीसी न्यायालय में करवाये थे। न्यायालय का सम्मन प्रदर्श पी-50 है जिस पर तामीली रिपोर्ट पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। गवाह अंजली के 164 सीआरपीसी के बयान प्रदर्श पी-51 हैं तथा गवाह मोहित के 164 सीआरपीसी के बयान प्रदर्श पी-9 शामिल पत्रावली है। अंजली द्वारा पेश गुमशुदगी रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 शामिल पत्रावली है जिसके पृष्ठांकन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल का नक्शा मौका फरियादी मोहित मेहरा की निशांदेही पर उसके द्वारा बनाया गया जो प्रदर्श पी-8 है,जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। बाद अनुसंधान मुल्जिम बबलू और सुनीता के विरुद्ध धारा 364, 302, 201 आईपीसी का अपराध प्रमाणित मानते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। फर्द गिरफ्तारी बबलू प्रदर्श पी-11 है जिस पर सी से डी बबलू के और ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम सुनीता प्रदर्श पी-52 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी और ए से बी और सी से डी गवाहान और ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं।

73. गवाह ने आगे साक्ष्य दी है कि दौराने अनुसंधान मुल्जिमा सुनीता मेघवाल ने उसको स्वेच्छा से सूचना दी कि दिनांक 18.05.2020 को उसने और उसके दोस्त बबलू ने रामस्वरूप को जिस स्थान से मोटरसाइकिल पर बैठाकर लेकर गये उस स्थान को चलकर बता सकती है। उक्त फर्द सूचना प्रदर्श पी-53 है जिस पर एक्स स्थान पर सुनीता की अंगूठा निशानी है और ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान गिरफ्तारशुदा मुल्जिमा सुनीता मेघवाल ने उसे स्वेच्छा से सूचना दी कि दिनांक 18.05.2020 को जो साड़ी उसने पहन रखी थी, फटने के कारण एवं कांटे लगने के कारण उसने बदल ली थी उसको उसने उसके मिलने वाले के घर पर रख रखा है जिसको वह चलकर बता सकती है, फर्द सूचना प्रदर्श पी-54 है जिस पर एक्स स्थान पर सुनीता की अंगूठा निशानी और ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। सुनीता मेघवाल ने दौराने अनुसंधान उसको यह सूचना दी थी कि दिनांक 18.05.2020 को उसने और उसके दोस्त बबलू बैरवा ने रामस्वरूप की हत्या दाढदेवी और उम्मेदगंज रोड पर जिस स्थान पर की थी वह स्थान चलकर बता सकती है। फर्द सूचना प्रदर्श पी-55 है जिस पर एक्स स्थान पर सुनीता की अंगूठा निशानी और ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

74. गवाह ने आगे साक्ष्य दी है कि दौराने अनुसंधान मुल्जिम बबलू ने उसे स्वेच्छा से सूचना दी कि उसने और उसकी दोस्त सुनीता ने रामस्वरूप की हत्या दाढदेवी उम्मेदगंज रोड पर जिस स्थान पर की थी जिसे वह चलकर बता सकता है।

Authenticated Document

फर्द सूचना प्रदर्श पी-56 तैयार की गई जिस पर सी से डी उसके और ए से बी मुल्जिम के हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान मुल्जिम बबलू ने उसे सूचना दी कि दिनांक 18.05.2020 को उसने और उसकी दोस्त सुनीता मेघवाल ने रामस्वरूप को जिस स्थान से मोटरसाइकिल पर बैठाकर लेकर गये थे उस मोटरसाइकिल, प्रयोग में लिया मोबाइल एवं दाढदेवी से लेकर गये मोबाइल को उसने खेड़ा में अपने मिलने वाले के यहाँ छुपाकर रखा है जिसको चलकर बता सकता है।फर्द सूचना प्रदर्श पी-57 है जिस पर ए से बी मुल्जिम और सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुंसधान बबलू ने उसे सूचना दी कि दिनांक 18.05.2020 को वह और उसकी दोस्त सुनीता मेघवाल ने रामस्वरूप की हत्या की थी। वह सुनीता का मोबाइल लेकर गया था उसको उम्मेदगंज के पास पानी के नाले में फैंक दिया था जिसको चलकर बता सकता है। फर्द सूचना प्रदर्श पी-58 है जिस पर ए से बी बबलू और सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं।

75. गवाह ने आगे साक्ष्य दी है कि दौराने अनुसंधान मुल्जिम बबलू ने उसे स्वेच्छा से सूचना दी कि दिनांक 18.05.2020 को वह और सुनीता रामस्वरूप को जिस मोटरसाइकिल से लेकर गये थे वह मोटरसाइकिल, उसका मोबाइल और उस दिन पहने हुए कपड़े उसने उसके रिहायशी मकान आरामपुरा में छिपाकर रखे हैं जिन्हें वह चलकर बता सकता है। फर्द सूचना तैयार की जो प्रदर्श पी-59 है जिस पर ए से बी बबलू और सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान गिरफ्तारशुदा मुल्जिमा सुनीता ने उसे स्वेच्छा से सूचना दी थी कि दिनांक 18.05.2020 को उसने जो साडी पहनी हुई थी फटने के कारण एवं कांटे लगने के कारण उसने जिसे बदला था एवं उसके हाथ के चूड़े टूटने के कारण उसने बाकी बचे चूड़े को उसके रिहायशी मकान ढोटी, देवलीमांझी में रख रखा है। उस साड़ी एवं चूड़े को वह चलकर बता सकती है। फर्द सूचना प्रदर्श पी-60 तैयार की गई जिस पर एक्स स्थान पर मुल्जिमा की अंगूठा निशान और ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

76. गवाह ने आगे साक्ष्य दी है कि मुल्जिम बबलू की निशांदेही पर उसके रिहायशी मकान गांव आरामपुरा से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल RJ-33-HC-0875 तथा एक मोबाइल जीओ ब्लैक रंग तथा मुल्जिम के वक्त घटना पहने हुए कपडे फुल आस्तीन गोल गले की टी-शर्ट एव काले रंग का लोअर जब्त किया। मोबाइल को एक थैली में रखकर सील मोहर मार्क-एच और मुल्जिम के कपड़ो को एक कपडे की थैली में सील कर मार्क-आई दिया गया। फर्द जब्ती प्रदर्श पी-12 है जिस पर ई से एफ उसके व जी से एच मुल्जिम बबलू के हस्ताक्षर हैं तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। मुल्जिम बबलू बैरवा की सूचना पर उम्मेदगंज गांव की पुलिया पर पानी में फेंका गया एक मोबाइल सफेद रंग कार्बन कपनी का

Authenticated Document

जब्त किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी-13 है जिस पर ई से एफ मुल्जिम के और जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। मुल्जिम बबलू से मोटरसाइकिल, कपड़े एवं मोबाइल बरामद कर बरामदगी का नक्शा मौका प्रदर्श पी-14 बनाया जिस पर ई से एफ बबलू और जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। मुल्जिम बबलू बैरवा की निशांदेही पर वह स्थान जहाँ से रामस्वरूप को मुल्जिमान ने नीचे फैंका था उसका नक्शा मौका बबलू की निशांदेही से बनाया था जो प्रदर्श पी-15 है जिस पर ई से एफ बबलू और जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। सुनीता की निशांदेही पर उसके रिहायशी मकान से उसकी पहनी हुई साडी व दो लाख के चूड़े जब्त किये थे। साडी को एक कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क-ई तथा लाख के चूड़े को एक कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क-एफ दिया था जिसकी फर्द प्रदर्श पी-16 है जिसके एक्स स्थान पर मुल्जिमा सुनीता की अंगूठा निशानी है तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर और वाई स्थान पर नमूना सील अंकित है। उक्त जब्ती का नक्शा मौका प्रदर्श पी-18 बनाया जिस पर एक्स स्थान पर सुनीता की अंगूठा निशानी और सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। सुनीता की निशांदेही पर दाढदेवी जंगल में जिस स्थान पर जहाँ पर मृतक रामस्वरूप को धक्का देकर नीचे पटका था जिसका नक्शा मौका सुनीता की निशांदेही पर बनाया था जिसकी फर्द प्रदर्श पी-19 है जिसके एक्स स्थान पर सुनीता की अंगूठा निशानी और सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं।

77. गवाह ने आगे साक्ष्य दी है कि एफएसएल जांच हेतु एफएसएल के लिए थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-21 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। एफएसएल के लिए एस.पी. ऑफिस के अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-23 व पी-24 हैं। एफएसएल रसीद शामिल पत्रावली है।घटनास्थल के फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी-30 लगायत पी-42 शामिल पत्रावली है और सीडी प्रदर्श पी-43 शामिल पत्रावली है। एफएसएल की विष सेक्शन से प्राप्त रिपोर्ट प्रदर्श पी-61 है जो शामिल पत्रावली है। एफएसएल के सीरम विभाग से प्राप्त रिपोर्ट प्रदर्श पी-62 संलग्न पत्रावली है।एफएसएल के फिजिक्स विभाग से प्राप्त रिपोर्ट प्रदर्श पी-63 शामिल पत्रावली है। मृतक के पहने हुए कपड़े बाद पोस्टमार्टम प्राप्त कर जप्त किये थे जिन्हें एक कपडे की थैली में रखकर सील कर मार्क-ए दिया गया था जो प्रदर्श पी-10 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर और एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। मुल्जिमान का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-11 व पी-12 शामिल पत्रावली है। एफएसएल कोटा को बाद पोस्टमार्टम विसरा परीक्षण हेतु भेजा था जिसका थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-64 है जो शामिल पत्रावली है। चॉक एमपीआर शामिल पत्रावली है जो प्रदर्श पी-45 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। थाना कैथून की मर्ग एफआईआर एवं रिपोर्ट शामिल पत्रावली है। मुल्जिम बबलू का वोटर आईडी कार्ड प्रदर्श पी-65 शामिल पत्रावली है जिस पर ए

Authenticated Document

से बी उसके हस्ताक्षर हैं। एमपीआर नं. 12/20 में फर्द जब्ती प्रदर्श पी-5 व फर्द फोटोग्राफी प्रदर्श पी-6 व नक्शा मौका प्रदर्श पी-7 शामिल पत्रावली किया गया।

78. गवाह ने आगे साक्ष्य दी है कि प्रकरण में जब्तशुदा माल न्यायालय में मौजूद है जिसको खोलने पर मृतक रामस्वरूप के पहने हुए एक जोडी चप्पल आर्टिकल 1/1 एवं 1/2 है। शर्ट फुल आस्तीन सफेद लाइनदार आर्टिकल-2 है जो कि घटनास्थल से बरामद हुई थी। यह शर्ट मृतक रामस्वरूप की होना उसके लडके मोहित द्वारा बताया गया था। एक हाफ आस्तीन की बनियान काले रंग की आर्टिकल-3 है। महेंदी रंग का पेंट आर्टिकल-4 है जो मृतक के बाद पोस्टमार्टम उसके द्वारा जब्त किया गया था। एक फुल आस्तीन की टी-शर्ट सफेद रंग की आर्टिकल-5 है जो कि मुल्जिम बबलू की निशांदेही पर जब्त की गई थी जिसे उसके द्वारा वक्त घटना पहनना बताया गया। एक लोअर काले रंग का जो कि बबलू द्वारा वक्त घटना पहनना बताया गया आर्टिकल-6 है। एक सफेद रंग की खून आलूदा साफी जो घटनास्थल से जब्त की थी आर्टिकल-7 है जिसे मृतक की होना बताया था। एक पत्थर जो मौके से जब्त किया गया था आर्टिकल-8 है।

79. गवाह ने आगे साक्ष्य दी है कि पूर्व में एफएसएल भेजने के समय माल पर जो चिट चस्पा थी जो प्रदर्श पी-66 लगायत पी-69 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर और तीन एक्स स्थान पर थाने की सील अंकित है, सी से डी और ई से एफ कार्यवाही के गवाहान के हस्ताक्षर हैं। दो चूड़े लाख के मुल्जिमा सुनीता मेघवाल की निशांदेही से जब्त किये थे जो आर्टिकल-9 है जिस पर चिट चस्पा है जो प्रदर्श पी-70 है जिस पर ए से बी उसके और सी से डी, ई से एफ गवाहान के हस्ताक्षर, एक्स स्थान पर सुनीता की अंगूठा निशानी है और तीन वाई स्थान पर थाने की नमूना सील अंकित है। मुल्जिमा सुनीता की वक्त घटना पहनी हुई साडी आर्टिकल-10 है जिस पर चिट चस्पा है जो प्रदर्श पी-71 है, जिस पर ए से बी उसके और सी से डी, ई से एफ गवाहान के हस्ताक्षर, एक्स स्थान पर सुनीता की अंगूठा निशानी और तीन वाई स्थान पर थाने की नमूना सील अंकित है। मौके से जब्तशुदा सादा मिट्टी आर्टिकल-11 है जिस पर चिट चस्पा है जो प्रदर्श पी-72 है जिस पर ए से बी उसके और सी से डी, ई से एफ गवाहान के हस्ताक्षर और तीन एक्स स्थान पर थाने की नमूना सील अंकित है। मौके पर पड़े खून आलूदा पत्थर से गौस पट्टी से लिया गया खून और झाड़ी पर लगा खून और पेड पर लगा साडी का टुकडा तथा एक लाख की चूड़ी का टुकडा जो एक पैकेट में एफएसएल भेजा गया था आर्टिकल-12 है जिस पर चिट चस्पा है जो प्रदर्श पी-73 है जिस पर ए से बी उसके और सी से डी, ई से एफ गवाहान के हस्ताक्षर हैं और तीन एक्स स्थान पर थाने की नमूना सील अंकित है। बाद अनुसंधान मुल्जिमान बबलू बैरवा एवं सुनीता मेघवाल के विरुद्ध

Authenticated Document

धारा 302, 364, 201, 202, 176/34 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उक्त मुल्जिमान के खिलाफ चार्जशीट कता कर पेश न्यायालय की।

80. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त बबलू गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-13 गुमशुदगी की रिपोर्ट गुमानपुरा थाने पर दर्ज करवाई थी, प्रदर्श पी-13 पर तारीख व समय अंकित नहीं है। गवाह ने कथन किया है कि पुलिस थाना गुमानपुरा की एम. पी. आर. दर्ज कर उसने महेन्द्र सिंह एएसआई को सुपुर्द की थी, 20 तारीख को महेन्द्र सिंह एएसआई को डाढदेवी जंगल में रामस्वरूप के कुछ सामान मिले थे, जिसे उसके द्वारा जब्त किया गया था और फोटोग्राफी वगैरह करवायी थी। गवाह ने स्वीकार किया है कि उसके द्वारा फर्द फोटोग्राफी नहीं बनवाई गयी थी, महेन्द्र सिंह के बयान उक्त पत्रावली में आज दिनांक तक नहीं है और ना ही उसने महेन्द्र सिंह के बयान लिये, एम पी आर की फाईंडिंग महेन्द्र सिंह द्वारा उसे नहीं दी गई तथा एमपीआर की पत्रावली में आज दिनांक तक शामिल है, महेन्द्र सिंह ने एम पी आर में किन-किन गवाहों के बयान लिये पत्रावली पर मौजूद नहीं है।

81. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त बबलू गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि थाने से रवाना होने व वापसी पर रपट डाली जाती है, महेन्द्र सिंह की रवानगी रपट व वापसी भी एम.पी.आर. के सबंध में पत्रावली में मौजूद नहीं है, प्रदर्श पी-1 पर कोई दिनांक व समय अंकित नहीं है, एम पी आर प्रदर्श पी-13 में किसी भी अभियुक्त का नाम नहीं लिखा हुआ है। गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी-1 उसके पास लिखी हुई पेश की थी ये किसने लिखी ये उसे पता नहीं है, फरियादी मोहित मेहरा पुलिस से पहले प्रदर्श पी-13 देने से पूर्व घटना स्थल पर चला गया था और प्रदर्श पी-13 घटनास्थल देखने के बाद दी थी। गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-1 में मोहित मेहरा ने जो स्थान घटना का लिखा है यह कैथून थाना क्षेत्र में आता है, थाना गुमानपुरा के क्षेत्र में नहीं आता, मोहित मेहरा ने या उसकी बहिन ने या उसके किसी परिवारजन ने कैथून थाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी है और ना ही उसने मोहित मेहरा व उसकी बहिन तथा उसके परिवारजन को कहा कि उनका घटना से संबंधित स्थान कैथून थाना क्षेत्र में आता है गुमानपुरा क्षेत्र में नहीं।

82. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त बबलू गवाह ने यह भी कथन किया है कि उक्त घटना के संबंध में उसने उच्चाधिकारियों से निवेदन किया था और उसके पश्चात उसकी बात कैथून एसएचओ से भी हुई थी। गवाह ने स्वीकार किया कि उसने किस माध्यम से उच्चाधिकारियों व कैथून एस.एच.ओ. से बात की इस बात उल्लेख पत्रावली में मौजूद नहीं है, थाना कैथून कोटा ग्रामीण में आता है और थाना गुमानपुरा कोटा शहर में आता है और दोनों के एस.पी. अलग-अलग हैं, उस दिन उसने सिटी एस.पी. व आई.जी साहब से बात की थी। गवाह ने स्वीकार किया कि

Authenticated Document

उसने ग्रामीण एस पी साहब से बात नहीं की थी, उस दिन थाना गुमानपुरा पर थानाधिकारी वह ही था, प्रदर्श पी-1 की पुश्त पर जी से एच स्थान पर ऑवर राइटिंग हो रही है, तफ्तीश उसके पास थी, कार्यवाही पुलिस में मुकदमा नंबर अंकित नहीं है क्योंकि सीसीटीएनएस में मुकदमा नंबर स्वयं जनरेट होता है और कार्यवाही पुलिस में मुलजिमान के नाम लिखे हुये नही हैं। गवाह ने कथन किया है कि तफ्तीश मिलने के बाद उसने लाश का पोस्टमार्टम करवाया और डेडबॉडी सुपुर्द की, बयान 161 सी.आर.पी.सी. लिये और घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया। गवाह ने स्वीकार किया कि मृतक को हॉस्पिटल में किसने भर्ती करवाया यह पत्रावली में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। गवाह ने कहा कि कैथून थाने की मृग शामिल पत्रावली है।

83. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त बबलू गवाह ने स्वीकार किया कि मृग से संबंधित कैथून थाने के किसी के भी बयान उसने नहीं लिये और ना ही कैथून थाने के किसी को गवाह बनाया, कैथून थाने में मृग रिपोर्ट अज्ञात की दर्ज हुयी थी, मृग रिपोर्ट में थाना कैथून पर एम बी एस अस्पताल में लाश मोर्चरी में रखे हुये होने की सूचना एम बी एस चौकी से प्राप्त हुई थी, प्रदर्श डी-2 व प्रदर्श डी-3 में मृतक का नाम नहीं लिखा है क्योंकि उस समय तक मृतक का नाम पता नहीं था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि पत्रावली पर इस बात का उल्लेख नहीं है कि डेडबॉडी को किस साधन से कौन लेकर आया था, उस समय कोरोना काल था और आने जाने की पाबंदिया लगी हुयी थीं, जगह-जगह पुलिस मौजूद रहती थी, ऐसे सीसीटीवी कैमरे की वीडियो या फोटो ऐसी प्राप्त नहीं हुयी जिसमें मृतक रामस्वरूप मुलजिमान के साथ जा रहा हो। गवाह ने कथन किया है कि मोटरसाइकिल मुलजिम की सूचना पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-27 के तहत जब्त की थी। गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-2 शिनाख्तगी लाश उसकी ही कलमी है।

84. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त बबलू गवाह ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-2 फर्द शिनाख्तगी लाश एम बी एस अस्पताल कोटा में बनाई थी। प्रदर्श पी-3 फर्द पंचायतनामा लाश, प्रदर्श पी-4 फर्द सुपुर्दगी लाश उसकी कलमी है, जो एम बी एस अस्पताल में बनाई थी। प्रदर्श पी-5 महेन्द्र सिंह ए एस आई की कलमी है। गवाह ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-5 एम पी आर के संबंध में दिनांक 20.05.2020 को बनाई थी जिसकी जांच महेन्द्र सिंह ए एस आई के पास थी एवं प्रदर्श पी-5 पर महेन्द्र सिंह की नमूना सील अंकित है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि महेन्द्र सिंह ने नमूना सील कहां रखी, कहां नहीं रखी या नष्ट कर दी इस संबंध में पृथक से कोई फर्द नहीं बनाई एवं उसके द्वारा कार्यवाही किये जाने से पहले ही महेन्द्र सिंह ए एस आई द्वारा प्रदर्श पी-5 की कार्यवाही की गई थी। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-6 फर्द फोटोग्राफी महेन्द्र सिंह ए एस आई

Authenticated Document

ने बनाई थी जो कि उसने घटनास्थल पर बनाई थी। महेन्द्र सिंह ने एम पी आर की जांच में किसी गवाह के बयान नहीं लिए थे।

85. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त बबलू गवाह ने स्वीकार किया है कि महेन्द्र सिंह ए एस आई ने एम पी आर की कोई फाईन्डिंग नहीं बनाई। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-5 व पी-6 में जो गवाहान महेन्द्र सिंह ने बनाए उनके बयान लेखबद्ध नहीं किये गये। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-7 नक्शा महेन्द्र सिंह ए एस आई द्वारा बनाया गया। जिसमें अफजल और राहुल कश्यप ही गवाह हैं। महेन्द्र सिंह ने दिनांक 20.05.2020 को ही उक्त फर्दें बनाई गई थी। महेन्द्र सिंह द्वारा 21.05.2020 को जब प्रकरण दर्ज हुआ तब उक्त पत्रावली उसे सम्भलाई थी, सम्भलाने का निश्चित समय याद नहीं है। महेन्द्र सिंह ए एस आई ने उक्त घटना में प्रकरण दर्ज होने पर एम पी आर की पत्रावली उसे सुपुर्द कर दी थी। किसी उच्चाधिकारी के आदेश पर पत्रावली नहीं दी थी उसके मांगे जाने पर पत्रावली उसे सुपुर्द की थी। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उपर वर्णित बात इस पत्रावली पर अंकित नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-8 उसकी कलमी है। प्रदर्श पी-8 बनाने वह थाने की जीप से गया था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि थाने की गाडी जहां भी जाती है उसकी लॉग बुक भरी जाती है जो पत्रावली पर मौजूद नहीं है। थाने से घटनास्थल करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नक्शा मौका प्रदर्श पी-8 जहां से अभियुक्तगण मृतक को बैठाकर ले गए थे जो छावनी में पडता है, वहां का बनाया था।

86. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त बबलू गवाह ने स्वीकार किया है कि नक्शा मौका में जो रास्ता है वह आम रास्ता है वहां के आस पास के लोगों को उसके द्वारा गवाह नहीं बनाया गया। उक्त आम रास्ते पर कोई सी सी टी वी कैमरा नहीं था। प्रदर्श पी-8 बनाने में कितना समय लगा उसे आज याद नहीं है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-13 जो मृतक की पुत्री अंजली ने दी थी उसमें बबलू का नाम नहीं है एवं उसमें तारीख लगी हुई नहीं है। प्रदर्श पी-10 उसकी कलमी है जो एम बी एस अस्पताल मोर्चरी पर बनाई थी, इस पर थाने की मुहर अंकित है। थाने की सील मालखाने के आई ओ किट में रहती है। सील आई ओ किट में रहती है, और वहीं रख दी गई थी। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि जब्तशुदा कपडे आज हाजिर अदालत नहीं है तथा प्रदर्श पी-10 में जब्तशुदा कपडे किस कम्पनी के थे, पैंट रेडीमेड था या सिला हुआ था इस बात का अंकन में नहीं है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-11 थाने पर बनाई गई थी तथा इसमें दोनों गवाह पुलिसकर्मी हैं। अभियुक्त को थाने पर कहां से लाए थे इस बारे में प्रदर्श पी-11 में

Authenticated Document

उल्लेख नहीं है। प्रदर्श पी-12 फर्द जब्ती आरामपुरा में बनाई थी तथा इसमें दोनों गवाह पुलिसकर्मी हैं।

87. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त बबलू गवाह ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-12 में आसपास के गांव वाले लोगों को गवाह नहीं बनाया। मोटरसाईकिल अभियुक्त के घर से जब्त की थी तथा प्रदर्श पी-12 की बरामदगी स्थल के स्वत्व के संबंध में कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किये थे। प्रदर्श पी-13 फर्द जब्ती उसके द्वारा उम्मेदगंज गांव में बनाई थी जिसमें दोनों गवाह पुलिसकर्मी हैं। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-13 का बरामदगी स्थल एक आम रास्ता है, लोगों का आना-जाना है तथा प्रदर्श पी-13 के जर्ये जब्तशुदा आर्टिकल आज हाजिर अदालत नहीं है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-13 के जर्ये जब्तशुदा मोबाईल किसके नाम का है और सिम किसके नाम की है तथा प्रदर्श पी-14 बरामदगी स्थल में कौन कौन रह रहा था, कौन कौन मौजूद था आज उसे याद नहीं है। प्रदर्श पी-14 बरामदगी स्थल पर वह सरकारी वाहन से गया था, वाहन के नम्बर आज याद नहीं है, रोजनामचा देखकर बता सकता है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-13 व पी-14 में गवाहान पुलिसकर्मी हैं, वहां रहने वाले आसपास के लोग नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-14 बरामदगी स्थल के आसपास के मकानों में लोग निवास कर रहे थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-15 उसकी कलमी है जो दिनांक 23.05.2020 को बनाया था तथा उसमें गवाहान पुलिसकर्मी है।

88. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त बबलू गवाह ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-15 में दर्शित रास्ता, आम रास्ता है ढाड देवी वाला रोड है, लेकिन जंगल का मार्ग है, कभी कभी लोग आते हैं, घटना के समय कोराना काल था, लॉकडाउन चल रहा था, रोड खाली थे। प्रदर्श पी-17 फर्द फोटोग्राफी लाश उसकी कलमी है। फोटोग्राफी उसके स्वयं के मोबाईल से की थी तथा उसमें मोबाईल नम्बर अंकित नहीं है तथा गवाहान पुलिसकर्मी ही हैं। गवाहान के बयान थाने पर, ढाड देवी मंदिर पर, मौके पर लिये गये थे। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-61 एफ एस एल की रिपोर्ट में मृतक के विसरा में ''इथाईल एल्कोहल की उपस्थिति'' लिखी हुई है।

89. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्ता सुनीता गवाह ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-46 लगायत पी-49 फोटोग्राफ्स मृतक को वह खुली आंखों से देख सकता है एवं इनमें मृतक के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं दिखाई दे रहे। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त पूरे प्रकरण में उसने मृतक का वजन नहीं नापा/लिखा। यह कहना सही है कि मृतक के पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में इथाईल एल्कोहल

Authenticated Document

की मौजूदगी आई है और मृतक शराब का आदी था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी-31 से पी-42 में किस स्थान पर मृतक की बॉडी पडी थी अथवा किस स्थान पर क्या पडा था ऐसा अंकित नहीं है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि फोटोग्राफ्स में मृतक जिस स्थान पर गिरा था उस स्थान को कोई चिह्न बनाकर नहीं दिखाया गया है तथा सामान्य रूप से देखने पर फोटोग्राफ्स में ऐसा कोई विशेष स्थान दिखाई नहीं दे रहा कि मृतक कहां पर पडा था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-5 फर्द जब्ती में घटनास्थल से जिस परपल रंग की शर्ट की जब्ती का उल्लेख है वह प्रदर्श पी-33 में सफेद दिखाई दे रही है, परपल रंग की नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-33 फोटोग्राफ मे शर्ट व साफी फटी हुई दिखाई नहीं दे रही।

90. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्ता सुनीता गवाह ने स्वीकार किया है कि उस समय कोरोना काल था एवं उसके द्वारा उक्त पत्रावली में कोरोना काल के संबंध में जिला कलक्टर द्वारा जारी निषेधाज्ञा आदेश की प्रति नहीं लगाई है तथा रामस्वरूप ने कोरोना काल की निषेधाज्ञा का पालन नहीं किया। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 अंजली ने दी थी और हत्या की रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 मोहित मेहरा ने दी थी एवं गुमशुदगी की रिपोर्ट देने से हत्या की रिपोर्ट दर्ज होने तक घटनास्थल पर पुलिस नहीं पहुंची थी, फरियादी मोहित पहुंचा था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि रामस्वरूप मृतक की बॉडी को 108 एम्बुलेंस द्वारा एम बी एस अस्पताल पहुंचाया गया था, पहुंचाने वाले व्यक्ति और सूचना देने वाले व्यक्ति के बयान और एम्बुलेंस का रिकॉर्ड पत्रावली पर आज दिनांक तक संलग्न नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-13 में सुनीता के हुलिये और कपडों के बारे में उल्लेख नहीं है। रामस्वरूप के घर में अंजली के अतिरिक्त और कौन-कौन था आज उसे याद नहीं है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-1 व प्रदर्श पी-13 में वारदात का आशय और किसी पुरानी रंजिश आदि का उल्लेख नहीं है।

91. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्ता सुनीता गवाह ने स्वीकार किया है कि अंजली और मोहित दोनों उक्त घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी-46 लगायत पी-49 में चोट दिखाई नहीं दे रही इसलिए खून भी दिखाई नहीं दे रहा। प्रदर्श पी-31, पी-32, पी-33 व पी-41 फोटोग्राफ्स में शराब का पव्वा, पानी की बोतल व गिलास दिखाई दे रहे हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि शराब पी रहे होंगे। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-1 व पी-13 में बहला फुसलाकर रामस्वरूप को ले जाने का कोई तथ्य अंकित नहीं है। यह कहना सही है कि जो साडी जब्त की गई वह आज न्यायालय के समक्ष नहीं है। सुनीता का

Authenticated Document

मेडिकल शराब के संबंध में नहीं करवाया था। प्रदर्श पी-40 फोटो में दिखाई दे रही पुलिया की दीवार से धरातल की गहराई/उंचाई लगभग 10 फीट है। पुलिया से रामस्वरूप का शरीर कहां पर गिरा था वह निश्चित स्थान वह नहीं बता सकता। अंजली विवाहित थी अथवा नहीं, उसकी जानकारी में नहीं है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-13 गुमशुदगी रिपोर्ट में जब मृतक रामस्वरूप घर से गया उस वक्त घर पर कौन-कौन सदस्य मौजूद थे, इसका उल्लेख नहीं है तथा अनुसंधान में यह सामने आया था कि सुनीता मेघवाल, रामस्वरूप के घर पर आती-जाती थी और किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि अंजली के पुलिस बयान में यह अंकित है कि उसके पिता रामस्वरूप शराब खरीद कर लाये थे। रामस्वरूप के घर से चौराहा (जो अंजली के पुलिस बयान में अंकित है) के बीच की दूरी करीब 200-300 मीटर है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-8 में मृतक के घर से चौराहे की दूरी कितनी है, ऐसा अंकित नहीं है। प्रदर्श पी-8 में मृतक के घर से चौराहे का नक्शा बना है लेकिन उक्त नक्शे में डीसीएम रोड की तरफ जाने वाले रास्ते के बारे में कहीं कुछ अंकन नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-15 में मृतक के साथ मारपीट की बात नहीं लिखी हुई है।

92. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्ता सुनीता गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-1 व पी-13 में मृतक व अभियुक्तगण के बीच किसी प्रकार की मारपीट होने का उल्लेख नहीं है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि सुनीता मेघवाल और मृतक रामस्वरूप दोनों घर से निकले इस बात को मोहित और अंजली के अतिरिक्त किसी ने नहीं कहा है तथा प्रदर्श पी-1 तहरीरी रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं है कि रामस्वरूप और सुनीता क्यों साथ में गये थे। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि भंवरलाल के पुलिस बयान में यह कहीं भी नहीं लिखा है कि रामस्वरूप की मृत्यु हो चुकी थी। यह कहना सही है कि सुनीता, भंवरलाल की दुकान पर रामस्वरूप व स्वयं के लिए पानी लेने आई थी और जिस पर भंवरलाल सुनीता के साथ पानी की बोतल लेकर घटनास्थल पर गया था। गवाह ने इस तथ्य से इंकार किया है कि सुनीता ने अंजली और मोहित को रामस्वरूप के ढाड देवी जंगल में घायलावस्था में पड़े होने की सूचना दी हो। गवाह ने स्वीकार किया है कि भंवरलाल के पुलिस बयान में महिला ने क्या कपडे पहने थे इसका कहीं वर्णन नहीं है। यह कहना सही है कि कपडे आदि की जो जब्ती उसके द्वारा बनाई गई हैं उसमें भंवरलाल को कपडों के हुलिया के लिये गवाह नहीं बनाया है। यह कहना सही है कि उसके द्वारा भंवरलाल से सुनीता की शिनाख्ती नहीं करवायी गई है।

93. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्ता सुनीता गवाह ने स्वीकार किया कि भंवरलाल के पुलिस बयान में मारपीट, धक्का देना, झगडा करना, भंवरलाल के द्वारा

Authenticated Document

नहीं कहा गया है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि भंवरलाल की दुकान घटनास्थल से करीब दो-ढाई किलोमीटर की दूरी पर है और सुनीता जब स्वयं रामस्वरूप को पानी पिलाने और बोतल लेने के लिए भंवरलाल की दुकान पर पहुंची और वहां से पानी लेकर वापस घटनास्थल तक आने तक तथा पानी पिलाकर भंवरलाल के स्वयं के दुकान जाने तक रामस्वरूप जिन्दा था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-14 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के कॉलम संख्या-8 में यह लिखा हुआ है कि मृतक की मृत्यु चोट लगने से हुई है तथा सुनीता और मृतक रामस्वरूप दोनों आर्थिक रूप से कमजोर थे। गवाह ने इस तथ्य को गलत बताया है कि रामस्वरूप शराब पीकर गिर गया हो और स्वयं के चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई हो। गवाह ने स्वीकार किया है कि मृतक रामस्वरूप को पुलिया की दीवार से फेंका गया हो/धक्का दिया गया हो और वह दीवार से कितनी दूरी पर गिरा हो, इस दूरी का कहीं कोई अंकन नहीं है तथा मृतक और अभियुक्तगण के बीच कोई पुरानी रंजिश हो ऐसा पूरे अनुसंधान में कोई तथ्य नहीं आया है।

94. अभियोजन साक्षी संख्या-7 डॉ. अमित जोशी, पी.डब्ल्यू. 21 डॉ. लालचन्द वर्मा तथा पी.डब्ल्यू. 22 डॉ. सुरेन्द्र कुमार ने दिनांक 21.08.2020 को मृतक रामस्वरूप मेहरा पुत्र रामप्रताप मेहरा का पोस्टमार्टम करना तथा उसके शरीर पर चार चोटें आने का कथन किया है। उक्त गवाहान ने मृतक रामस्वरूप के शरीर से एफएसएल जाँच रिपोर्ट पेट व आँत का टुकड़ा, लीवर स्प्लिन एवं किडनी का टुकड़ा, सादा खून एवं नमक का घोल लिये जाने का कथन किया है। गवाहान ने मृतक के आई सभी चोटें एन्टीमॉर्टम प्रकृति की होना बताया है एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी.14 को साबित करते हुए मृत्यु का कारण मृत्यु से पूर्व कारित सिर की चोटों की वजह से मृतक के कोमा में जाना बताया है।

95. प्रकरण में मृतक का पोस्टमार्टम करने वाले उक्त मेडिकल बोर्ड के तीनों चिकित्सकीय सदस्यों ने जिरह में एक स्वर में स्वीकार किया है कि कोई आदमी सिर के बल उंचाई से गिर जाए तो चोट संख्या 1 व 2 आने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता तथा मृतक के पेट में पाये गये पदार्थ और उसकी म्यूकोसा में कन्जेक्शन को देखते हुए किसी चीज के सेवन से इन्कार नहीं किया जा सकता।गवाहों ने मृतक के शरीर में एल्कॉहोल की उपस्थिति भी पाई है। गवाहों ने प्रदर्श पी-14 पोस्टमार्टम रिपोर्ट रामस्वरूप से सम्बन्धित होना व एसएचओ थाना गुमानपुरा की तहरीर पर तैयार किये जाने का कथन किया है। गवाहों का यह भी कथन है कि मृतक को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिनांक 19.05.2020 को एमबीएस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था तथा मृतक की पहचान उसके पुत्र मोहित ने की थी। चिकित्सकीय साक्षीगण में अभियोजन साक्षी संख्या-21 डॉ.लालचंद वर्मा ने

Authenticated Document

यह भी स्वीकार किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-14 के पेज नं-1 पर उसने यह अंकित किया है कि मृतक दुबला-पतला था तथा मृतक के शरीर पर आयी चोंटे मृतक के मृत्यु से पूर्व शराब पीकर कहीं गिरने से आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसी गवाह से अधिवक्ता अभियुक्ता सुनीता द्वारा जिरह करने पर गवाह ने स्वीकार किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-14 में वर्णित सभी चोंटे कुंद सतह से कारित है जो किसी सख्त धरातल के टकराने से आ सकती है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा पोस्टमार्टम के दौरान एवं पोस्टमार्टम के बाद भी किसी तरह की हथियार एवं अन्य औजार सबंधी कोई रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड द्वारा तैयार नहीं करवायी तथा ना ही कोई हथियार एवं अन्य औजार पेश किया गया था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वर्णित सिर की सूजननुमा चोंट बांयी तरफ थी तथा मस्तिष्क के उतको में जमा खून तथा नीलगू निशान दांयी तरफ थे तथा जब कोई व्यक्ति उपर से गिरता है तब फ्री फ्लो आने की संभावना ज्यादा रहती है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या-22 डॉ.सुरेन्द्र कुमार ने दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त बबलू स्वीकार किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-14 पर जो राय दी गई है वो मेडिकल ज्यूरिष्ठ की कलमी है, जो समस्त बोर्ड सदस्यों की उपस्थिति में लिखी गई थी। गवाह ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-14 की समस्त कार्यवाही मेडिकल ज्यूरिष्ठ ने की थी, उसके तो उस पर बोर्ड सदस्य के रूप में हस्ताक्षर है। इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके हस्ताक्षर हैं स्वयं कहा कि लिखावट उसकी कलमी नहीं है। जो मृतक का विसरा लिया गया था जो ज्यूरिष्ठ के द्वारा भेजा गया था। गवाह ने स्वीकार किया है कि जो विसरा लिया गया था वह किसकी सील से शील्ड किया गया था, किसके हस्ताक्षर थे यह उसे आज पता नहीं है। इसी गवाह से अधिवक्ता अभियुक्ता सुनीता द्वारा जिरह करने पर गवाह ने इस तथ्य से इन्कार किया है कि मृतक के शरीर पर सभी चोंटे बायीं तरफ ही थी। गवाह ने स्वीकार किया है कि पोस्टमार्टम में वर्णित चोट नम्बर-1 सिर पर सूजननूमा चोट बायीं तरफ थी और मस्तिष्क के उतको में हिमेटोमा एव उतको में खून के थक्के दायीं ओर थे।

96. पत्रावली पर स्पष्ट है कि इस प्रकरण की शुरुआत अंजली द्वारा दिनांक 19.05.2020 को थाना गुमानपुरा में गुमशुदगी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 13 देने पर हुआ है, जिसमें उसने अपने पिता का सुनीता व बबलू दोनों के साथ निकलने का कथन किया है। तत्पश्चात पी.डबल्यू.-1 मोहित द्वारा प्रदर्श पी-1 रिपोर्ट पुलिस थाना गुमानपुरा में दर्ज करायी गयी है, जिसमें उसने अपने पिता को सुनीता और बबलू द्वारा हीरो होण्डा स्पलेण्डर मोटरसाइकिल पर बैठाकर डीसीएम की तरफ ले जाने का कथन किया है। जो रिपोर्ट दिनांक 21.05.2020 को समय 12.37 एएम पर दर्ज करायी गयी है।

Authenticated Document

पत्रावली पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-14 तथा अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 23 मनोज सिंह, पी.डब्ल्यू.07 डॉ अमित जोशी, पी.डब्ल्यू. 21 डॉ. लालचन्द वर्मा व पी.डब्ल्यू. 22 डॉ. सुरेन्द्र कुमार के बयानों के अनुसार मृतक को दिनांक 19.05.2020 को 09.30 पीएम पर एमबीएस हॉस्पिटल में किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भर्ती करा दिया गया था। अतः पत्रावली पर यह बात स्पष्ट है कि प्रदर्श पी-1 रिपोर्ट जो मोहित ने दर्ज करायी है, उससे पूर्व वह डाढ़देवी के जंगलों में वह रामस्वरूप को ढूंढने भी गया था। इसके पश्चात रिपोर्ट करायी है। पत्रावली पर प्रदर्श पी-1 रिपोर्ट से यह बात भी सामने आती है कि जब मृतक रामस्वरूप को अभियुक्तगण सुनीता व बबलू मोटरसाइकिल पर लेकर गये, उस समय मोहित मेहरा के अलावा उसका एक भाई और एक बहन का साथ रहने का कथन किया गया है। पत्रावली पर आई साक्ष्य से यह बात भी सामने आयी है कि उस समय मृतक के घर पर पी.डब्लयू.-1 मोहित, पी.डबल्यू.-4 अंजली, पी.डब्ल्यू.-14 विष्णु जो मृतक का जंवाई था और पी.डब्ल्यू.-20 मीना जो उसकी लड़की है जो डिलीवरी के लिये आयी हुयी थी, मौजूद थे। पत्रावली पर यह भी आया है कि पी.डब्ल्यू.-14 विष्णु और पी.डब्ल्यू.-20 मीना घटना वाले दिन यानी दिनांक 18.05.2020 को ही भवानी मण्डी निकल गये थे।

97. जहां तक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 364/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध में धारा 364 भारतीय दण्ड संहिता इस प्रकार हैः-

> **364. हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण** - जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए या उसको ऐसे व्ययनित किया जाए कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

98. इस सम्बन्ध में धारा 362 भारतीय दण्ड संहिता इस प्रकार हैः-

> **362. अपहरण** - जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए चल द्वारा विवश करता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, यह कहा जाता है।

99. इस सम्बन्ध में पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो फरियादी पी.डब्ल्यू. 1 मोहित ने अपने बयानों में सुनीता और बबलू द्वारा उसके पिताजी को दिनांक 18.05.2020 को सुबह 11 बजे

Authenticated Document

हीरो होण्डा स्प्लेण्डर मोटरसाईकिल पर बिठाकर डी.सी.एम. दाढदेवी की तरफ ले जाने का कथन किया है, उसके पिताजी के वापस नहीं आने पर तलाश करना परन्तु उनका कोई पता नहीं लगना कथन किया है। गवाह ने स्वयं द्वारा दी गई तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1 को साबित किया है। गवाह ने सुनीता को अपने पिताजी की दोस्त होना और उसका उनके घर में खूब आना जाना, उसके पापा का भी सुनीता के साथ घूमते रहने और दोनों में सम्बन्ध होना तथा उसके पापा और सुनीता का आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होने का कथन किया है। गवाह ने सुनीता और उसके पापा द्वारा साथ में शराब पीना और दोनों का हंसते खेलते बातें करना कथन किया है। गवाह ने अपने पापा द्वारा सुनीता के साथ बाहर जाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं करने का कथन किया है जिससे यह स्पष्ट है कि फरियादी के पापा रामस्वरूप अपनी इच्छा व सहमति से सुनीता के साथ गए थे। रामस्वरूप जब सुनीता के साथ घर से बाहर गया तब फरियादी भी घर पर ही था जिसके द्वारा भी रामस्वरूप का सुनीता के साथ बाहर जाने से कोई रोकटोक की गई हो ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है। रामस्वरूप का सुनीता के साथ उसकी सहमति से अपने घर से जाना आया है परन्तु रामस्वरूप के घर वापस नहीं लौटने पर उन्होंने सुनीता से कोई जानकारी ली हो ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं आया है अपितु यह जानकारी होते हुए भी कि रामस्वरूप अपनी सहमति से सुनीता के साथ गया है, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पी.डब्ल्यू. 4 अंजली द्वारा दर्ज करवाई गई है।

100. गवाह पी.डब्ल्यू. 4 अंजली फरियादी की बहिन है जिसने अपने बयानों में उसके पिताजी रामस्वरूप का सुनीता के साथ बाइक पर बैठकर बाहर जाने का कथन किया है और देर रात तक वापस नहीं आने और उनका फोन नहीं लगने पर उसके द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। गवाह ने गुमशुदगी की रिपोर्ट प्रदर्श पी. 13 को साबित किया है। इस गवाह ने भी स्वीकार किया है कि उसके पिताजी की सुनीता आंटी के साथ अच्छी दोस्ती थी और दोनों ने साथ साथ ड्रिंक भी की थी और यह भी कहती है कि पिताजी स्वेच्छा से सुनीता के साथ मोटरसाईकिल पर बैठकर बाहर गए थे। पी.डब्ल्यू. 14 विश्णु ने सुनीता और रामस्वरूप का घर से एक साथ प्रेमपूर्वक जाना और उनके बीच कोई झगड़ा नहीं होना कथन किया है और यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी के साथ जाए तो उसे अपहरण नहीं कहते हैं। यह गवाह यह भी कहता है कि उसकी पत्नी ने उसे यह बताया था कि सुनीता का उसके ससुराल में अच्छा खासा आना जाना था व प्रेमपूर्ण व्यवहार था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना वाले दिन या उससे पूर्व या उसके बाद उनके मध्य कोई विवाद नहीं था। गवाह पी.डब्ल्यू. 20 मीना कहती है कि अपहरण करने की बात बयान प्रदर्श डी.1 में गलत लिखी है।

Authenticated Document

101. इस सम्बन्ध में अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 23 मनोज सिंह ने भी यह कहा है कि प्रदर्श पी. 1 व पी. 13 में बहला फुसलाकर रामस्वरूप को ले जाने का कोई तथ्य अंकित नहीं है। पत्रावली पर प्रदर्श पी. 1 तहरीरी रिपोर्ट और प्रदर्श पी. 13 गुमशुदगी रिपोर्ट तथा गवाह पी.डब्ल्यू. 1 मोहित, पी.डब्ल्यू. 4 अंजली, पी.डब्ल्यू. 14 विष्णु और पी.डब्ल्यू. 20 मीना जो रामस्वरूप के घर के सदस्य थे, इन्होंने सभी ने एक स्वर में कहा है कि उनके पिताजी राजी खुशी, अपनी सहमति से प्रेमपूर्वक सुनीता के साथ गए थे। रामस्वरूप और सुनीता के सम्बन्ध अच्छे थे। रामस्वरूप और सुनीता ने जाने से पहले साथ साथ बैठकर शराब पी थी। रामस्वरूप को बलपूर्वक या प्रवंचनापूर्ण उपायों से ले जाया गया हो, ऐसी कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। पत्रावली पर गवाहान ने कहा है कि मोटरसाईकिल पर तीनों एक साथ गए थे लेकिन कहीं पर भी रामस्वरूप को बहला फुसलाकर या धमकाकर ले जाने का कोई कथन नहीं किया गया है। किसी भी गवाह ने कथन नहीं किया है कि रामस्वरूप के घरवालों ने उसे ले जाने से रोका हो इसके बावजूद भी वे उसे लेकर गए हों। रामस्वरूप का अपनी सहमति से हंसते खेलते, प्रेमपूर्वक सुनीता के साथ मोटरसाईकिल पर जाने का कथन किया है। अतः मेरे विनम्र मत में अभियुक्तगण द्वारा मृतक रामस्वरूप की हत्या करने के आशय से उसका बलपूर्वक या प्रवचंनापूर्ण उपायों से अपहरण किया गया हो यह पत्रावली पर आई साक्ष्य से साबित होना नहीं माना जा सकता है।

102. जहाँ तक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 201, 202 व 176 सपठित धारा 34 भा.द.सं. के अपराधों का संबंध है। इस सम्बन्ध में धारा 176 भारतीय दण्ड संहिता इस प्रकार हैः-

> **176. सूचना या इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तला देने का लोप-** जो कोई किसी लोक सेवक को, ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर कोई सूचना देने या इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से और समय पर ऐसी सूचना या इत्तला देने का साशय लोप करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से,
>
> अथवा यदि दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना या इत्तला किसी अपराध के किए जाने के विषय में हो, या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी,

Authenticated Document

या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

103. धारा 202 भारतीय दण्ड संहिता इस प्रकार हैः-

202. इत्तला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तला देने का साशय लोप - जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में कोई इत्तला जिसे देने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो, देने का साशय लोप करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

104. धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता इस प्रकार हैः-

201 अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना- जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य का विलोप इस आशय से कारित करेगा कि अपराधी को वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करे या उस आशय से अपराध से सम्बन्धित कोई ऐसी इत्तला देगा जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है।

105. इस संबंध में पी.डब्ल्यू. 1 मोहित ने अपने बयानों से यह कहा है कि दिनांक 20.05.2020 को फोन पर जानकारी मिली कि सुनीता और बबलू इसके पिताजी को डाढ़देवी के जंगलों में ले गये हैं। इस संबंध में पी.डब्ल्यू. 4 अंजली के बयान महत्वपूर्ण है, जो यह कहती है कि दिनांक 19.05.2020 को सुनीता आण्टी का फोन आया कि आपके पापा को, डाढ़ देवी रोड पर तीन पुलिया है, वहाँ जाकर देखो। पी.डब्ल्यू. 14 विष्णु यह कहता है कि रामस्वरूप जिस दिन सुनीता के साथ गया, वह उसी दिन भवानीमण्डी निकल गया था। पी.डब्ल्यू.20 मीना कहती है कि वह रास्ते में फोन लगाती रही लेकिन फोन नहीं लगा, यह कहती है कि सुनीता उसके पापा को ले जाने के अगले दिन घर आई थी और पूछा कि तेरे पापा घर नहीं आये क्या। इस संबंध में पी.डब्ल्यू. 15 भंवरलाल कहता है कि सुनीता उसकी दुकान पर दो वर्ष पहले एक मोटरसाइकिल वाले के साथ आई और फिर सुनीता ने कहा कि एक लड़का उनके साथ था, जो उन्हें खाल में धक्का देकर भाग गया था, उसे पानी पिलाना है तो उसने सुनीता के साथ जाकर देखा तो एक डोकरा खाल में पड़ा हुआ था। उसने पानी पिलाने के लिये उसे उठाने की कोशिश की लेकिन उससे पानी नहीं पिया गया। अतः स्पष्ट है कि किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा है कि सुनीता को

Authenticated Document

फोन करके पूछा हो और उसने इनकार कर दिया हो, अपितु बयानों में यह आया है कि सुनीता ने स्वयं फोन किया था और डाढ़देवी के जंगलों में तलाश करने को कहा था। पत्रावली पर किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा है कि उन्होंने सुनीता से पूछताछ करने पर सुनीता ने इनकारी की हो, अपितु वह दुकानदार के पास भी गई है, उस समय तक रामस्वरूप जिंदा था। हालांकि पी.डब्ल्यू.15 भंवरलाल ने कहा है कि वह उठने की स्थिति में नहीं था, उससे पानी भी नहीं पिया गया, लेकिन पत्रावली पर यह नहीं आया है कि उस समय उसकी मृत्यु हो गई हो, वह उस समय जीवित अवस्था में था, जिसे दिनांक 19.05.2020 को हॉस्पिटल ले जाया गया है तथा दिनांक 20.05.2020 को उसकी मृत्यु हुई है, जो पोस्टामॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी.14 से भी साबित है। जिसके अनुसार दिनांक 19.05.2020 को 09:30 पीएम पर उसे भर्ती कराया गया था और दिनांक 20.05.2020 को 10 बजे उसे मृत घोषित किया गया है। अतः पत्रावली पर अभियोजन पक्ष ऐसी कोई साक्ष्य साबित नहीं कर पाया है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतक की हत्या के बाद उसके संबंध में पूछे जाने पर इनकार किया हो या उसकी सूचना देने में लोप किया हो, अपितु पत्रावली पर यह आया है कि सुनीता द्वारा फोन करने पर रामस्वरूप की तलाश की गई है। साक्ष्य का विलोपन किसी प्रकार से करना साबित नहीं है, क्योंकि मृतक के कपड़े, चप्पल व साफी, लाख की चूड़ी के टुकड़े वहीं पर मिले हैं, शराब की बोतल, साड़ी का टुकड़ा मौके पर मिले हैं और मृतक को वहाँ से घसीटकर कहीं ले जाने के निशान भी नहीं हैं कि मृतक के शव को छिपाने या जलाने का प्रयास किया गया हो, अपितु पत्रावली पर यह आया है कि मृतक रामस्वरूप हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, परन्तु उसे भर्ती किसने कराया, यह अवश्य नहीं आया है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है कि मृतक की हत्या किसी हथियार से की गई हो, जिसको तोड़ दिया गया हो या लाश को जला दिया हो शव को ऐसा कर दिया हो कि वह पहचानने में नहीं आये। पत्रावली पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध की मिथ्या इत्तला दी हो या साक्ष्य का विलोपन किया हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अतः मेरे विनम्र मत में अभियुक्तगण द्वारा मृतक के संबंध में इत्तिला देने में कोई लोप नहीं किया गया है।

106. अतः मेरे विनम्र मत में अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया है कि अभियुक्तगण ने सूचना देने के लिये आबद्ध होते हुये किसी लोकसेवक को सूचना नहीं दी हो, मृतक रामस्वरूप की हत्या किये जाने की किसी साक्ष्य का विलोप किया गया हो तथा अभियुक्तगण द्वारा मृतक के परिजनों को सूचना देने से इंकार किया हो एवं किसी लोकसेवक को सूचना नहीं दी हो। अतः अभियोजन पक्ष के विरूद्ध धारा 176/34, 201/34, 202/34 के आरोपों से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

Authenticated Document

107. जहाँ तक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप का सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध में धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता इस प्रकार हैः-

> **300. हत्या** - एतस्मिन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा
>
> **दूसरा** - यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है जिसको वह अपहानि कारित की गई है अथवा
>
> **तीसरा** - यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा
>
> **चौथा** - यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्नसंकट है कि पूरी अधिसम्भाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे।

108. इस सम्बन्ध में चिकित्सकीय साक्षी पी.डब्ल्यू. 7 डॉ. अमित जोशी, पी.डब्ल्यू. 21 डॉ. लालचन्द वर्मा तथा पी.डब्ल्यू. 22 डॉ. सुरेन्द्र कुमार ने अपने बयानों में उनके मेडिकल बोर्ड द्वारा मृतक रामस्वरूप का पोस्टमार्टम करने का कथन किया है। मृतक रामस्वरूप के सिर के अन्दरूनी भाग पर निम्नांकित चोटें आना कथन किया गया हैः-

1. लेफ्ट फ्रन्टोटेम्पोरल भाग पर सूजन व लेफ्ट आंख पर पूरा कालापन मौजूद था। आगे उन्होंने जब डाईसेक्शन किया तब सब स्केल्प हिमेटोमा लेफ्ट फ्रंटोटेम्पोरल भाग पर मौजूद था व लेफ्ट टेम्पोरल बोन में फ्रेक्चर मौजूद था। एसडीएच और एसएएच राईट पैराईटोटेम्पोरल में मौजूद था व ब्रेन में सूजन आई हुई थी व कट सेक्शन मल्टीपल कटयूजन व हिमेटोमा पाया गया जो कि राईट फ्रन्टोटेम्पोरल लॉब में मौजूद था

Authenticated Document

2. एक खरोंच जिसकी साईज 0.5 गुणा 0.5 सेमी. जो कि फीका लाल कलर की थी और वो लेफ्ट साईड ऑफ चेस्ट मौजूद थी। आगे डाइसेक्शन करने पर मसल हिमेटोमा चोट के नीचे मौजूद था य सातवीं रिप लेफ्ट साईड की इसके नीचे फेक्चर थी
3. मल्टीमल इन्जरी ऑफ साईज 8 गुणा 0.25 सेमी से लेकर 3 गुणा 0.25 सेमी जिसका कलर ब्राउनीशेड कलर जो कि लेफ्ट अग्र भुजा से लेकर लेफ्ट भुजा तक मौजूद था
4. एक नीलगू जिसकी साईज 2 गुणा 0.5 सेमी. जो कि नीले कलर का था व लेफ्ट कलाई पर मौजूद था। पेट की नियूकोसा पार्शली कन्जस्टेड थी उसकी केवेट में साठ एमएल ब्राउनिश फ्ल्यूड प्रजेन्ट जिसे उन्होंने एफएसएल के लिए भेजा था।

109. उक्त गवाहान ने मृतक रामस्वरूप का निम्नानुसार विसरा हिस्टोपैथॉलॉजी के लिए लिया जाना कथन किया हैः-

1. एक सील बद जार में पेट व एक आँत का टुकड़ा
2. एक सील बद जार में एक लिवर ईस्पलिन व किडनी का टुकड़ा लिया गया
3. एक सील बद बॉटल जिसमें सादा खून लिया गया
4. एक सील बद बॉटल जिसमें नमक का घोल जो कि प्रिजवटिवीटी के लिए लिया गया।

110. उक्त गवाह पी.डब्ल्यू.7 डॉ. अमित जोशी ने बोर्ड द्वारा दी गई राय में मृतक की मृत्यु का कारण कोमा जो कि मृत्यु से पूर्व कारित सिर की चोटों की वजह से चोट संख्या 1 है जो मृत्यु कारित करने में सक्षम थीं। गवाह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी. 14 को साबित किया है तथा विसरा के लिए गए सेम्पल सील कर एफ.एस.एल. भेजे जाने का कथन किया है। गवाह ने इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया है कि कोई आदमी सिर के बल उंचाई से गिर जाए तो चोट संख्या 1 व 2 आ सकती हैं। गवाह ने मृतक के पेट में पाए गए पदार्थ और उसकी म्यूकोसा में कन्जेक्शन को देखते हुए किसी चीज के सेवन से भी इन्कार नहीं किया है। गवाह ने मृतक के शरीर में एल्कोहॉल पाया जाना तथा दिनांक 20.05.2020 को सुबह 10 बजे मृतक रामस्वरूप को मृत घोषित किया जाना बताया है।

111. पी.डब्ल्यू. 21 डॉ. लालचंद वर्मा तथा पी.डब्ल्यू. 22 डॉ. सुरेन्द्र कुमार जो मेडिकल बोर्ड में शामिल थे, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी. 14 में वर्णित सभी चोटें मृतक रामस्वरूप के शरीर के बाईं तरफ आना बताई हैं तथा उक्त चोटें सख्त धरातल पर उपर से गिरने व दुर्घटना में चोटें आने से इन्कार नहीं किया है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी. 61 के अनुसार विसरा में एल्कोहॉल पाया जाना बताया

Authenticated Document

है तथा मृतक के शरीर पर आई चोटें मृतक के मृत्यु से पूर्व शराब पीकर कहीं गिरने से आने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया है। उक्त गवाहान ने यह भी कथन किया है कि कोई शराब पिया हुआ व्यक्ति किसी ठोस धरातल या वस्तु से टकरा जाए तो मरणासन्न चोट सिर में लगी चोट आ सकती है। गवाहान ने यह भी कथन किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वर्णित सिर की सूजननुमा चोट बांई तरफ थी तथा मस्तिष्क के उतकों में जमा खून तथा नीलगू निशान दांई तरफ थे। उक्त गवाहान के अनुसार कोई व्यक्ति उपर से जब स्वतंत्र रूप से (फ्री फ्लो) में गिरता है तो इस प्रकार की चोट आ सकती है।

112. इस प्रकार उक्त चिकित्सीय साक्षीगण की साक्ष्य से मृतक रामस्वरूप के सिर पर बांई तरफ आई मृत्यु पूर्व चोट के कारण उसके कोमा की वजह से होना पाया गया है। मृतक का वक्त घटना एल्कोहॉल का प्रयोग किया होना पाया गया है। मृतक रामस्वरूप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी. 14 में मृत्यु का कारण यह बताया गया है कि cause of death is "coma" Brought about as a result of Antemortem Head Injury No. 1 mentioned on Page No. 2 which is sufficient to case of ordinary cause of death.

113. इस सम्बन्ध में अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 23 मनोज सिंह ने अपने बयानों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी. 14 को साबित किया है तथा लाश की शिनाख्तगी करवाकर फर्द शिनाख्तगी लाश प्रदर्श पी. 2 तथा फर्द पंचायतामा प्रदर्श पी. 3 तैयार करने का कथन किया है तथा बाद पोस्टमार्टम लाश मृतक के पुत्र को सुपुर्द करने का कथन करते हुए फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी. 4 को साबित किया है। फर्द शिनाख्तगी लाश प्रदर्श पी. 2 व फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी. 4 के गवाह पी.डब्ल्यू. 2 महेन्द्र कुमार व पी.डब्ल्यू. 9 सीताराम ने अपने बयानों में उक्त फर्दात प्रदर्श पी. 2 व पी. 4 को साबित किया है तथा फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी. 3 के गवाह पी.डब्ल्यू. 2 महेन्द्र कुमार, पी.डब्ल्यू. 5 आकाश, पी.डब्ल्यू. 6 इरफान खान, पी.डब्ल्यू. 9 सीताराम तथा पी.डब्ल्यू. 14 विष्णु ने अपने बयानों में फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी. 3 स्वयं के सामने बनाना कथन करते हुए उक्त फर्द को साबित किया है।

114. अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 23 मनोज सिंह ने मृतक की लाश की फोटोग्राफी करवाना तथा फर्द फोटोग्राफी लाश प्रदर्श पी. 17 बनाने और मृतक की लाश के फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी. 46 लगायत पी. 49 को प्रदर्शित कराया है। गवाह पी.डब्ल्यू. 12 बृजेन्द्र सिंह, पी.डब्ल्यू.18 सुरेश तथा पी.डब्ल्यू. 19 रविन्द्र यादव ने फर्द फोटोग्राफी लाश प्रदर्श पी. 17 को अपने बयानों में साबित किया है। उन्होंने भी पी.डब्ल्यू. 23 मनोज सिंह द्वारा अपने मोबाइल से फोटो खींचने का कथन किया है।

Authenticated Document

गवाह पी.डब्ल्यू. 18 सुरेश ने सरकारी कैमरे से फोटोग्राफी करना व घटनास्थल के फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी.30 लगायत पी.42, डीवीडी प्रदर्श पी.43 एवं धारा 65(ख) भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.29 को साबित किया है।

115. इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन से यह साबित है कि मृतक रामस्वरूप के सिर के बांई ओर आई चोट संख्या 1 जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु के लिए पर्याप्त थी, जिसके कारण मृतक के कोमा में जाने के कारण मृतक रामस्वरूप की मृत्यु कारित हुई। अतः रामस्वरूप की चोट सं.1 के कारण दिनांक 20.05.2020 को मृत्यु होना पत्रावली पर साबित है।

116. प्रकरण में अब यह देखना है कि अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में मृतक रामस्वरूप की हत्या कारित की गई अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में फरियादी पी.डब्ल्यू. 1 मोहित, पी.डब्ल्यू. 4 अंजली तथा पी.डब्ल्यू. 20 मीना ने मृतक रामस्वरूप का अभियुक्तगण के साथ जाना व गवहा पी.ब्डलयू.-14 विष्णु ने सुनीता के साथ जाना कथन किया है तथा रात तक वापस नहीं आने पर पी.डब्ल्यू. 4 अंजली द्वारा गुमशुदगी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 13 दर्ज कराई गई है। तत्पश्चात अभियुक्ता सुनीता द्वारा दाढ़देवी रोड पर पुलिया के पास जाकर देखने की कहने पर उक्त स्थान पर गए तो वहां पर उसे मृतक रामस्वरूप की खून में रंगी हुई शर्ट, साफी और चप्पल मिली हैं। इस संबंध में पत्रावली पर फर्द जब्ति प्रदर्श पी-5 से स्पष्ट है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट पर महेंद्र सिंह एएसआई द्वारा एमपीआर नं. 12/2020 की जांच करने पर एक साफी सफेद रंग की जिसकी साईडों में नीले हरे रंग की एक शर्ट सफेद पर्पल रंग की, फूल आस्तिन की, एक जोड़ी चप्पल हल्के लाल रंग की तथा खून आलुदा पत्थर से गॉज पटटी पर लिया गया रक्त, पास मय झाड़ी पेड़नुमा की टहनी पर लगा रक्त, पेड़ पर एक साड़ी का कोने का टुकड़ा पिला लाल हरा रंग का, लेडिज चुड़े के टुकड़े हल्के हरे रंग के और सेंपल सादा मिटटी आदि मौके पर जब्त की है, जिसकी ताईद पी.डबल्यू.-8 अफजल और पी.डब्ल्यू.-11 राहुल कश्यप ने भी अपने बयानों में स्पष्ट रूप से की है। बाद में मुकदमा दर्ज होने पर अनुसंधान थाना गुमानपुरा के एसआई द्वारा किया गया है।

117. अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 23 मनोज सिंह के बयानों से स्पष्ट है कि इस मामले में घटनास्थल कैथून थाना क्षेत्र से सम्बन्धित होने से कैथून थाने में मर्ग रिपोर्ट अज्ञात की दर्ज हुई थी तथा मर्ग रिपोर्ट में थाना कैथून पर एम.बी.एस. अस्पताल में लाश मोर्चरी में रखे होने की सूचना एम.बी.एस. चौकी से प्राप्त हुई थी। प्रदर्श डी.2 व डी. 3 से यह स्पष्ट है कि एम.बी.एस.एच. चौकी कोटा से श्री सुखवन्त सिंह हैड कांस्टेबल द्वारा जरिए टेलीफोन थाना कैथून पर सूचना दी गई कि एक अज्ञात मृतक पुरुष की लावारिस लाश दुबला पतला शरीर जिसने ब्लेक कलर की

Authenticated Document

फुल आस्तीन की बनियान, हरे रंग की पेन्ट पहन रखी है जिसकी उम्र करीब 50 साल, चेहरे पर सफेद रंग की दाढी बढी हुई, सिर पर लम्बे बाल आधे काले आधे सफेद जिसकी दौराने इलाज मृत्यु हो गई है जो हार्ड सोल्यूसन कॉटेज वार्ड एम.बी.एस.एच. में भर्ती था, की बॉडी कोरोना की जांच के लिए न्यू मेडिकल कॉलेज भेज रहे हैं। इस सूचना पर मर्ग दर्ज कर जांच श्री अलीमुद्दीन ए.एस.आई. को सुपुर्द की गई। वारदात कोटा ग्रामीण, कैथून थाना में होना आया है लेकिन मृतक का घर गुमानपुरा में था, वहीं से अभियुक्तगण के साथ गया। अतः रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 गुमानपुरा थाने में दर्ज् की है, जिसमें अनुसंधान किया गया है। उक्त श्री सुखवन्त सिंह हैड कांस्टेबल एवं श्री अलीमुद्दीन ए.एस.आई. को अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है। मृतक को एम.बी.एस. हॉस्पीटल में कौन लेकर गया यह भी पत्रावली पर नहीं आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी.14 से भी साबित है कि अनजान व्यक्ति जिसकी उम्र 45 साल थी, के द्वारा रामस्वरूप को दिनांक 19.05.2020 को भर्ती कराया गया है। अतः उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन से यह बात तो सामने आई है कि दिनांक 19.05.2020 को जीवित अवस्था में रामस्वरूप को किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भर्ती कराया गया था तथा दिनांक 20.05.2020 को 10:00 एएम पर उसकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु का कारण चोट सं. 1 के कारण कोमा में जाने से रहा है।

118. इस प्रकार पत्रावली से यह स्पष्ट है कि इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है जो यह कथन करता हो कि उसके सामने अभियुक्तगण ने मृतक रामस्वरूप की हत्या कारित की हो अथवा उसके ऐसी कोई उपहतियां कारित की गई हो जिसके फलस्वरूप की मृत्यु कारित हुई हो। मृतक का एम.बी.एस. हॉस्पीटल में भर्ती होना तथा दौराने इलाज उसकी मृत्यु होना पत्रावली पर आया है परन्तु उसको एम.बी.एस. हॉस्पीटल में किसके द्वारा भर्ती कराया गया यह पत्रावली पर नहीं आया है। अतः पत्रावली पर यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में प्रत्यक्ष साक्ष्य का नितान्त अभाव है, कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी जो घटना को देख रहा हो ऐसा अभियोजन की ओर से पेश नहीं किया गया है। कोई भी व्यक्ति यह कथन नहीं करता है कि अभियुक्तगण ने उनके सामने ही मृतक रामस्वरूप की हत्या कारित की हो या ऐसी उपहतियां कारित की हों जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु कारित हुई।

119. किसी भी अपराध के लिये उसकी प्रत्यक्ष साक्ष्य के अलावा परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी महत्वपूर्ण हो जाती है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नजीर Sharad Birdhi Chand Sarda Vs. State of Maharashtra 1984(4) SCC 116 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अभियोजन पक्ष को अपनी स्वयं की साक्ष्य के आधार पर ही मामले को साबित

Authenticated Document

करना होता है। वह बचाव पक्ष की कमजोरी के आधार पर फायदा नहीं ले सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मूल्यांकन के संदर्भ में 5 सिद्धान्त बताए हैं जो इस प्रकार हैं:-

(1) परिस्थितियां जिनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, वे पूरी तरह से स्थापित हों।

(2) वह इस प्रकार से स्थापित हो कि अभियुक्त की दोषसिद्धि से भिन्न किसी अन्य सम्भावना को जगह नहीं देती हो।

(3) परिस्थितियां प्रकृति के सारभूत प्रकृति की हों।

(4) वह अभियुक्त के दोषी होने के अलावा अन्य किसी सम्भावना को बहिष्कृत करती हो तथा उनकी साक्ष्य की कड़ी आपस में पूरी तरह से जुड़ी हुई हो और समस्त मानवीय सम्भावना में इस अधिसम्भाव्यता को स्थापित करती हो कि अपराध करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, अभियुक्त ही है।

(5) कोई अन्य संगत आधार नहीं छोड़ती हो जो कि अभियुक्त की निर्दोषिता को इंगित करता हो।

120. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नजीर सुरजीत विश्वास बनाम स्टेट ऑफ आसाम 2013(12) एस.सी.सी. पेज 406 के मामले में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने के लिए स्पष्ट, ठोस एवं निःसंदेहात्मक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। नजीर हरगोविन्द दास भाई और अन्य बनाम गुजरात राज्य 1998 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एस.सी.) पेज 7 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां परिस्थितिजन्य साक्ष्य की दशा में परिस्थितियों की कड़ी विलुप्त हो वहां अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

121. इस सम्बन्ध में परिस्थितिजन्य साक्ष्य को देखा जाए तो पी.डब्ल्यू.-1 मोहित ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके घर सुनीता व बबलू आये थे और उसके पिताजी को मोटरसाईकिल पर बैठाकर डाढ़देवी की तरफ ले गये। यह गवाह स्पष्ट रूप से कहता है कि सुनीता, बबलू और उसके पापा को हीरो होण्डा मोटरसाईकिल पर जाते हुये देखा। अन्य गवाह पी.डब्ल्यू.-4 अंजली मुख्य परीक्षण में ही अपने पिता के साथ बबलू और सुनीता का जाना कहती है और इसकी जिरह से स्पष्ट है कि उसके पिताजी सुनीता के साथ गये थे तब वह दरवाजे पर गयी थी। अतः यह गवाहान भी अभियुक्तगण का अपने पिता के साथ जाने का कथन करते हैं। गवाह पी.ब्डलयू.-20 मीना भी अपने बयानों में स्पष्ट कहती है कि सुनीता ने जब कहा कि उसके पापा को घुमाकर लाते हैं तो सुनीता के साथ एक लड़का और था जो बबलू था और यह तीनों मोटरसाईकिल पर वहां से चले गये। लास्ट सीन का अन्य

Authenticated Document

गवाह पी.डब्ल्यू.-14 विष्णु है, जो मृतक रामस्वरूप का सुनीता के साथ कथन करता है, लेकिन पत्रावली पर स्पष्ट है कि यह घर का जंवाई है और यह घर के अंदर ही बैठा रहा था, घर से सुनीता के साथ जाने का कथन किया है, बाहर बबलू अपनी मोटरसाइकिल पर था और बबलू सुनीता और मृतक साथ गये हैं ऐसा अभियोजन साक्ष्य से आया है। इस संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू.-15 भंवरलाल के बयान भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिससे भी स्पष्ट है कि सुनीता ने मोटरसाइकिल पर उसके पास आकर पानी पिलाने के लिये कहा था और उसने सुनीता को पानी पिलाया है। सुनीता ने उसको बताया कि वे तीनों साथ आये थे। एक लड़का और था जो खाल में धक्का देकर गिरा गया है और मोबाईल ले गया है, उसे पानी पिलाना था। अतः पत्रावली पर भंवरलाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह सुनीता को मोटरसाईकिल पर साथ लेकर घटनास्थल पर गया है, जहां एक डोकरा खाल में पड़ा हुआ था तथा इस गवाह ने उसे पानी पिलाने की भी कोशिश की, लेकिन वह उठ नहीं सका और उससे पानी नहीं पिया गया। अतः इसके बयानों से भी अभियुक्ता सुनीता का मृतक के साथ अंतिम बार आने और एक अन्य लड़के का भी साथ आने की ताईद होती है। इस गवाह ने हाजिर अदालत अभियुक्ता सुनीता को स्पष्ट रूप से शिनाख्त भी किया है। इससे यही बात सामने आती है कि सुनीता के साथ एक अन्य व्यक्ति भी था। अतः इस गवाह के बयानों से भी अभियुक्तगण सुनीता व बबलू का साथ होना पत्रावली पर साबित है। इसके अलावा एक अन्य गवाह पी.डब्ल्यू.-13 गोविंद उर्फ बंटी ने भी अपने बयानों में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह डीसीएम के पास पेट्रोल पंप के पास काम करता है, उसके गांव का बबलू आया था, जो पानी कली बोतल व ककड़ी लेकर चला गया था। अतः घटना के पास का यह स्थल है और यह गवाह भी दिनांक 18.05.2020 को बबलू का साथ होने का कथन करता है और मृतक की मृत्यु दिनांक 19.05.2020 को रात्री को 9.30 बजे हो गयी है और पत्रावली पर यह आया है कि मृतक के मृत्युपूर्व की चोट थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुयी। अनुसंधान अधिकारी ने पत्रावली पर मौका स्थल से अभियुक्त बबलू का वोटर आईडी जब्त करना स्पष्ट रूप से बताया है जो मौके पर पड़ा होना फोटो प्रदर्श पी-30 व पी-37 से भी स्पष्ट है। जिसकी ताईद पी.डब्ल्यू.-18 सुरेश ने भी अपने बयानों में की है। फोटो प्रदर्श पी-30 व पी-37 से स्पष्ट है कि अभियुक्त बबलू का वोटर आईडी कार्ड घटनास्थल पर पड़ा हुआ मिला, जिससे भी बबलू की वहां उपस्थिति साबित है। अतः अभियुक्तगण सुनीता व बबलू का मृतक के साथ लास्ट सीन में देखा जाना पत्रावली पर साबित है।

122. इस संबंध में जहाँ तक परिस्थितिजन्य साक्ष्य में अन्य कड़ियों में सुनीता का संबंध है, अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 23 मनोज सिंह ने अपने बयानों

Authenticated Document

में अभियुक्ता सुनीता को जरिए फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी. 52 गिरफ्तार करने का कथन किया है। अभियुक्ता सुनीता द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी.53 के आधार पर नक्शा मौका प्रदर्श पी.8 बनाया गया जहाँ से अभियुक्तगण द्वारा मृतक रामस्वरूप को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाया गया था। जिसकी ताइद पी.डब्ल्यू. 1 मोहित व पी.डब्ल्यू. 5 आकाश ने अपने बयानों में की है। पत्रावली पर अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू.-23 मनोज सिंह ने अभियुक्ता सुनीता को गिरफतार करने के पश्चात अभियुक्ता द्वारा साड़ी व चुड़े को रखने के संबंध में धारा 27 की सूचना प्रदर्श पी-60 दी है और उस सूचना के अनुसरण में प्रदर्श पी-16 के द्वारा एक साड़ी व दो लाख के चुड़े अपने रिहायसी मकान देवलीमांझी से बरामद कराये गये हैं। इस संबंध में पत्रावली पर स्पष्ट है कि प्रदर्श पी-5 के द्वारा भी मौका स्थल पर लाख के चुड़े के टुकड़े और साड़ी का एक कोना बरामद हुआ है, जिसकी ताईद गवाह पी.डब्ल्यू.-12 बृजेंद्र सिंह ने की है। अन्य गवहा सुषमा की मृत्यु होने के कारण वह पेश नहीं हुयी है। अनुसंधान अधिकारी पी.डब्लयू.-23 मनोज सिंह ने प्रदर्श पी-54 के द्वारा फर्द सूचना मोटरसाइकिल पर बैठने की दी है, जिसकी भी ताईद उसके द्वारा करायी गयी है, जो नक्शा मौका से स्पष्ट है। पत्रावली पर सुनीता द्वारा अनुसंधान अधिकारी को प्रदर्श पी-55 द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना हत्या के स्थान के बारे में दी है और जरिये प्रदर्श पी-19 नक्शा मौका के द्वारा उस स्थान की तस्दीक करायी गयी है, जिसकी ताईद पी.डब्लयू.-10 गजेंद्र व पी.डब्ल्यू.-12 बृजेंद्र ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से की है।

123. अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 23 मनोज सिंह द्वारा अभियुक्त बबलू को जरिये फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.11 गिरफ्तार करने का कथन किया गया है तथा अभियुक्त बबलू द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत दी गई सूचना प्रद्रश पी.57 व पी.59 के आधार पर उसकी निशांदेही से उसके रिहायशी मकान गांव आरामपुरा से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाईकिल संख्या आरजे33-एचसी-0875 तथा एक मोबाइल जियो ब्लैक रंग तथा अभियुक्त के वक्त घटना पहने हुए कपड़े फुल आस्तीन गोल गले की टी-शर्ट एवं काले रंग का लोअर जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 12 जब्त किए तथा मोबाइल को एक थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क "एच" दिया और अभियुक्त के कपड़ों को एक कपड़े की थैली में सील कर मार्क "आई" दिया गया। जिसकी ताईद पी.डब्ल्यू.-10 गजेंद्र व पी.डब्ल्यू.-12 बृजेंद्र ने अपने बयानों में की है।

124. पत्रावली पर अभियुक्त बबलू द्वारा हत्या करने के स्थान की सूचना प्रदर्श पी-56 द्वारा दी गयी है और इस संबंध में नक्शा मौका प्रदर्श पी-15 अनुसंधान अधिकारी ने अपने बयानों में साबित कराया है। जिसको गवाह पी.डब्ल्यू.-10 गजेंद्र व पी.डब्ल्यू.-12 बृजेंद्र ने अपने बयानों में साबित किया है। पत्रावली पर स्पष्ट है कि

Authenticated Document

अभियुक्त बबलू ने अपने खुद के कपड़े व मोबाईल की सूचना जरिये प्रदर्श पी-59 के द्वारा दी है और उक्त सूचना के अनुसरण में जरिये प्रदर्श पी-12 हीरो होण्डा मोटरसाइकिल, मोबाईल और अभियुक्त बबलू के कपड़े बरामद किये गये हैं, जिसकी ताईद पी.डब्लयू.-10 गजेंद्र व पी.डबल्यू.-12 बृजेंद्र ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से की है। पत्रावली पर साक्ष्य से यह बात भी सामने आयी है कि अभियुक्ता सुनीता जब पी.डब्लयू.-15 भंवरलाल के पास गयी तो उसने कहा कि उसका मोबाईल वह व्यक्ति लेकर भाग गया है और इस संबंध में उसके द्वारा प्रदर्श पी-58 सूचना अनुसंधान अधिकारी को दी गयी है और उस सूचना के आधार पर उसके द्वारा जरिये प्रदर्श पी-13 गवाह पी.डब्ल्यू.-10 गजेंद्र व पी.डब्ल्यू.-12 बृजेंद्र के समक्ष अभियुक्ता सुनीता का कार्बन कंपनी का मोबाईल बरामद कराया है।

125. पत्रावली पर यह भी स्पष्ट है कि महेंद्र सिंह एएसआई द्वारा जरिये प्रदर्श पी-5 घटनास्थल से मृतक की एक सफेद रंग की खून आलूदा साफी, एक शर्ट सफेद पर्पल रंग की, एक जोड़ी चप्पल ,एक खून आलूदा पत्थर, झाडी पेडनुमा की टहनी पर लगा रक्त, पेड पर एक साड़ी का टुकड़ा, लाख के चूड़े के टुकडे, कन्ट्रोल सैम्पल सादा मिट्टी, झाड़ी की टहनी, सादा गॉज पट्टी को जरिए फर्द प्रदर्श पी. 5 जब्त करना बताया है, जिसको गवाह पी.डब्ल्यू. 8 अफजल व पी.डब्ल्यू. 11 राहुल कश्यप ने साबित किया है।

126. इस संबंध में मालखाना का गवाह पी.डब्ल्यू. 17 राजकुमार शर्मा मालखाना इन्चार्ज है जिसने अपने बयानों में महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. द्वारा दिनांक 20.05.2020 को एमपीआर नंबर 12/20 की तीन सीलशुदा पैकेट जमा मालखाना हेतु उसे देने पर उसके द्वारा मालखाना रजिस्टर के क्रमांक 213/20 पर प्रदर्श पी-26 इन्द्राज करना तथा दिनांक 21.05.2020 को मनोज सिंह सिकरवार द्वारा चार सीलशुदा बरनी व एक सीलशुदा पैकेट कुल पांच पैकेट उसे जमा मालखाना हेतु सुपुर्द करने पर उसने जमा मालखाना किया और मालखाना रजिस्टर के क्रमांक 214/20 पर प्रदर्श पी-27 इन्द्राज किया। दिनांक 24.05.2020 को मनोज सिंह सिकरवार द्वारा सीलशुदा पांच पैकेट व एक मोटरसाईकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर उसे सुपुर्द करने पर उसके द्वारा मालखाना रजिस्टर के क्रमांक 219/20 पर प्रदर्श पी-28 इन्द्राज कर जमा मालखाना करने का कथन किया है। दिनांक 06.07.2020 को मनोज कुमार द्वारा सीलशुदा कुल 11 पैकेट एफ.एस.एल. कोटा में जमा हेतु मय अग्रेषण पत्र सुपुर्द करने पर उसे एफ.एस.एल. कोटा में जमा करवाने का कथन किया है।

127. गवाह पी.डब्ल्यू. 16 मनोज कुमार वाहक गवाह है जिसने अपने बयानों में मालखाना इन्चार्ज राजकुमार हैड कां. 86 द्वारा उसे सीलशुदा 11 पैकेट मय अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी. 21 देने पर उसके द्वारा एस.पी.ऑफिस से अग्रेषण पत्र प्रदर्श

Authenticated Document

पी. 22 व पी. 23 तैयार करवाकर एफ.एस.एल. कोटा पहुंचना और एफ.एस.एल. कोटा में माल जमा करवाकर रसीद संख्या 662 व 663 प्रदर्श पी. 24 व पी. 25 को मालखाना इन्चार्ज को सुपुर्द करने का कथन किया है। अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 23 मनोज सिंह ने एफ.एस.एल. की विष सेक्शन की रिपोर्ट प्रदर्श पी. 61, एफ.एस.एल. के सीरम विभाग से प्राप्त रिपोर्ट प्रदर्श पी. 62 तथा एफ.एस.एल. के फिजिक्स विभाग से प्राप्त रिपोर्ट प्रदर्श पी. 63 को साबित किया है। अतः पत्रावली पर साबित है कि जो आर्टिकल्स जब्त किये गये थे, उनको सीलबंद अवस्था में मालखाने में जमा कराया गया था और मालखाने से सीलबंद अवस्था में ही उसको एफएसएल में जमा कराया गया था।

128. अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 23 मनोज सिंह ने अपने बयानों में उक्त जब्तशुदा मृतक रामस्वरूप के पहने हुए एक जोड़ी चप्पल आर्टिकल 1/1 एवं 1/2, फुल आस्तीन की सफेद लाइनदार शर्ट आर्टिकल 2, एक हाफ आस्तीन की बनियान काले रंग की आर्टिकल 3, मेंहदी रंग का पेंट आर्टिकल 4, एक फुल आस्तीन की टी शर्ट सफेद रंग की आर्टिकल 5, एक लोअर काले रंग का जो अभियुक्त बबलू द्वारा वक्त घटना पहनना बताया गया आर्टिकल 6, घटनास्थल से जब्त की गई मृतक की एक सफेद रंग की खून आलूदा साफी आर्टिकल 7, मौके से जब्त किया गया एक पत्थर आर्टिकल 8, अभियुक्ता सुनीता की निशादेही से जब्त किए गए दो चूड़े लाख के आर्टिकल 9, अभियुक्ता सुनीता की वक्त घटना पहनी हुई साड़ी आर्टिकल 10, मौके से जब्तशुदा सादा मिट्टी आर्टिकल 11, मौके पर पड़े खून आलूदा पत्थर से गौस पट्टी से लिया गया खून और झाड़ी पर लगा खून और पेड़ पर लगा साड़ी का टुकड़ा तथा एक लाख की चूड़ी का टुकड़ा जो एक पैकेट में एफ.एस.एल. भेजा गया था आर्टिकल 12 को अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 23 मनोज सिंह ने साक्ष्य के दौरान न्यायालय में प्रदर्शित कराए हैं।

129. पत्रावली से स्पष्ट है कि एफ.एस.एल. कोटा की विष सेक्शन की रिपोर्ट प्रदर्श पी. 61 निम्नानुसार प्राप्त हुई हैः-

DESCRIPTION OF PACKET(S)

The Packet (s) Four in number marked as 1, 2, 3 and 4 sealed and tied at mouth with white cotton cloths which were properly sealed bearing impressions which tallied with the specimen seal impression forwarded. The seals were intact.

DESCRIPTION OF ARTICLES

1. Stomach and its contents in packet marked 1.
2. Piece of small intestine in packet marked 1.

Authenticated Document

3. Piece of Liver in packet marked 2. Portions of Viscera taken
4. Piece of Spleen in packet marked 2. From Sh. Ram Swaroop Mehra
5. Piece of Kidney in packet marked 2.
6. Blood sample of Sh. Ram Swaroop Mehra in packet marked 3.
7. Preservative Sample in packet marked 4.

RESULT OF EXAMINATION

On chemical examination, portions of viscera (1-5) and Blood sample (6) from three packets marked 1, 2 and 3 respectively gave positive test for the presence Ethyl alcohol and gave negative tests for metallic poisons, methyl alcohol, cyanide, alkaloids, barbiturates, tranquillizers and insecticides.

130. पत्रावली के अनुसार एफ.एस.एल. कोटा के सीरम विभाग की रिपोर्ट प्रदर्श पी. 62 निम्नानुसार प्राप्त हुई हैः-

DESCRIPTION OF PACKET(S) RECEIVED

The Packets A, B, C, D, E, F and I was/were received properly sealed bearing seal impression, which tallied with the forwarded specimen seal impression.

The details of the analysis are as follows.

Result of examination

On Serological examination following results were obtained

Sr. No.	Packet Marked	Exhibit No.	Name of The Exhibit	Blood Detection	Origin	Blood Grouping
1	A	1	Pair of Chapple	Positive	Human	Inconclusive
	"	2	Safi	Positive	Human	Inconclusive
	"	3	Shirt	Positive	Human	Inconclusive
2	B	4	Blood of Gauze	Positive	Human	Inconclusive
	"	5	Tahni with soil	Positive	Human	Inconclusive
	"	6	Piece of sari	Positive	Human	Inconclusive
	"	7	Piece of lakh bangle	Positive	Human	Inconclusive
3	C	8	Control tahni	Positive	Human	Inconclusive
	"	9	Stone (Extra exhibit)	Positive	Human	Inconclusive
	"	10	Gauze Piece	Negative	-	-
4	D	11	Pants	Positive	Human	Inconclusive
	"	12	Baniyan	Positive	Human	Inconclusive

Authenticated Document

5	E	13	Sari	Positive	Human	Inconclusive
6	F	14	Lakh Bangles	Positive	Human	Inconclusive
7	I	15	T-Shirt	Positive	Human	Inconclusive
	"	16	Lower	Positive	Human	Inconclusive

Note :- Exhibit No. 4, 5, 6, 7 (From B), 8, 10(From C), 13(From E) and 14(From F) have been forwarded to Physics Devision for Necessary examination.

131. पत्रावली के अनुसार एफ.एस.एल. कोटा के फिजिक्स विभाग की रिपोर्ट प्रदर्श पी. 63 निम्नानुसार प्राप्त हुई हैः-

RESULT OF EXAMINATION

(i) Gauze piece exhibit-4 is similar to the gauze piece exhibit-10 in respect of colour, weaving pattern, direction of twisting of threads and the fabric.
(ii) Lakh bangle pieces exhibit 14/1 & 14/2 match physically and make a complete bangle and lakh bangle pieces exhibit 14/3, 14/4, 14/5 & 14/6 match physically and make a complete bangle.
(iii) Lakh bangle pieces exhibit 7/1, 7/2, 7/4, 7/3 & 7/5 match physically and make a incomplete bangle.
(iv) Incomplete lakh bangle (exhibits 7/1 to 7/5) is similar to the two lakh bangles (exhibits 14/1 to 14/6) in respect of colour, colour shade, design, radius of curvature, overall thickness and the material.
(v) Torn cloth piece exhibit-6 fit physically at the location of the torn & missing portion of the Sari exhibit-13 and make a complete Sari.
(vi) Soil from exhibit-5 could not be compared for want of control soil.

132. इस प्रकार उक्त एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी. 61 से यह स्पष्ट है कि मृतक रामस्वरूप के विसरा और ब्लड सेम्पल के परीक्षण से उसके द्वारा शराब का सेवन करना पाया गया है। फरियादी पी.डब्ल्यू. 1 मोहित, पी.डब्ल्यू. 4 अंजली, पी.डब्ल्यू. 14 विष्णु तथा पी.डब्ल्यू.20 मीना के बयानों से भी यह स्पष्ट है कि मृतक रामस्वरूप ने अभियुक्ता सुनीता के साथ घर पर बैठकर शराब पी थी और उसके बाद वह अभियुक्तगण के साथ मोटरसाईकिल पर बैठकर चला गया था। गवाह पी.डब्ल्यू. 15 भंवरलाल उर्फ पप्पू ने भी अभियुक्ता सुनीता और रामस्वरूप का शराब पिए होना बताया है और रामस्वरूप का नशे में धुत होना तथा बेहोशी की अवस्था में होना बताया है।

133. एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी. 62 से यह स्पष्ट है कि पैकेट मार्क "ए" में रखे घटनास्थल से लिए गए मृतक रामस्वरूप की शर्ट, साफी व एक जोड़ी चप्पल,

Authenticated Document

मार्क "बी" में रखे घटनास्थल से खून आलूदा पत्थर से गॉज पट्टी पर लिया गया रक्त, झाड़ी की टहनी पर लगा रक्त, मिट्टी, एक साड़ी का टुकड़ा तथा लाख की चूड़ी के टुकड़े पर, मार्क "सी" में रखे घटनास्थल से लिए गए कन्ट्रोल सेम्पल टहनी पर, मार्क "डी" में रखे मृतक रामस्वरूप की एक हाफ आस्तीन की बनियान व पेन्ट पर, मार्क "ई" में रखी अभियुक्ता सुनीता की साड़ी पर, मार्क "एफ" में रखी अभियुक्ता सुनीता की लाख की दो चुड़ियों पर तथा मार्क "आई" में रखे अभियुक्त बबलू के खून आलूदा कपड़े धुले हुए पर मानव रक्त पाया गया है तथा ब्लड ग्रुप Inconclusive पाया गया है।

134 एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी. 63 के अनुसार घटनास्थल से खून आलूदा पत्थर से रक्त का सेम्पल जिस गॉज पट्टी पर लिया गया था वह रंग, weaving pattern, direction of twisting of threads तथा फेब्रिक के आधार पर घटनास्थल से ली गई सादा गॉज पट्टी के समान पाई गई। अभियुक्ता सुनीता से जब्त की गई लाख की दो चूड़ियों के 6 टुकड़े भौतिक रूप से समान पाए गए तथा सभी टुकड़े मिलकर एक पूर्ण चूड़ी बनाते हैं। घटनास्थल से लिए गए लाख की चूड़ी के 5 टुकड़े भौतिक रूप से समान पाए गए परन्तु सभी टुकड़े मिलकर पूर्ण चूड़ी नहीं बनाते हैं परन्तु उक्त टुकड़े colour, colour shade, design, radius of curvature, overall thickness और material के आधार पर अभियुक्ता से जब्त किए गए लाख की चूड़ियों के टुकड़ों से मेल खाते हैं। घटनास्थल से लिया गया साड़ी का टुकड़ा अभियुक्ता द्वारा जब्त करवाई गई साड़ी के फटे हुए कोने से भौतिक रूप से मेल खाता है और एक पूर्ण साड़ी बनाता है।

135. पत्रावली पर संपूर्ण साक्ष्य के विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम बार जो लाख के चुड़े के टुकड़े और साड़ी का कटा हुआ कोना प्रदर्श पी-5 के द्वारा जो महेंद्र सिंह एएसआई द्वारा जब्त किये थे, सुनीता ने अपनी सुचना के अनुसार एक साड़ी व लाख का चुड़ा जो बरामद कराया गया था, उन दोनों को एफएसएल में भेजने पर ये समान रूप से वही चुड़े के टुकड़े और साड़ी का टुकड़ा पाया गया है जो एफएसएल की रिपोर्ट प्रदर्श पी-63 से साबित है। इन आर्टिकल्स से भी सुनीता की घटनास्थल पर उपस्थिति साबित है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त बबलू के प्रदर्श पी-12 द्वारा जब्त किये गये धुले हुये खुन आलूदा कपड़े, टीशर्ट, लोवर जो पैकेट आई में जब्त थे, उस पर मानव रक्त पाया गया है, मृतक की साफी, शर्ट और मृतक की पेंट, बनियान पर भी मानव रक्त पाया गया है, अभियुक्त सुनीता की साड़ी पर भी मानव रक्त पाया गया है। अतः इससे ही अभियुक्तगण की मौके पर उपस्थिति परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर साबित है।

Authenticated Document

136. पत्रावली पर स्पष्ट है कि पी.डब्ल्यू. 3 डॉ. अरूण शर्मा ने अभियुक्तगण, बबलू व सुनीता के आई चोटों का मुआयना किया है तथा अभियुक्त बबलू के शरीर पर दो चोटें साधारण प्रकृति की कुन्द हथियार से कारित होना बताया गया है तथा अभियुक्ता सुनीता के शरीर पर कुल ग्यारह चोटें साधारण प्रकृति की कुन्द हथियार से कारित होना बताया गया है। उक्त चोटें कंटीली झाड़ियों में गिरने व गिरा देने से आने की सम्भावना गवाह द्वारा जाहिर की गई है। अभियुक्तगण द्वारा स्वयं के उक्त चोटें आने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उनके उक्त चोटें कैसे आईं। अतः पत्रावली पर यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण मृतक रामस्वरूप के साथ शराब पीकर गये थे और इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ तथा झगड़ों में इन्होंने एक-दूसरे के साथ मारपीट की है और उस मारपीट में अभियुक्तगण द्वारा रामस्वरूप को धक्का देने से उसके शरीर के एक तरफ से गिरने के कारण उसके बायीं तरफ चोटें आई हैं और उसके ऐसी चोट कारित हुई जो उसकी मृत्यु का कारण बनी।

137. इस संबंध में पत्रावली पर हत्या का कोई हैतुक नहीं आया है। पत्रावली पर आया है कि मृतक रामस्वरूप अभियुक्तगण के साथ राजी खुशी गया था। उनके मध्य कोई रंजिश साबित नहीं है। मृतक रामस्वरूप की हत्या करने का कोई कारण पत्रावली पर नहीं है। यह अवश्य आया है कि मृतक तथा अभियुक्तगण ने शराब पी थी। मृतक के विसरा में भी शराब की उपस्थिति पाई गई है। पी.डब्ल्यू. 15 भंवरलाल ने भी सुनीता का शराब पिया होना बताया है। गवाह पी.डब्ल्यू. 13 गोविन्द उर्फ बण्टी यह कहता है कि उसकी दुकान पर बबलू आया था और पानी की बोतल, ककड़ी लेकर चला गया था। गवाह के इस कथन से भी इस सम्भावना को बल मिलता है कि मृतक व अभियुक्तगण साथ-साथ थे और अभियुक्त बबलू, गवाह पी.डब्ल्यू.13 गोविन्द से पानी की बोतल व ककड़ी लेकर गया और इसके बाद मृतक व अभियुक्तगण ने फिर से शराब पी। इस प्रकार मृतक व अभियुक्तगण का अंतिम समय में साथ-साथ रहना साबित है। गवाह पी.डब्ल्यू. 18 सुरेश ने फोटोग्राफ्स प्रद्रश पी.30 से पी.42 तथा डीवीडी प्रदर्श पी.43 को साबित किया है, जिससे भी यह स्पष्ट है कि मृतक व अभियुक्तगण का शराब पीकर अचानक लड़ाई-झगड़ा हुआ, जिसमें अभियुक्तगण के भी चोटें आई हैं। मृतक व अभियुक्तगण के मध्य संघर्ष हुआ है, संभवतः मृतक को धक्का देने से वह प्रदर्श पी.7 के अनुसार करीब 9 फीट उंची पुलिया से नीचे गिरना बताया गया है, खाल में पत्थर व झाड़ियाँ होना पत्रावली पर आया है। अतः मृतक के पुलिया से खाल में गिरने या धक्के से गिरने के कारण आई चोटों के फलस्वरूप उसकी मृत्यु होना पत्रावली पर साबित है परन्तु अभियुक्तगण का मृतक की हत्या करने का कोई इरादा या आशय रहा हो, ऐसा पत्रावली पर नहीं आया है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अभियक्ता सुनीता की ओर

Authenticated Document

से प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीर Criminal Appeal No. 1353-1355 Of 2017 Pawan Kumar Sharma Vs Manoj Kumar Sharma And Ors. से यह मार्गदर्शन मिलता है कि अभियोजन पक्ष को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संदर्भ में अपराध से अभियुक्तगण को संयोजित करने के लिये कड़ी से कड़ी मिलानी आवश्यक है। इस सम्बन्ध में पत्रावली से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियां जुड़ी होने की साक्ष्य पत्रावली पर साबित है। अतः विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत उक्त नजीर अभियुक्तगण की कोई सहायता नहीं करती है।

138 इस सम्बन्ध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की नजीर Ramjeet Yadav And Another vs State Of U.P.ए CRIMINAL APPEAL No. 226 of 2018 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि To put it more succinctly, the difference between the two parts of Section 304 of the IPC is that under the first part, the crime of murder is first established and the accused is then given the benefit of one of the exceptions to Section 300 of the IPC, while under the second part, the crime of murder is never established at all. Therefore, for the purpose of holding an accused guilty of the offence punishable under the second part of Section 304 of the IPC, the accused need not bring his case within one of the exceptions to Section 300 of the IPC.

139. माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीर Anbazhagan vs The StateCRIMINAL APPEAL NO. 2043 OF 2023 से यह मार्गदर्शन मिलता है कि:-

(7) The distinction between culpable homicide (Section 299 of the IPC) and murder (Section 300 of the IPC) has always to be carefully borne in mind while dealing with a charge under Section 302 of the IPC. Under the category of unlawful homicides, both, the cases of culpable homicide amounting to murder and those not amounting to murder would fall. Culpable homicide is not murder when the case is brought within the five exceptions to Section 300 of the IPC. But, even though none of the said five exceptions are pleaded or prima facie established on the evidence on record, the prosecution must still be required under the law to bring the case under any of the four clauses of Section 300 of the IPC to sustain the charge of murder. If the prosecution fails to discharge this onus in establishing any one of the four clauses of Section 300 of the IPC, namely, 1stly to 4thly, the charge of murder would not be made out and the case

Authenticated Document

may be one of culpable homicide not amounting to murder as described under Section 299 of the IPC.

(12) In determining the question, whether an accused had guilty intention or guilty knowledge in a case where only a single injury is inflicted by him and that injury is sufficient in the ordinary course of nature to cause death, the fact that the act is done without premeditation in a sudden fight or quarrel, or that the circumstances justify that the injury was accidental or unintentional, or that he only intended a simple injury, would lead to the inference of guilty knowledge, and the offence would be one under Section 304 Part II of the IPC.

140. माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीर Pulicherla Nagaraju @ Nagaraja Reddy vs State Of A.P Appeal (crl.) 945 of 2004 से यह मार्गदर्शन मिलता है कि:- 18. Therefore, the court should proceed to decide the pivotal question of intention, with care and caution, as that will decide whether the case falls under Section 302 or 304 Part I or 304 Part II. Many petty or insignificant matters plucking of a fruit, straying of a cattle, quarrel of children, utterance of a rude word or even an objectionable glance, may lead to altercations and group clashes culminating in deaths. Usual motives like revenge, greed, jealousy or suspicion may be totally absent in such cases. There may be no intention. There may be no pre-meditation. In fact, there may not even be criminality. At the other end of the spectrum, there may be cases of murder where the accused attempts to avoid the penalty for murder by attempting to put forth a case that there was no intention to cause death. It is for the courts to ensure that the cases of murder punishable under section 302, are not converted into offences punishable under section 304 Part I/II, or cases of culpable homicide not amounting to murder, are treated as murder punishable under section 302. The intention to cause death can be gathered generally from a combination of a few or several of the following, among other, circumstances : (i) nature of the weapon used; (ii) whether the weapon was carried by the accused or was picked up from the spot; (iii) whether the blow is aimed at a vital part of the body; (iv) the amount of force employed in causing injury; (v) whether the act was in the course of sudden quarrel or sudden fight or free for all

Authenticated Document

fight; (vi) whether the incident occurs by chance or whether there was any pre- meditation; (vii) whether there was any prior enmity or whether the deceased was a stranger; (viii) whether there was any grave and sudden provocation, and if so, the cause for such provocation; (ix) whether it was in the heat of passion; (x) whether the person inflicting the injury has taken undue advantage or has acted in a cruel and unusual manner; (xi) whether the accused dealt a single blow or several blows. The above list of circumstances is, of course, not exhaustive and there may be several other special circumstances with reference to individual cases which may throw light on the question of intention. Be that as it may.

141. नजीर 2019(2) WLC (SC) Cri. 303 Sita Ram Vs. State of NCT of Delhi में घटना के लिये कोई योजना नहीं थी, सहसा आवेश में द्वंद्व हो गया। अतः धारा 302 की जगह धारा 304-II में दोषसिद्धि परिवर्तित की गई। नजीर 2016(2)Cr.L.R. Page 1052 Kapoora Vs. State of Rajasthan में पक्षकारों के बीच दुश्मनी नहीं थी, दोनों पक्ष हथियारों से सुसज्जित थे और अभियुक्तगण के भी चोटें कारित की गई और क्षणावेश में घटना घटित हुई थी तो 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि नहीं मानकर धारा 304 खण्ड द्वितीय में दोषसिद्धि मानी गई। नजीर 2008(2) Cr.L.R. (Raj.) Page 1181 Bachchu Singh & Ors. Vs. State of Rajasthan में घटना अचानक घटित हुई थी, क्रॉस केस दर्ज हुआ था, मृतक भी कुन्दालय से लैस था और उसने अपीलार्थी पर वार किया। अतः धारा 302 को धारा 304-II में परिवर्तित किया गया।

142. धारा 304 भाग प्रथम भा.द.सं. इस प्रकार है:-

> **304 इत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिये दण्ड-** जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा, जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित हो जाये तो वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारवास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्मान से भी दण्डनीय होगा।

143. पत्रावली पर यह आया है कि किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा है कि अभियुक्तगण का आशय मृतक रामस्वरूप की मृत्यु कारित करने का रहा हो। मृतक व अभियुक्तगण की पूर्व में रंजिश नहीं है। मृतक के साथ मारपीट, उसकी हत्या के आशय से की गई हो, ऐसा भी नहीं है। प्रकरण में कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है।

Authenticated Document

अभियुक्तगण का आशय मृतक की मृत्यु कारित करने का रहा हो, ऐसा पत्रावली पर नहीं है।

144. धारा 304 भाग द्वितीय भा.द.सं. इस प्रकार है:-

> यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, किन्तु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाये, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

145. पत्रावली पर स्पष्ट है कि अभियुक्तगण शराब पिये हुए थे, वे जानते थे कि मृतक के चोटें कारित होने से उसकी मृत्यु होने की सम्भावना है। अभियुक्तगण ने मृतक के साथ मारपीट कर उसे खाल में धक्का दिया है। पी.डब्ल्यू. 15 भंवरलाल भी कह रहा है कि मृतक ऐसी स्थिति में था कि वह उठ नहीं पाया और उससे पानी नहीं पिया गया फिर भी अभियुक्तगण उसको छोड़कर चले गये और उन्होंने इसकी किसी को सूचना नहीं दी। इस कारण मृतक के आई चोट सं. 1 के कारण उसकी मृत्यु हुई है।

146. पत्रावली पर स्पष्ट है कि इस प्रकरण में मृतक व अभियुक्तगण के मध्य कोई विवाद या रंजिश होना नहीं आया है। अभियुक्ता सुनीता का वर्ष 2017 से रामस्वरूप के घर आना जाना रहा है तथा उनके मध्य अच्छे संबंध रहे हैं और दिनांक 18.05.2020 को घर से जाने से पूर्व अभियुक्ता सुनीता द्वारा मृतक रामस्वरूप के साथ शराब पीना तथा राजी-खुशी हँसते-हँसते बबलू के साथ मोटरसाइकिल पर जाना पत्रावली पर आया है। मृतक के परिजनों द्वारा अभियुक्तगण को मृतक रामस्वरूप को ले जाने से रोक-टोक की गई हो या मना किया गया हो, ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं आया है। पत्रावली पर यह आया है कि अभियुक्तगण ने मृतक रामस्वरूप के साथ बैठकर शराब पी और किसी बात पर उनके मध्य अचानक झगड़ा हुआ है। उक्त झगड़े में अभियुक्तगण के भी चोटें आई हैं, जिससे भी स्पष्ट है कि इनके मध्य संघर्ष हुआ है और मृतक रामस्वरूप को धक्का दिये जाने के फलस्वरूप वह डाढ़देवी के जंगलों में पुलिया से नीचे खाल में सख्त धरातल पर शरीर के बायें तरफ से गिरा है, जिसके कारण उसके आई चोट सं. 1 के कारण शॉक होने से रामस्वरूप की मृत्यु होना चिकित्सकीय साक्षी पी.डब्ल्यू. 7 डॉ. अमित जोशी, पी.डब्ल्यू. 21 डॉ. लालचंद वर्मा व पी.डब्ल्यू. 22 डॉ. सुरेन्द्र कुमार के बयानों तथा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी.14 से साबित है।

147. जहाँ तक अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क है कि मृतक रामस्वरूप शराब पिये हुए था व शराब पिये हुए के कारण उसकी मृत्यु हुई है, मेरे विनम्र मत

Authenticated Document

में चिकित्सकीय साक्षी पी.डब्ल्यू. 7 डॉ. अमित जोशी, पी.डब्ल्यू. 21 डॉ. लालचंद वर्मा व पी.डब्ल्यू. 22 डॉ. सुरेन्द्र कुमार के बयानों तथा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी.14 से मृतक रामस्वरूप की मृत्यु उसके सिर पर आई चोट सं. 1 से उत्पन्न कोमा के कारण उसकी मृत्यु होना पत्रावली पर साबित है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का उक्त तर्क सारहीन प्रतीत होता है। जहाँ तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क है कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। इस संबंध में अभियुक्तगण का मृतक के साथ अंतिम बार साथ-साथ जाने की साक्ष्य से, अभियुक्त बबलू के जब्तशुदा कपड़े, अभियुक्ता सुनीता की जब्तशुदा साड़ी व लाख की चूडियाँ एवं घटनास्थल से लिये गये मृतक रामस्वरूप के कपड़े, चप्पल, खून आलूदा पत्थर व टहनियों आदि पर मानव रक्त पाये जाने और घटनास्थल पर मिले लाख की चूड़ी के टुकड़े एवं अभियुक्ता सुनीता की निशांदेही से जब्त किये गये लाख के टुकड़े की एफएसएल जाँच तथा घटनास्थल से मिले साड़ी के टुकड़े एवं अभियुक्ता सुनीता द्वारा अपनी निशांदेही से जब्त करवाई गई साड़ी की एफएसएल जाँच से और अभियुक्त बबलू द्वारा जिस मोटरसाइकिल हीरा होण्डा स्प्लेण्डर से अभियुक्ता सुनीता एवं मृतक रामस्वरूप को ले जाया जाना बताया गया है, उसी मोटरसाइकिल को अभियुक्त बबलू की सूचना के आधार पर उसकी निशांदेही से जब्त किया गया है। अभियुक्तगण के शरीर पर भी चोटें कारित हुई हैं जिनके संबंध में कोई स्पष्टीकरण उनके द्वारा नहीं दिया गया है, इनके द्वारा घटनास्थल की तस्दीक कराई गई है। इन सभी तथ्यों से परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सभी कड़ियाँ जुड़ती हैं और यह स्पष्ट है कि मृतक रामस्वरूप के साथ अंतिम बार अभियुक्तगण ही थे। अतः कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं होने से परिस्थितिजन्य साक्ष्य की इन कड़ियों को नकारा नहीं जा सकता। अतः विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क भी सारहीन प्रतीत होता है।

148. जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क है कि घटनास्थल पर लिए गए फोटो प्रदर्श पी. 32 व पी. 3 में बरामदशुदा सामानों के मध्य दूरी में अंतर है। इस सम्बन्ध में उक्त फोटो का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि उक्त दोनों फोटो अलग-अलग दूरियों से लिये गये हैं तथा उक्त दोनों फोटो के अवलोकन से जब्तशुदा सामानों के बीच में दूरी का अन्तर इतना ज्यादा नहीं है कि उनकी सत्यता पर संदेह किया जा सके। फोटो प्रदर्श पी.30 व पी.37 में अभियुक्त बबलू का भारत निर्वाचन आयोग से जारी पहचान-पत्र घटनास्थल पर पड़ा होना जाहिर होता है। प्रदर्श पी.34 व 35 से घटनास्थल पर लाख के चूड़े के टुकड़े पड़े होना प्रकट होता है। फोटो प्रदर्श पी.31 में घटनास्थल पर पड़े पत्थर पर खून के निशान लगे होना प्रकट होता है। फोटो प्रदर्श पी.42 में मृतक के कपड़ों के साथ झाड़ियों में साड़ी का टुकड़ा अटका

Authenticated Document

होना स्पष्ट है। इस प्रकार उक्त फोटो के अवलोकन से भी अभियुक्तगण की घटनास्थल पर उपस्थिति साबित होती है।

149. अतः पत्रावली पर आई साक्ष्य के उपरोक्त समग्र विवेचन से मेरे विनम्र मत में यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण मृतक रामस्वरूप के साथ अंतिम बार घटनास्थल पर उपस्थित थे, जिसकी पुष्टि गवाह पी.डब्ल्यू. 15 भंवरलाल के बयानों से तथा अभियुक्तगण के जब्तशुदा कपड़ों, अभियुक्ता सुनीता के लाख के चूड़े के टुकड़ों, साड़ी तथा मृतक के खून आलूदा कपड़े, चप्पल, साफी और घटनास्थल पर पत्थरों व झाड़ी की टहनी पर मानव रक्त पाये जाने और उक्त जब्तशुदा सामानों की एफएसएल जाँच से होती है। प्रकरण में मृतक रामस्वरूप तथा अभियुक्तगण के मध्य शराब पीने के बाद आपस में झगड़ा होने का तथ्य साबित है तथा अभियुक्तगण के भी चोटें आई हैं, इससे भी यह साबित है कि उनके मध्य झगड़ा व मारपीट हुई है तथा झगड़े में मृतक रामस्वरूप को धक्का दिये जाने के कारण वह पुलिया के उपर से या धक्का मारने से नीचे खाल के सख्त धरातल पर गिरा है, जिसके कारण उसके सिर पर आई चोट सं. 1 से उत्पन्न कोमा के कारण उसकी मृत्यु हुई है। पत्रावली पर यह स्पष्ट है कि मृतक रामस्वरूप की मृत्यु कारित करने का अभियुक्तगण का कोई आशय रहा हो ऐसा पत्रावली पर नहीं आया है, अपितु वे यह जानते थे कि पत्थर पर गिरने से रामस्वरूप की मृत्यु हो सकती है, उन्होंने रामस्वरूप को धक्का दिया, जिससे गिरने के कारण रामस्वरूप की मृत्यु हुयी, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आई है। अभियुक्तगण व मृतक के मध्य पूर्व की कोई रंजिश या दुश्मनी रही हो, ऐसा भी कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं आया है। अतः उपर वर्णित नजीरों Ramjeet Yadav And Another vs State Of U.P.ए CRIMINAL APPEAL No. 226 of 2018, Anbazhagan vs The StateCRIMINAL APPEAL NO. 2043 OF 2023, Pulicherla Nagaraju @ Nagaraja Reddy vs State Of A.P Appeal (crl.) 945 of 2004, 2019(2) WLC (SC) Cri. 303 Sita Ram Vs. State of NCT of Delhi, 2016(2)Cr.L.R. Page 1052 Kapoora Vs. State of Rajasthan तथा 2008(2) Cr.L.R. (Raj.) Page 1181 Bachchu Singh & Ors. Vs. State of Rajasthan के मार्गदर्शन के अनुसार मेरे विनम्र मत में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के तथ्य को साबित नहीं है, अपितू अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 304-II भा.द.सं. के अपराध के तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

150. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार मेरे विनम्र मत में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण सामान्य आशय के अग्रसरण में रामस्वरूप की हत्या करने के आशय से

Authenticated Document

उसका अपहरण/व्यपहरण कर मोटरसाइकिल पर बैठाकर डाढ़देवी के जंगल में ले गये हों तथा रामस्वरूप के परिजन द्वारा रामस्वरूप के संबंध में पूछे जाने पर इनकार किया गया हो या इत्तिला देने के लिये आबद्ध होते हुए भी अपराध की इत्तिला देने या पुलिस को या किसी लोकसेवक को समुचित सूचना या इत्तला देने का लोप किया हो। अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा इस ज्ञान के साथ कि उनके कार्य से मृतक की मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, उनके द्वारा मृतक रामस्वरूप के साथ मारपीट कर उसकी मृत्यु कारित करने के आशय के बिना उसको धक्का देकर नीचे या पुलिया से नीचे खाल में गिराया गया जिससे उसके आई चोटों के फलस्वरूप मृतक रामस्वरूप की मृत्यु हुई। अतः मेरे विनम्र मत में अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 364/34, 201/34, 202/34, 176/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अभियुक्तगण को धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता के स्थान पर धारा 304 खण्ड द्वितीय भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आ दे श

151. अतः अभियुक्तगण बबलू पुत्र रामकल्याण निवासी आरामपुरा पटवार घर की गली खेड़ा रसूलपुर कैथून थाना कैथून, कोटा व सुनीता पत्नी रामदयाल निवासी आंवा हथाई के सामने थाना कनवास हाल पति सुरेन्द्र निवासी देवली मांझी बस स्टेण्ड के सामने ढीकोली थाना देवली मांझी, जिला कोटा ग्रामीण को अपराध अन्तर्गत धारा 364/34, 176/34, 201/34 तथा 202/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण बबलू और सुनीता को अपराध अन्तर्गत धारा 304 खण्ड द्वितीय भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(सत्यनारायण व्यास)

152. दण्ड के प्रश्न पर विद्वान् लोक अभियोजक एवं विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्तगण को सुना गया। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि अभियुक्तगण लम्बे समय से अन्वीक्षा का सामना कर रहे हैं, अभियुक्ता सुनीता औरत जात है, अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं। अभियुक्तगण गरीब व्यक्ति हैं। अतः तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुये उनके प्रति नरमी का रुख अपनाते हुए अभियुक्तगण को अन्वीक्षा का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

Authenticated Document

153. इसके विपरीत विद्वान् लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में मृतक रामस्वरूप की हत्या करने के प्रयोजन से उसके साथ मारपीट कर उसे चोटें पहुंचाकर उसकी हत्या कारित की गई है। अतः उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किया जाए।

154. उक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर आया है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण द्वारा इस ज्ञान के होते हुए भी कि रामस्वरूप के खाल में सख्त धरातल पर गिरने से चोटें आने के फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो सकती है, इसके बावजूद भी अभियुक्तगण द्वारा मृतक को धक्का देकर गिराया जिसके फलस्वरूप आई चोट के कारण उसकी मृत्यु हुई है। विधि की मंशा है कि ऐसे अपराध में कठोर रुख अपनाया जाए, अतः ऐसे अपराध के लिए नरमी का रुख अपनाया जाना मैं उचित नहीं समझता हूं। अतः इन समस्त तथ्यों को देखते हुए मैं अभियुक्तगण को दोषसिद्ध अपराध के लिए कारावास व जुर्माने की सजा से दण्डित किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

<u>दण्डादेश</u>

155. अतः अभियुक्तगण बबलू पुत्र रामकल्याण निवासी आरामपुरा पटवार घर की गली खेड़ा रसूलपुर कैथून थाना कैथून, कोटा व सुनीता पत्नी रामदयाल निवासी आंवा हथाई के सामने थाना कनवास हाल पति सुरेन्द्र निवासी देवली मांझी बस स्टेण्ड के सामने ढीकोली थाना देवली मांझी, जिला कोटा ग्रामीण को अपराध अन्तर्गत धारा 304 खण्ड द्वितीय भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए दस वर्ष के कठोर कारावास व 5,000/- (अक्षरे पाँच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त 03 (तीन) माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

156. अभियुक्तगण यदि इस प्रकरण में पुलिस अथवा न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं तो वह अवधि धारा 468 बी.एन.एस.एस. के तहत समायोजित की जाये।

157. अभियुक्तगण यदि इस प्रकरण में पुलिस अथवा न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं, तो वह अवधि धारा 468 बी.एन.एस.एस. के तहत समायोजित की जाए।

158. इस मामले में अनुसंधान के दौरान जब्तशुदा माल को बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित कर दिया जाए।

159. अभियुक्तगण को यह भी निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त धारा 481 बी.एन.एस.एस. के प्रावधानान्तर्गत अपीलीय न्यायालय अथवा यथास्थिति उच्चतर न्यायालय में उपस्थिति हेतु 10,000/- रुपये की राशि का निजी बंध पत्र एवं इसी राशि का प्रतिभूति पत्र न्यायालय हाजा के संतोषप्रद प्रस्तुत करे।

160. इस मामले में मृतक रामस्वरूप की मृत्यु कारित हुई है, जिसके लिए धारा 396 बी.एन.एस.एस. के मुताबिक पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत मृतक

Authenticated Document

रामस्वरूप के परिवारजन को क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने की अनुशंषा की जाती है। निर्णय की एक प्रति, पत्र के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा को भेजी जावे।

161. अभियुक्त को निर्णय की प्रति निःशुल्क दी जाए। सजा वारंट बनाया जाए।

162. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Cri. Miscellaneous Petition No. 7862/2017 में Criminal Appeal No. 1971/2026 Shankar Mahto Vs. State of Bihar में पारित आदेश दिनांक 16.04.2026 की पालना में अभियुक्तगण को अवगत कराया गया कि वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 415(2) के तहत अन्दर तीस योम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं तथा इस हेतु वे राजस्थान उच्च न्यायालय सेवा प्राधिकरण जयपुर से नियमानुसार निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। इस हेतु केन्द्रीय कारागृह कोटा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा एवं राजस्थान उच्च न्यायालय सेवा प्राधिकरण जयपुर को नियमानुसार निर्णय की प्रति अन्दर सात योम प्रेषित की जाए।

(सत्यनारायण व्यास)

निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक 19-06-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण व्यास)

ASHISH JANGID
Digitally signed by ASHISH JANGID
Date: 2026.06.20 08:31:24 +0530
Authenticated Document